IAS BABA

RAPID REVISION SERIES

800 High Probable Topics for UPSC Prelims 2021

(Current Affairs + Static Portion)

हिंदी

Full Compilation

POLITY

Make the best use of this document by combining free explanation videos of these topics, Current Affairs Quiz, Static Quiz, CSAT Quiz, & 3 Full Mocks on rrs.iasbaba.Com (A Free Initiative targeting UPSC PRELIMS 2021)

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes(Hindi)

DAY 1 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय कवरेज:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मूल बातें

कंपनी शासन (1773-1858)

1. रेगुलेटिंग एक्ट
2. पिट्स इंडिया एक्ट
3. चार्टर एक्ट

क्राउन रूल/ शाही शासन (1858-1947)

4. भारत सरकार अधिनियम 1858
5. भारतीय परिषद अधिनियम
6. भारत सरकार अधिनियम
7. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
8. उद्देश्य प्रस्ताव
9. विभिन्न संविधान से उधार ली गई मुख्य विशेषताएं
10. संविधान की अनुसूचियां

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि [मूल बातें]

1600	ब्रिटिश भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) के पास **विशुद्ध रूप से व्यापार** संबंधी कार्य थे।
1765	ईस्ट इंडिया कंपनी को 'दीवानी अधिकार' प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध **बक्सर की लड़ाई** हारने के बाद **शाह आलम** ने ये अधिकार दिए;
1773 - 1858	कंपनी शासन
1857	1857 का विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 'सिपाहियों का विद्रोह'
1858 - 1947	क्राउन रूल / शाही शासन

इन दो शासनों **के** अंतर्गत 3 **अधिनियमों को याद करने का प्रयास करें:**

कंपनी शासन (1773-1858)	**क्राउन रूल (1858-1947)**
1. रेगुलेटिंग एक्ट	1. भारत सरकार अधिनियम
2. पिट्स इंडिया एक्ट	2. भारतीय परिषद अधिनियम
3. चार्टर एक्ट / अधिनियम	3.भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

विषय 1: 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट / विनियमन अधिनियम

मुख्य बिंदु:

1. यह भारत में EIC के मामलों को **नियंत्रित और विनियमित** करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
2. पहली बार, ब्रिटिश सरकार ने EIC के **राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी।**
3. ब्रिटिश सरकार ने भारत में **केंद्रीय प्रशासन** की नींव रखी।

अधिनियम की विशेषताएं:

1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के राज्यपाल को '**बंगाल के गवर्नर-जनरल**' के रूप में नामित किया गया और उनकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गयी।

2. उन्होंने बंगाल के राज्यपाल को '**बंगाल के गवर्नर-जनरल**' के रूप में नामित किया और उनकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई।
3. बंगाल के राज्यपाल को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को उनका अधीनस्थ बनाया गया।
4. इस अधिनियम में **उच्चतम न्यायालय** (1774) की स्थापना का प्रावधान था।
5. इस अधिनियम ने EIC के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासी से रिश्वत और उपहार स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया।
6. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सभी मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी दी।

विषय 2: पिट्स इंडिया एक्ट 1784

अधिनियम की विशेषताएं:

1. इस अधिनियम में EIC के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया।
2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गयी और एक नया निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल (बीओसी) राजनीतिक कार्यों का ध्यान रखने हेतु बनाया गया। ("दोहरी सरकार की प्रणाली")
3. भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया।
4. ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया।

विषय 3: चार्टर अधिनियम

1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं

1. यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।
2. इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी।
3. इस प्रकार, इस अधिनियम ने पहली बार भारत सरकार को भारत में अंग्रेजों के पास पूरे प्रादेशिक क्षेत्र पर अधिकार प्रदान किया।
4. इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को समाप्त कर दिया।

5. 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों (भारतीयों सहित) के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस प्रावधान को नकार दिया गया।

1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं

1. गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया।
2. इसने एक अलग गवर्नर-जनरल की विधान परिषद की स्थापना की जिसे भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद के रूप में जाना गया।
3. इसने पहली बार भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की।
4. सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की (भारतीयों के लिए भी खुली)
5. इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और इसे ब्रिटिश क्राउन के विश्वास पर भारतीय क्षेत्रों का कब्जा बनाए रखने की अनुमति प्रदान की।

विषय 4: भारत सरकार अधिनियम 1858 (या भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम)

अधिनियम की विशेषताएं:

1. इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
2. कंपनी शासन को 1858 में समाप्त कर, क्राउन रूल / शाही शासन आरम्भ हुआ।
3. गवर्नर जनरल GGI को बदलकर भारत का वायसराय (VOI) कर दिया गया।
4. इसने 'दोहरी सरकार की प्रणाली' को समाप्त कर, एक नया कार्यालय "भारत के राज्य सचिव" (SOS) निर्माण किया।
5. इसने राज्य सचिव (SOS) की सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई।
6. इसने भारत में प्रचलित सरकार की व्यवस्था में किसी भी तरह से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया।

विषय 5: भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909

1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की विशेषताएं

1. इस अधिनियम ने प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की - इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा।

2. इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, कि वॉयसराय (VOI) को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित विधान परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए।
3. **विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू** की गई थी: बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां (विधायी हस्तांतरण) बहाल कर दी गई थीं।
4. इस प्रकार इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई **केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट** दिया।
5. इसने बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत (NWFP) और पंजाब के लिए **नई विधान परिषदों की स्थापना** का भी प्रावधान किया।
6. लॉर्ड कैनिंग द्वारा **'पोर्टफोलियो' प्रणाली की शुरुआत** की गई - यानी भारतीय परिषद अधिनियम (ICA) 1861 ने वॉयसराय की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर संचालित केबिनेट में बदल दिया। इसलिए कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों ने अलग-अलग विभागों का कार्यभार संभाला।
7. **अध्यादेश बनाने की शक्ति**: अधिनियम ने VOI को आपातकाल के दौरान अध्यादेश बनाने का अधिकार दिया। हालांकि, ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने थी।

1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की विशेषताएं

1. केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त भारतीय (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हालाँकि अभी भी आधिकारिक बहुमत गैर-भारतीय थे।
2. विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई।
3. **सिफारिश पर नामांकन**: प्रांतों के राज्यपालों, विश्वविद्यालयों, जमींदारों और चेंबर्स के जैसे कुछ निकाय अब गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए भारतीयों की सिफारिश कर सकते थे।
4. अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में कुछ गैर-सरकारी सीटों को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया। हालाँकि, "चुनाव" शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया था।

1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की विशेषताएं: (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

1. विधान परिषदों (केंद्रीय और प्रांतीय दोनों) का आकार 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया।
2. इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत को बरकरार रखा लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को भारतीय गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी।

3. दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति प्रदान की गई।
4. इसने वायसराय और राज्यपालों के "**कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव**" का (पहली बार) प्रावधान प्रदान किया।
5. ICA 1909 ने मुसलमानों के लिए **सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली** की शुरुआत की - '**पृथक निर्वाचक मंडल**' की अवधारणा।

(लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।)

विषय 6: भारत सरकार अधिनियम

भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं (मोंटेगयु -चेम्सफोर्ड सुधार)

1. **अलग-अलग केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन**: केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाएं अपने-अपने विषयों की सूची में कानून बना सकती थी।
2. **हस्तांतरित और आरक्षित विषय**: प्रांतीय विषयों को आगे दो भागों में विभाजित किया गया था - स्थानांतरित और आरक्षित विषयों।
   - हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था।
   - दूसरी ओर, आरक्षित विषयों को राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना प्रशासित किया जाना था।
3. **द्वैध शासन या दोहरा शासन**: शासन की इस दोहरी योजना को '**द्वैध शासन**' के रूप में जाना जाता था - जिसका अर्थ है **दोहरा शासन**।
4. उच्च सदन और निचला सदन: देश में पहली बार **द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव** की शुरुआत हुई। (केवल केंद्र में)
5. **वायसराय की कार्यकारी परिषद** के छह सदस्यों में से **तीन भारतीय** होने चाहिए।
6. विस्तारित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अथवा सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल।
7. इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को फ्रेंचाइजी प्रदान की।

8. इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उन्हें भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा अब तक किए गए कुछ कार्यों में स्थानांतरित कर दिया।
9. इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था (इसलिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
10. इसने पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया।
11. इसने एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया जो इसके लागू होने के दस वर्षों के बाद इसके कामकाज की जांच और रिपोर्ट करेगा।

1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं

1. इस अधिनियम का उद्देश्य **पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार** को भारत में लाना था।
2. इसने **एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना** का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। (हालांकि, **संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया** क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं।)
3. अधिनियम में शक्तियों का विभाजन - केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची; राज्यपाल को अवशिष्ट शक्तियां।
4. प्रांतों में 'द्वैध शासन' को समाप्त किया और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत हुई।
5. अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की शुरुआत की (अर्थात राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह के साथ कार्य करना आवश्यक था) - यह केवल 1937-1939 तक ही लागू रहा।
6. इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया - यानी संघीय विषयों को 'स्थानांतरित' और 'आरक्षित' में विभाजित किया गया - लेकिन यह भी कभी भी लागू नहीं हुआ।
7. इसने ग्यारह प्रांतों में से छह में द्विसदनात्मकता की शुरुआत की।
8. दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों (श्रमिकों) के लिए विस्तारित पृथक निर्वाचक मंडल।
9. भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया (जिसे SOS की सहायता के लिए भारत सरकार, 1958 में स्थापित किया गया था)। SOS को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी।
10. देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना

11. संघीय PSC + प्रांतीय PSC (UPSC + SPSC की तर्ज पर)
12. एक संघीय न्यायालय की स्थापना (1937 में)

विषय 7: 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

अधिनियम की विशेषताएं:

1. इसने **भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त** कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक **स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।**
2. इसने **भारत के विभाजन** का प्रस्ताव पेश किया।
3. इसने **वायसराय और SOS के पद को समाप्त** कर दिया। भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में ब्रिटिश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. इसने **संविधान सभा को संविधान को बनाने** और अपनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल था।
5. इसमें 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति की घोषणा की।
6. इसने **भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान** की।
7. इसने भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुखों के रूप में नामित किया। उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए कहा गया था।

विषय 8: उद्देश्य संकल्प/ प्रस्ताव:

- इसे 1946 में जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- इसने संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया।
- इस संकल्प ने संविधान के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया।
- इस संकल्प के आधार पर, हमारे संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान, इन मूलभूत प्रतिबद्धताओं को संस्थागत अभिव्यक्ति दी।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था, और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।

विषय 9: विभिन्न संविधान से उधार ली गई मुख्य विशेषताएं:

भारत के संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो अन्य देशों के संविधानों से उधार ली गई हैं।

स्रोत	**उधार ली गई विशेषताएं**
1. भारत सरकार अधिनियम, 1935	संघीय प्रणाली, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक प्रावधान
2. ब्रिटिश संविधान	संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता
3. संयुक्त राज्य अमेरिका	मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि
4. आयरलैंड	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा (आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया था), राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में सदस्यों का नामांकन
5. कनाडा	अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, सशक्त केंद्र के साथ संघ, केंद्र द्वारा राज्य के गवर्नरों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार
6. ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और आवागमन के संदर्भ में प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
7. जर्मनी (वाइमर)	आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
8. सोवियत रूस (यूएसएसआर)	मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का विचार
9. फ्रांस	प्रस्तावना में गणतंत्र तथा स्वतंत्रता , समानता एवं बंधुत्व के विचार
10. दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्य सभा के सदस्य का चुनाव
11. जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

विषय 10: संविधान की अनुसूचियां

भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियां हैं:

पहली अनुसूची	• राज्यों और उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के नाम। • केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा।
दूसरी अनुसूची	• राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्ष और चैयरमेन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते।
तीसरी अनुसूची	• शपथ या प्रतिज्ञान के रूप
चौथी अनुसूची	• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	• अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण।
छठी अनुसूची	• असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	• शक्तियों का विभाजन ○ संघ सूची (केंद्र सरकार के लिए) 97 विषय। ○ राज्यों की सूची (राज्य सरकार के लिए) 59 विषय ○ समवर्ती सूची (संघ और राज्यों दोनों के लिए) 52 विषय।
आठवीं अनुसूची	• संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं की सूची वो हैं: 1. असमिया, 2. बंगाली, 3. बोडो, 4. डोगरी (डोंगरी), 5. गुजराती, 6. हिंदी, 7. कन्नड़,

	8. कश्मीरी, 9. कोंकणी, 10. मैथिली (मैथिली), 11. मलयालम, 12. मणिपुरी, 13. मराठी, 14. नेपाली, 15. उड़िया, 16. पंजाबी, 17. संस्कृत, 18. संथाली, 19. सिंधी, 20. तमिल, 21. तेलुगु और 22. उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था; कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था; और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया को 2011 के 96 वें संशोधन अधिनियम द्वारा 'ओडिया' का नाम दिया गया था।
नौवीं अनुसूची	• भूमि सुधारों से संबंधित अधिनियमों और विनियमों और जमींदारी प्रणाली को समाप्त करना शामिल है। • मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था।

	• हालांकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं।
दसवीं अनुसूची	• 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं।
ग्यारहवीं अनुसूची	• 1992 में 73वें संशोधन द्वारा। पंचायती राज के प्रावधान शामिल हैं।
बारहवीं अनुसूची	• 1992 में 74वें संशोधन द्वारा। इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes(Hindi)

DAY 2 - POLITY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय कवरेज:

11. प्रस्तावना के बारे में
12. प्रस्तावना में महत्वपूर्ण मुख्य शब्द
13. 42वां संविधान संशोधन, 1976
14. मौलिक अधिकार
15. मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
16. अधिवास (Domicile) आधारित आरक्षण
17. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम
18. मंडल आयोग, रोहिणी आयोग और अनुच्छेद 340
19. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम
20. कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर

विषय 11: संविधान की प्रस्तावना

प्रमुख बिंदु:

1. प्रस्तावना संविधान के दर्शन के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
2. प्रस्तावना 'उद्देश्य प्रस्ताव' का संशोधित संस्करण है जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
3. बेरुबारी मामला **1960** - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है"
4. केशवानंद भारती केस **1973** - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि "प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है"

दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

1. प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है।
2. यह गैर-न्यायोचित (**Non-justiciable**) है, अर्थात इसके प्रावधान न्यायालयों में लागू नहीं किए जा सकते हैं।

प्रस्तावना, संक्षेप में, संविधान के उद्देश्यों की दो तरह से व्याख्या करती है:

(i) एक, शासन की संरचना के बारे में और
(ii) दूसरा, स्वतंत्र भारत में प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के बारे में।

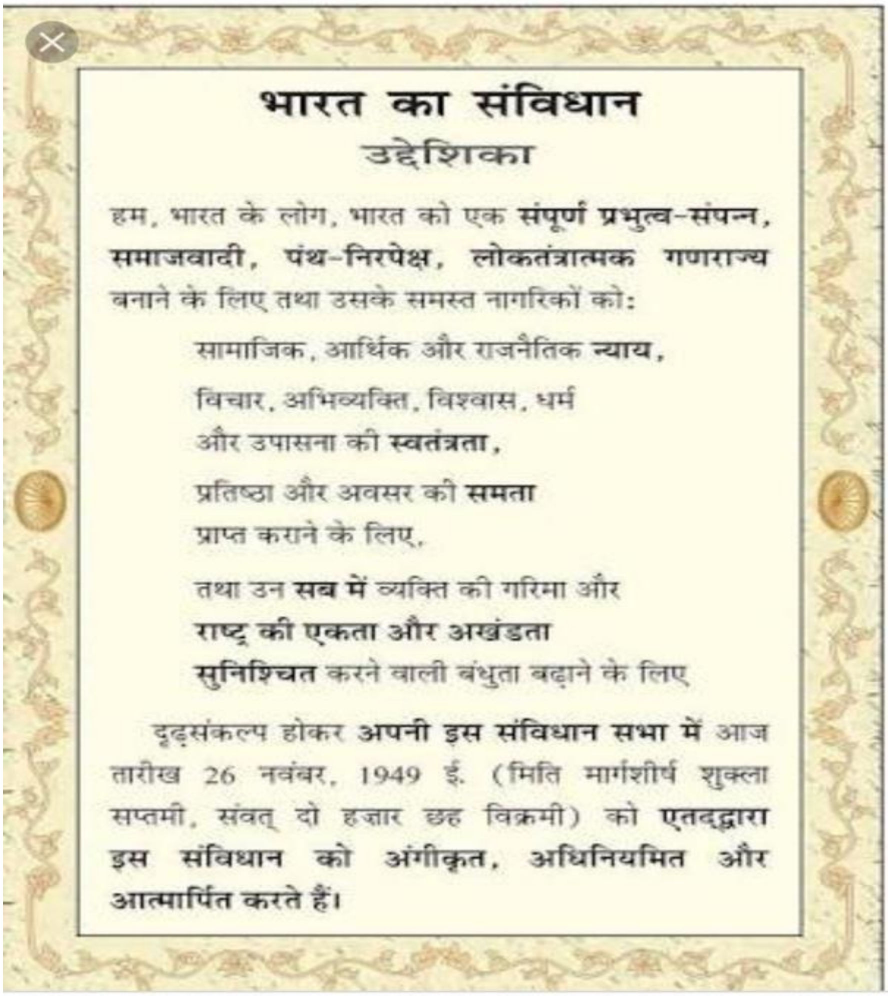

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

विषय 12: प्रस्तावना में महत्वपूर्ण मुख्य शब्द

संप्रभुता	• पूर्ण स्वतंत्रता। • ऐसी सरकार जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है। • संप्रभु हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता।
समाजवादी	• मूल प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था। • 42वें संशोधन, द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' को शामिल किया गया। • 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में किया गया है।
धर्मनिरपेक्षता	• भारत में कोई 'राज्य' धर्म नहीं होगा • 'राज्य' सार्वजनिक कोष से किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करेगा। • प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। • राज्य धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
प्रजातांत्रिक गणतंत्र	• "गणराज्य" - लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार को इंगित करता है। • सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, यह जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होती है • प्रस्तावना भारत को एक गणतंत्र घोषित करती है - इसका अर्थ है कि राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और वह एक वंशानुगत शासक नहीं होगा जैसा कि ब्रिटिश सम्राट के मामले में होता है।

न्याय	• प्रस्तावना में न्याय का अर्थ है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय से है। • न्याय का सिद्धांत - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - रूसी क्रांति (**1917**) से लिया गया है।
स्वतंत्रता	• स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। • 'स्वतंत्रता' शब्द का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पर संयम का अभाव, और साथ ही, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। • हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति (**1789-1799**) से लिया गया है।
समानता	• प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। • इस प्रावधान में समानता के तीन आयाम शामिल हैं- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
बंधुत्व	• बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। (एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा सुनिश्चित) • प्रस्तावना में की गयी घोषणा के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा - व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। • बंधुत्व शब्द (शायद) मानव अधिकार **1948** की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद **1** से शामिल किया गया है।

नोट: (प्रस्तावना, बंधुत्व और समतावादी राज्य की अवधारणा अक्सर खबरों में रहती है - करंट अफेयर्स)

- बंधुत्व की अवधारणा इस वर्ष की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देश भर में कई CAA विरोधी प्रदर्शनों में संविधान की प्रस्तावना को सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आह्वान किया गया।
- समतावादी राज्य: एक समतावादी राज्य से नागरिकों के बीच असमानताओं को कम करने और सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। (महामारी प्रेरित स्थिति के कारण)
- जनभागीदारी का महत्व - "हम भारत के लोग.........इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

विषय 13: 42 वां संविधान संशोधन, 1976

प्रस्तावना	इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े: 1. समाजवादी 2. धर्म निरपेक्ष 3. अखंडता
मौलिक कर्तव्य	• भाग IV A को संविधान में जोड़ा गया (अनुच्छेद 51 A) • स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत	चार नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए; 1. बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39) 2. नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना (अनुच्छेद 39A), 3. कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा (अनुच्छेद 43A), 4. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48A) 42 वें संशोधन अधिनियम में निर्देशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया और संसद द्वारा इस आशय के किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया।
विधान-सभा	लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया।
न्यायपालिका	संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्ति में कटौती की गयी। सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित करने के लिए अनुच्छेद 32 A का सम्मिलन। एक अन्य नए अनुच्छेद 131A ने सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए एक विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था।
कार्यपालिका	अनुच्छेद 74(1) को जोड़ा गया, जिसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य

	किया। लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री को विशेष भेदभावरहित अधिकार प्रदान किये गए। (अनुच्छेद 329A)
संघ	अनुच्छेद **257A** को सम्मिलित करना, ताकि केंद्र किसी भी राज्य में उत्पन्न होने वाली कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात कर सके। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गयी और ऐसी विधियां मौलिक अधिकारों पर अभिभावी होंगी।
आपातकाल	इसने राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत किया।
अनुच्छेद 323 A और 323 B, भाग XIV-A X	पार्ट **XIV-A** को 'प्रशासनिक मामलों से संबंधित अधिकरण' और 'अन्य मामलों के लिए अधिकरण' के रूप में जोड़ा गया।
समवर्ती सूची के विषय	पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित, जैसे, 1. शिक्षा, 2. वन, 3. भार और मापन, 4. वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, और 5. न्याय का प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।

विषय 14: मौलिक अधिकार

Category	*Consists of*
1. Right to equality (Articles 14–18)	(a) Equality before law and equal protection of laws (Article 14). (b) Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15). (c) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16). (d) Abolition of untouchability and prohibition of its practice (Article 17). (e) Abolition of titles except military and academic (Article 18).
2. Right to freedom (Articles 19–22)	(a) Protection of six rights regarding freedom of: (i) speech and expression, (ii) assembly, (iii) association, (iv) movement, (v) residence, and (vi) profession (Article 19). (b) Protection in respect of conviction for offences (Article 20). (c) Protection of life and personal liberty (Article 21). (d) Right to elementary education (Article 21A). (e) Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22).
3. Right against exploitation (Articles 23–24)	(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23). (b) Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24).
4. Right to freedom of religion (Article 25–28)	(a) Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25). (b) Freedom to manage religious affairs (Article 26). (c) Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27).
5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)	(a) Protection of language, script and culture of minorities (Article 29). (b) Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30).
6. Right to constitutional remedies (Article 32)	Right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights including the writs of (i) *habeas corpus*, (ii) *mandamus*, (iii) prohibition, (iv) *certiorari*, and (v) *quo war-rento* (Article 32).

नोट: इन विभाजनों के अनुसार याद करने का प्रयास करें। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं।

Fundamental Rights (FR) of Foreigners

FR available only to citizens and not to foreigners	***FR available to both citizens and foreigners (except enemy aliens)***
1. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15).	1. Equality before law and equal protection of laws (Article 14).
2. Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16).	2. Protection in respect of conviction for offences (Article 20).
3. Protection of six rights regarding freedom of : (i) speech and expression, (ii) assembly, (iii) association, (iv) movement, (v) residence, and (vi) profession (Article 19).	3. Protection of life and personal liberty (Article 21).
4. Protection of language, script and culture of minorities (Article 29).	4. Right to elementary education (Article 21A).
5. Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30).	5. Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22).
	6. Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23).
	7. Prohibition of employment of children in factories etc., (Article 24).
	8. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25).
	9. Freedom to manage religious affairs (Article 26).
	10. Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27).
	11. Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions (Article 28).

विषय 15: मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण उच्चतम न्यायालय के निर्णय

आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है	• कोई अदालत राज्य सरकार को आरक्षण देने के लिए नहीं कह सकती है।
विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार है	• बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (B) के तहत मौलिक अधिकार है। • सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है।
इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार है	• संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत • अनुच्छेद 19 (1) (G) कोई भी वृति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। • इंटरनेट पर निलंबन अनिश्चित अवधि के लिए नहीं होना चाहिए और आनुपातिकता परीक्षण का पालन करना चाहिए। • इसे मानव अधिकार की स्थिति का दर्जा नहीं दिया गया है।

	● भारत में, केरल 2017 में इंटरनेट तक पहुंच को "एक बुनियादी मानव अधिकार" घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया।
लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार एक मौलिक अधिकार है	● उच्चतम न्यायालय ने लिव-इन संबंधों को मान्यता प्रदान की है, न्यायालय के अनुसार व्यक्तियों को जीने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए क्योंकि वे सबसे अच्छा सोचते हैं। ● 'एक साथ रहना जीवन का अधिकार है' (अनुच्छेद 21 के तहत)
सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है	● सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई अधिनियम) के तहत प्रदान किया गया 'जानने का अधिकार' अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद **30** के तहत परिभाषित अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं।	● अनुच्छेद 30 राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए उचित नियम लागू करने से नहीं रोकता है।

विषय 16: अधिवास आधारित आरक्षण

अनुच्छेद **16(2)**	अनुच्छेद 16(2) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
अनुच्छेद **16(3)**	अनुच्छेद 16(3), निवास (न कि जन्म स्थान) के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में प्रावधान करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद **16(4)**	संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
अनुच्छेद **371**	कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष सुरक्षा प्राप्त है। धारा 371 (डी) के तहत आंध्र प्रदेश को निर्दिष्ट क्षेत्रों में "स्थानीय संवर्ग की सीधी भर्ती" करने का अधिकार है।

विषय 17: 103वां संविधान संशोधन अधिनियम

मुख्य संकेत:

- यह अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
- यह अधिनियम आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है।

इस अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" को राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जाना है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- अनुच्छेद 15 का नया खंड (6) सरकार को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की अनुमति देता है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या नहीं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट दी गई है।
- इसी तरह, अनुच्छेद 16 में नया खंड (6) सरकारी सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्ति में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए कोटा प्रदान करता है।

इंदिरा साहनी केस **(1992)**

- नौ-न्यायाधीशों की बेंच ने 50% आरक्षण की सीमा तय की।
- इस फैसले ने भी सिर्फ आर्थिक कसौटी पर आरक्षण देने पर रोक लगाई।

क्या आप जानते हैं?

- अनुच्छेद 46 सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कहता है।

विषय 18: मंडल आयोग, रोहिणी आयोग, और अनुच्छेद 340

अनुच्छेद **340**	• राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए उपयुक्त समझता है।
आयोग की भूमिका	• आयोग उन कदमों के बारे में सिफारिशें करेगा जो संघ या किसी राज्य द्वारा कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए जाने चाहिए। • आयोग को राष्ट्रपति के सामने एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। • राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करेगा।
मंडल आयोग	• भारत में 1 जनवरी 1979 को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (SEBC) की स्थापना की गयी। • यह सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण से संबंधित है।
रोहिणी आयोग	• 2017 में, राष्ट्रपति ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के विषय का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय आयोग (दिल्ली के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में) का गठन किया।

विषय 19: 102वां संविधान संशोधन अधिनियम

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
2. एनसीबीसी के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है।

3. पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।
4. **1992** का इंद्रा साहनी मामला - सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों को शामिल करने, जांच करने और उनके बहिष्कार के लिए एक स्थायी निकाय बनाए।

एनसीबीसी की संरचना

1. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों सहित पांच सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. आयोग की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 340	यह "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है।
102वां संविधान संशोधन	नए अनुच्छेद 338 B और 342 A सम्मिलित किए गए।
अनुच्छेद 338 B	यह एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 342 A	यह राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकते हैं। तथापि, यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करना है तो संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

विषय 20: कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर

- संविधान की सातवीं अनुसूची 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक विभेदन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि दो शब्द अंतः परिवर्तनीय नहीं हैं।

कानून और व्यवस्था में एक क्षेत्र की स्थिति के पुलिस द्वारा किए गए विश्लेषण और आपराधिक कानून के तहत कठोर कार्रवाई और दंड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शामिल है।
सार्वजनिक व्यवस्था जिलाधिकारी पर यह आकलन करने के लिए लगाया गया कर्तव्य है कि क्या हिंसा को फैलने से रोकने और तनाव को कम करने के लिए उस स्थान पर जाना आवश्यक है जहां कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 15 - POLITY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय कवरेज:

101. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए अधिसूचित नए नियम (New rules for administration notified in the UT of J&K)
102. 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के बीच अंतर (Difference between 5th and 6th Schedules)
103: स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) और रेंगमा जनजाति (Autonomous district councils (ADCs) and Rengma tribe)
104. भाषा और मुंशी-अयंगर सूत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional provisions dealing with Languages and Munshi-Ayyangar formula)
105. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act)
106. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019)
107. विरोध का अधिकार तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा/ नियम (Right to Protest and International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
108. राजद्रोह (Sedition)
109. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act)
110. नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 16 (Section 16 in the Citizenship Act, 1955)

विषय 101: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के लिए अधिसूचित नए नियम (New rules for administration notified in the UT of J&K)

मुख्य बिंदु:
केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नए नियम जारी किए हैं।
नए नियमों के अनुसार -

1. पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपराज्यपाल (LG) के सीधे नियंत्रण में होंगे।
2. कोई भी मामला जो केंद्र शासित प्रदेश की शांति और सौहार्द या किसी अल्पसंख्यक समुदाय, एससी / एसटी और बीसी के हित को प्रभावित कर सकता है - कोई भी आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।
3. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद गैर-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के सेवा मामलों, नए करों को लागू करने के प्रस्तावों, भूमि राजस्व, बिक्री, अनुदान या सरकारी संपत्तियों के पट्टे, विभागों या कार्यालयों के पुनर्गठन और मसौदा कानूनों पर फैसला करेगी।
4. मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के बीच मतभेद की स्थिति में जहां एक महीने तक कोई समाधान नहीं होता, वहां उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम माना जाएगा।
5. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में 39 विभाग होंगे।
6. प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों सहित केंद्र से प्राप्त सभी संचार मुख्य सचिव, विचाराधीन मामले के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत किए जाएंगे।
7. कोई भी मामला, जिसमे केंद्र या राज्य सरकार के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को विवाद में लाने की संभावना है, जितनी जल्दी हो सके, संबंधित सचिव द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी और मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाएगा।

विषय 102: 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के बीच अंतर (Difference between 5th and 6th Schedules)

खबर में क्यों?

- लेह में नेता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
- अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य को संविधान की छठी अनुसूची के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित किया है।

<table>
<tr><th></th><th>अनुसूची V</th><th>अनुसूची VI</th></tr>
<tr><td>कवर किया गया क्षेत्र</td><td>(अनुसूचित क्षेत्र)

अधिसूचित जिले या उसके 10 राज्यों के कुछ हिस्से:

1. हिमाचल प्रदेश,
2. राजस्थान
3. गुजरात
4. महाराष्ट्र
5. आंध्र प्रदेश,
6. तेलंगाना,
7. ओडिशा,
8. झारखंड,
9. छत्तीसगढ़ और
10. मध्य प्रदेश</td><td><table><tr><th>असम</th><th>मेघालय</th><th>मिजोरम</th><th>त्रिपुरा</th></tr><tr><td>उत्तरी कछार पहाड़ी,

कार्बी आंगलोंग और

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र</td><td>खासी हिल्स,

जयंतिया हिल्स और

गारो हिल्स</td><td>चकमा,

मारा और

लाई जिले</td><td>त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र</td></tr></table>
प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>संविधान अनुच्छेद</td><td>अनुच्छेद 244

इस अनुच्छेद के तहत, भारत के एक क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा सकता है।

यह एक जनजाति सलाहकार परिषद के गठन के लिए प्रावधान से संबंधित है।</td><td>अनुच्छेद 244A

एक स्वायत्त राज्य का गठन जिसमें असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं और स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण है।

यह स्वायत्त जिले के गठन के लिए प्रावधान (संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के तहत) से संबंधित है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>राष्ट्रपति/राज्य पाल के कार्य</td><td>राज्यपाल के पास संसद और राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों को इस तरह से अनुकूलित करने की शक्ति है कि वह इन क्षेत्रों के अनुकूल हो।

उसे अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में</td><td>स्वायत्त जिलों के रूप में जनजातीय क्षेत्रों को व्यवस्थित करने और पुनर्गठित करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। वह ऐसे जनजातीय क्षेत्रों का नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकते है।

एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हो सकती हैं, जिन्हें बेहतर प्रशासन के लिए राज्यपाल द्वारा स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।</td></tr>
</table>

	निर्दिष्ट क्षेत्रों में संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, रद्द करने या सीमित करने की शक्ति प्राप्त है। (यह तय करने की शक्ति कि क्या कोई केंद्रीय या राज्य विधान अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य पर लागू होता है, राज्यपाल के हाथों में निहित है।) यह राज्यपाल को क्षेत्र के लिए सुशासन और शांति के लिए नियमन करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के लिए किसी भी नियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं, लेकिन केवल भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, वृद्धि, या कमी कर सकता है।	केंद्र और राज्य अधिनियम इन स्वायत्त और क्षेत्रीय परिषदों पर लागू नहीं होते हैं (जब तक कि संशोधित और स्वीकार्य न हो)।

विषय 103: स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) और रेंगमा जनजाति (Autonomous district councils (ADCs) and Rengma tribe)

खबरों में क्यों?

- कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) को एक क्षेत्रीय परिषद में उन्नत करने के केंद्र और राज्य सरकारों के फैसले के बीच असम में रेंगमा नागा एक स्वायत्त जिला परिषद की मांग कर रहे हैं।
- रेंगमा नागालैंड और असम में पाई जाने वाली एक नागा जनजाति है।

स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के बारे में;

- संविधान की छठी अनुसूची जनजातीय आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य पर कानून बना सकती हैं।

- अभी तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र उत्तरी कछार हिल्स, कार्बी आंगलोंग और असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र हैं।
- ADC एक राज्य के भीतर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कॉर्पोरेट संस्था है, जिसे संविधान ने राज्य विधायिका के भीतर स्वायत्तता का अलग-अलग स्तर प्रदान किया है।
- ADC को नागरिक और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। वे राज्यपाल की अनुमति से भूमि, वन, मत्स्य पालन, सामाजिक सुरक्षा, मुखिया/मुखिया की नियुक्ति, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि जैसे मामलों पर भी कानून बना सकते हैं।
- छठी अनुसूची के तहत परिषदों को देश के बाकी हिस्सों में 73 वें (पंचायती प्रणाली) और 74 वें (नगरपालिकाओं) संशोधनों के तहत स्थानीय सरकारों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं।

विषय 104: भाषा और मुंशी-अयंगर सूत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional provisions dealing with Languages and Munshi-Ayyangar formula)

संवैधानिक प्रावधान	विवरण
आठवीं अनुसूची	• भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार, आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गयी है। • इसका उद्देश्य हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देना और इस भाषा के संवर्धन और प्रचार करने के लिए था।
अनुच्छेद 343 (भाग XVII)	• वर्तमान में, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि के साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों है।
अनुच्छेद 344	• संविधान में हिन्दी भाषा के प्रगतिशील प्रयोग की निगरानी का भी प्रावधान है। • इसके लिए सरकार द्वारा क्रमशः प्रत्येक 5 और 10 वर्ष में एक आयोग की नियुक्ति की जाती है। • इन सिफारिशों की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है।
अनुच्छेद 351	• संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे ताकि वह अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।

मुंशी-अयंगर फॉर्मूला	• इस सूत्र के अनुसार, अंग्रेजी को हिंदी के साथ-साथ भारत की राजभाषा के रूप में पंद्रह वर्षों की अवधि तक जारी रखना था, लेकिन सीमा लोचदार थी और विस्तार की शक्ति संसद को दी गई थी।

विषय 105: गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act)

खबरों में क्यों?

- गृह मंत्रालय (MHA) के आंकड़ों के अनुसार 2015 में किए गए लोगों के संबंध में 2019 में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई गिरफ्तारी की संख्या में 72% की वृद्धि हुई है।

आंकड़ों के मुताबिक 2019 में-

UAPA के तहत सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए	1. मणिपुर (306) 2. तमिलनाडु (270) 3. जम्मू और कश्मीर (255) 4. झारखंड (105) और 5. असम (87)
UAPA के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां	1. उत्तर प्रदेश (498) 2. मणिपुर (386) 3. तमिलनाडु (308) 4. जम्मू और कश्मीर (227) और 5. झारखंड (202)

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (**UAPA**) के बारे में

मुख्य बिंदु:

1. UAPA 1967 में पारित हुआ था।
2. इसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संघों की प्रभावी रोकथाम करना है।
3. अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह ऐसा घोषित कर सकता है।
4. इसमें उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है।
5. UAPA के तहत, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं।
6. यह अपराधियों पर उसी तरह लागू होगा, भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
7. 2004 के संशोधन ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपराधों की सूची में एक आतंकवादी अधिनियम जोड़ा, जिसके तहत 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

विषय 106: गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act,

2019)

अगस्त 2019 में, संसद ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया।

मुख्य बिंदु:

1. संसद ने कई परिवर्तन किए और प्राथमिक परिवर्तन हालांकि चौथी अनुसूची को शामिल करना था और व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना था यदि व्यक्ति आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है, आतंकवादी तैयार करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अन्यथा आतंकवाद में शामिल होता है।
2. यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है।
3. यह अधिनियम राज्य में DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा किए गए मामलों के अलावा, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के NIA के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।

विषय 107: विरोध का अधिकार और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा / नियम (Right to Protest and International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)

खबरों में:

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला है कि विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हालांकि, विरोध के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है और इस तरह के स्थान पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है।
- प्रदर्शनकारी के अधिकार को नियमित आने-जाने वाले के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा। उन्हें आपसी सम्मान में सह-अस्तित्व में रहना होगा।
- पीठ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण रोकने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है।

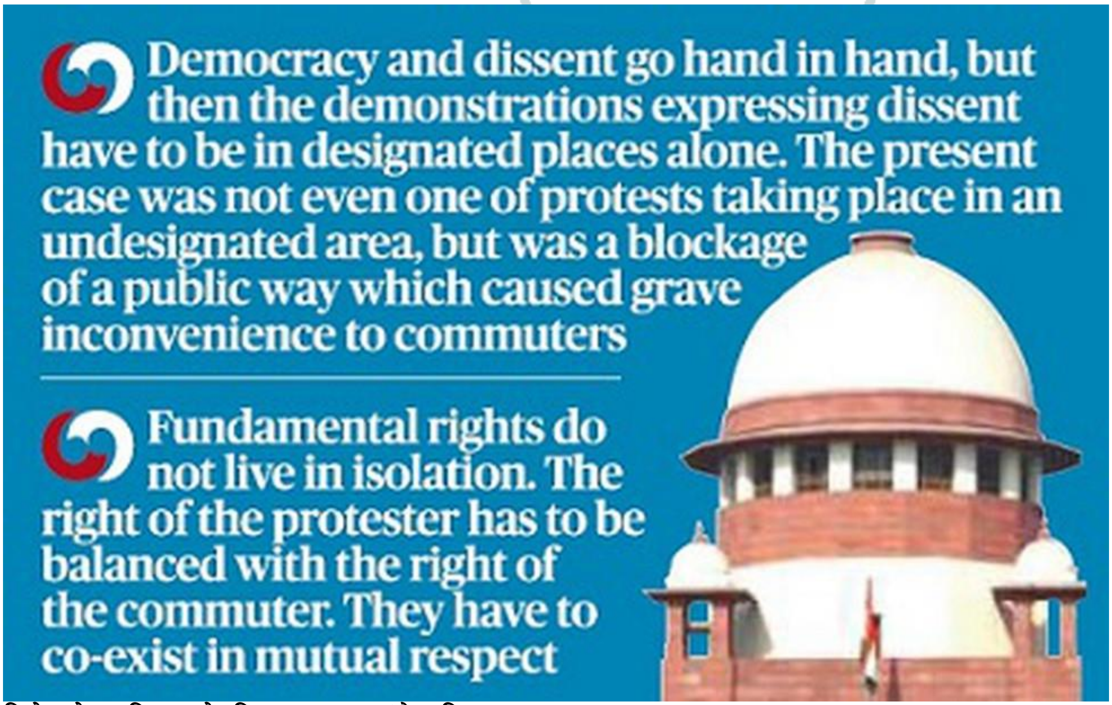

विरोध के अधिकार के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा;

1. अनुच्छेद 19(1) (A) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

2. अनुच्छेद 19(1) (B) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार
3. अनुच्छेद 19(2) एकत्र होने के अधिकार और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध।
4. अनुच्छेद 51A सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा से बचना।
5. रामलीला मैदान घटना पर SC बनाम गृह सचिव, भारत संघ और अन्य (2012)

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (**ICCPR**)

1. यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है।
2. ICCPR की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति करती है।
3. अनुबंध अपनी पार्टियों को व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जिसमें जीवन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार और उचित प्रक्रिया के अधिकार और निष्पक्ष जांच शामिल हैं।
4. ICCPR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICESCR) और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का हिस्सा है।
5. यह 1976 में प्रभावी हुआ।

विषय **108:** राजद्रोह **(Sedition)**

मुख्य बिंदु:

1. इसे सत्ता में सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने के अवैध कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. IPC की धारा 124 A राजद्रोह को परिभाषित करती है।
3. राजद्रोह गैर जमानती अपराध है।
4. धारा 124A के तहत सजा तीन साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक है, जिसमें जुर्माने को जोड़ा जा सकता है।
5. केदार नाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस-SC ने धारा 124A की संवैधानिकता पर फैसला किया।
6. इस कानून का मसौदा मूल रूप से थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था।

विषय **109:** राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम **(National Security Act)**

मुख्य बिंदु:

1. NSA के तहत, किसी व्यक्ति को "राज्य की सुरक्षा" या "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए किसी भी तरह के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लिया जाता है।
2. यह एक प्रशासनिक आदेश है जिसे या तो मंडलायुक्त या जिलाधिकारी द्वारा पारित किया जाता है। यह विशिष्ट आरोपों के आधार पर पुलिस द्वारा आदेशित नहीं किया जाता या यह कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए नहीं है।
3. अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो भी DM उसके खिलाफ NSA लगा सकते हैं।
4. या, यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है, तो उसे NSA के तहत तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।
5. यदि व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, तो उसी व्यक्ति को NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।

6. यह कानून एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को भी छीन लेता है जिसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना है, जैसा तब होता है जब आरोपी पुलिस हिरासत में होता है; हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आपराधिक अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर करने का भी अधिकार नहीं है।
7. साथ ही, नजरबंदी आदेश पारित करने वाले डीएम को अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है: आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।
8. इसलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट NSA के तहत लोगों को हिरासत में लेने की अनियंत्रित राज्य शक्ति के खिलाफ संविधान के तहत गारंटीकृत एकमात्र संरक्षण है।
9. NSA के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रदान की जाती है, जहां हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, जिसमें तीन सदस्य होते हैं; और बोर्ड की अध्यक्षता एक ऐसे सदस्य द्वारा की जाती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो।

विषय 110: नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 16 (Section 16 in the Citizenship Act, 1955)

समाचार: केंद्र ने मौजूदा नियमों के तहत गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों के जिला कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के नागरिकता आवेदनों को स्वीकार करने, सत्यापित करने और मंजूरी देने की शक्ति प्रदान की है।

2019 में पारित नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आने वाले छह गैर-प्रलेखित समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है।

मुख्य बिंदु:

1. नागरिकता एक केंद्रीय विषय है और गृह मंत्रालय समय-समय पर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत गजट अधिसूचना के माध्यम से राज्यों को शक्तियां प्रदान करता है।
2. केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उसे प्रदान की गई कोई भी शक्ति ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है जो इस प्रकार निर्दिष्ट हो।
3. भारतीय नागरिकता आठ आधारों पर प्राप्त की जा सकती है - भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर, किसी भारतीय से विवाहित व्यक्ति द्वारा, नाबालिग बच्चे, जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, एक व्यक्ति द्वारा, जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, भारत के विदेशी नागरिक, भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक बच्चे के देशीयकरण और पंजीकरण द्वारा।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 16 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय कवरेज:

111. पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (The Place of Worship (Special Provisions) Act, 1991)
112. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम (102nd Constitution Amendment Act)
113. SEBC का समावेश और बहिष्करण (Inclusion and Exclusion of SEBC)
114. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register - NPR)
115. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 (2021 World Press Freedom Index)
116. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 (Official Secrets Act 1923)
117. EIU के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 53 वां स्थान। (India ranks 53rd in EIU's Democracy Index)
118. जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद (District Development Councils (DDCs) in J&K)
119. जी किशन रेड्डी समिति (G KISHAN REDDY COMMITTEE)
120. एक राष्ट्र एक आवेदन: राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (One Nation One Application: National e-Vidhan Application (NeVA)

विषय 111: पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (The Place of Worship (Special Provisions) Act, 1991)

मुख्य बिंदु:

1. यह अधिनियम 1991 में एक विशेष कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था ताकि पूजा स्थलों की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को स्थिर किया जा सके।
2. अधिनियम घोषित करता है कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त, 1947 को था।
3. इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा।
4. यह किसी भी कानूनी कार्यवाही को प्रतिबंधित करता है और बशर्ते कि सभी लंबित मामले समाप्त हो जाएंगे, और आगे कोई कार्यवाही दर्ज नहीं की जा सकती है।

पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य

1. किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को 15 अगस्त, 1947 के समान स्थिर करना।
2. किसी भी पूजा स्थल की पिछली स्थिति के बारे में किसी भी समूह द्वारा नए दावों को रोकना।
3. संरचनाओं या भूमि जिस पर वे खड़े थे, को पुनः प्राप्त करने के किसी भी नए प्रयास को रोकना।
4. लंबे समय में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना।

1991 का अधिनियम कुछ मामलों में लागू नहीं होगा -

1. यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं होगा जो प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा कवर किए गए हैं।
2. कानून ने अयोध्या में विवादित ढांचे को अपने दायरे से बाहर रखा, मुख्यतः क्योंकि यह लंबे समय तक मुकदमेबाजी का विषय रहा था। इसका उद्देश्य संभावित बातचीत से समाधान के लिए गुंजाइश प्रदान करना भी था।

विषय 112: 102वां संविधान संशोधन अधिनियम (102nd Constitution Amendment Act)

मुख्य बिंदु:

1. इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया (इसमें अनुच्छेद 338 B जोड़ा गया)
2. पहले NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।
3. 1992 का इंद्रा साहनी मामला - सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया था जो लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़ा वर्ग के चयन, जांच और सिफारिश करने तथा शामिल करने और बहिष्कृत करने की सिफारिश करता है।

NCBC की संरचना

1. आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों सहित पांच सदस्य होते हैं जिन्हे राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।
2. आयोग की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 340 "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है।
2. 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नए अनुच्छेद 338 B और 342 A को सम्मिलित किया।
3. अनुच्छेद 338 B NCBC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।

4. अनुच्छेद 342 A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। हालांकि, यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करना है तो संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

विषय 113: SEBC का समावेश और बहिष्करण (Inclusion and Exclusion of SEBC)

मुख्य बिंदु:

1. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, राज्यों के पास 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े' (SEBC) वर्गों की पहचान करने की कोई शक्ति नहीं है।

2. 102वें CAA के अनुसार, प्रत्येक राज्य के संबंध में केवल राष्ट्रपति ही पिछड़े वर्गों की सूची प्रकाशित कर सकता है और केवल संसद ही इसमें समावेश या बहिष्करण कर सकती है।

क्या आप जानते हैं?

102 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार

1. NCBC के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है।
2. यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र और राज्य SEBC से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे।
3. संशोधन में अनुच्छेद 342 A भी जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में SEBC की एक सूची को अधिसूचित करेंगे।
4. एक बार जब यह 'केंद्रीय सूची' अधिसूचित हो जाती है, तो केवल संसद ही कानून द्वारा सूची में समावेश या बहिष्करण कर सकती है।
5. इसके अलावा, 'SEBC' की परिभाषा को संविधान में जोड़ा गया — 'SEBC' का अर्थ है "ऐसे पिछड़े वर्गों को इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 A के तहत समझा जाता है"।

विषय 114: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register - NPR)

खबर में क्यों?

- केंद्र ने निवासियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) फॉर्म में कॉलम भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर **(NPR)** के बारे में**;**

1. उद्देश्य - देश के प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना।

2. सामान्य निवासी (नागरिकता नियम, 2003 में परिभाषित किया गया है) - सामान्य निवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या वह व्यक्ति जो अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने का इरादा रखता है।

3. डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे।

4. भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण करना अनिवार्य है।

5. NRC के विपरीत, NPR में भारत में रहने वाले विदेशी भी शामिल होंगे।

6. NPR को 1955 के नागरिकता अधिनियम और 2003 में निर्धारित नागरिकता नियमों के सिद्धांतों के तहत विकसित किया जा रहा है।

7. NPR की पूरी कवायद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा की जाएगी।

क्या आप जानते हैं?

- NPR को पहली बार 2010 में एक साथ दशकीय जनगणना अभ्यास के साथ संकलित किया गया था और बाद में 2015 में अपडेट किया गया था। इसमें पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है।

कवर करने के लिए विषय: NRC और NPR के बीच अंतर; NPR और जनगणना; अनुच्छेद 5-11 (भाग 2); नागरिकता अधिनियम 1955 - नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए विभिन्न तरीके

विषय 115: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 (2021 World Press Freedom Index)

मुख्य बिंदु:

1. 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा तैयार किया गया है।
2. इसने पुनः 180 देशों में भारत को 142वें स्थान पर रखा है।
3. 2016 में, भारत की रैंक 133 थी जो 2020 में लगातार गिरकर 142 हो गई है।

RSF की रिपोर्ट के मुताबिक-

1. पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जो अपना काम ठीक से करने की कोशिश कर रहे है।
2. भारत ब्राजील, मैक्सिको और रूस के साथ "खराब" वर्गीकरण साझा करता है।
3. नवीनतम सूचकांक में नॉर्वे फिर से शीर्ष पर रहा, जिसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा, जबकि इरिट्रिया का स्थान अंतिम रहा।
4. चीन 177 वें स्थान पर है, और 179 पर उत्तर कोरिया और 178 पर तुर्कमेनिस्तान है।
5. दक्षिण एशियाई इलाकों में नेपाल 106, श्रीलंका 127, म्यांमार (तख्तापलट से पहले) 140, पाकिस्तान 145 और बांग्लादेश 152 पर है।

विषय 116: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 (Official Secrets Act 1923)

दिल्ली पुलिस ने एक रणनीतिक मामलों के विश्लेषक और दो अन्य को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत गिरफ्तार किया है।

मुख्य बिंदु:

1. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 अनिवार्य रूप से भारत का जासूसी विरोधी कानून है।
2. OSA की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से जुडी हैं। इसका मूल संस्करण भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1889 था।
3. इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने वाले अखबारों को दबाना और चुप कराना था।
4. भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान इसे भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1904 के रूप में संशोधित और अधिक कठोर बनाया गया था।
5. 1923 में, एक नया संस्करण अधिसूचित किया गया था।
6. OSA 1923 मोटे तौर पर दो पहलुओं से संबंधित है -

i. जासूसी या गुप्तचर्या (और)
ii. सरकार की अन्य गुप्त सूचनाओं का खुलासा

7. हालाँकि, OSA गुप्त जानकारी को परिभाषित नहीं करता है।
8. दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सूचना का संचार करने वाले व्यक्ति और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों को OSA के तहत दंडित किया जा सकता है।

विषय 117: EIU के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 53 वां स्थान। (India ranks 53rd in EIU's Democracy Index)

मुख्य बिंदु:

1. भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक में 167 देशों में से दो स्थान नीचे खिसक कर 53 वें स्थान पर आ गया है।
2. 0-10 के पैमाने पर सूचकांक में भारत का कुल स्कोर 6.61 है।
3. भारत को एक 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. डेमोक्रेसी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी की गई वैश्विक रैंकिंग है जो दुनिया भर में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति का एक आशुचित्र (Snapshot) प्रदान करती है।

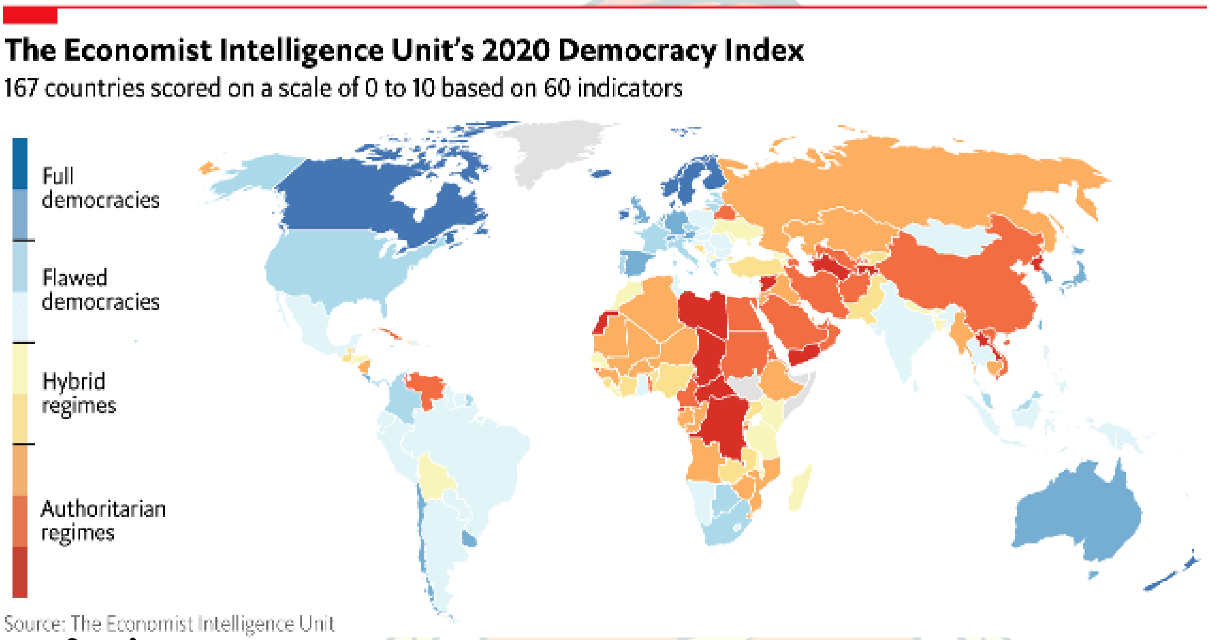

मुख्य निष्कर्ष:

- सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर है।
- आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा सूची में शीर्ष पांच देश हैं।
- 167 देशों में से, लोकतंत्र सूचकांक ने 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्रों के रूप में, 52 को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों के रूप में, 35 को संकर शासन के रूप में और 57 को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया है।

विषय 118: जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद (District Development Councils (DDCs) in J&K)

केंद्र ने जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद (DDC) की स्थापना की सुविधा के लिए जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन किया है।

मुख्य बिंदु:

1. DDC जम्मू और कश्मीर में शासन की एक नई इकाई के रूप में कार्य करेगा।

2. इस संरचना में एक DDC और एक जिला योजना समिति (DPC) शामिल होगी।
3. यह प्रणाली सभी जिलों में जिला योजना एवं विकास बोर्ड की जगह लेगी।
4. यह जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को भी तैयार और अनुमोदित करेगा।
5. DDC का कार्यकाल पांच साल का होगा।
6. चुनावी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।
7. जिले के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (या अतिरिक्त DC) जिला विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

DDC की क्या भूमिका है?

- डीडीसी अपने अधिकार के तहत क्षेत्र के विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- अब प्रत्येक DDC में वित्त, विकास, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और कल्याण के लिए पांच स्थायी समितियां गठित की जाएंगी।

विषय 119: जी किशन रेड्डी समिति (G KISHAN REDDY COMMITTEE)

मुख्य बिंदु:

1. केंद्र ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा और केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है।
2. इस समिति की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे और इसमें लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।
3. समिति बनाने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद किया, जिन्होंने लद्दाख की अनूठी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

विषय 120: एक राष्ट्र एक आवेदन: राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (One Nation One Application: National e-Vidhan Application (NeVA)

मुख्य बिंदु:

1. 'ई-विधान' डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं (MMP) में से एक है।
2. इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA)
3. NeVA की फंडिंग केंद्रीय प्रायोजित योजना की तर्ज पर है यानी 60:40; और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%।
4. ई-विधान के लिए वित्त पोषण MoPA द्वारा प्रदान किया जाता है।
5. तकनीकी सहायता: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।

क्या आप जानते हैं?

- पेपरलेस असेंबली या ई-असेंबली एक अवधारणा है जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल हैं।

- यह संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।
- NeVA का उद्देश्य: देश की सभी विधायिकाओं को एक साथ लाने के लिए, एक मंच में जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक बड़े पैमाने पर डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण होता है।
- इसके अलावा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की लाइव वेबकास्टिंग भी इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है।
- दूरदर्शन को राज्य विधानसभाओं के संबंध में समान सुविधाओं को शामिल करने के प्रावधान के साथ पहले ही सक्षम कर दिया गया है।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 29 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

201. प्रश्न काल (Question Hour)

202. इनर लाइन परमिट (Inner line Permit)

203. समेकित ऋण शोधन निधि (Consolidated sinking fund)

204. राष्ट्रपति के महाभियोग की तुलना (Comparison of Impeachment of president)

205. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति (Removal of Supreme court judge)

206. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning power of governor)

207. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2021 (GNCT of Delhi (Amendment) Act, 2021)

208. राजभाषा आयोग (Official Languages Commission)

209. लाभ का पद (Office of Profit)

210. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

201. प्रश्न काल (Question Hour)

समाचार में: चल रहे COVID-19 महामारी के मद्देनजर, लोकसभा और राज्यसभा ने संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल और निजी सदस्यों के कामकाज को निलंबित कर दिया।

- 1962 (भारत-चीन युद्ध), 1971 (पाकिस्तान के साथ युद्ध), 1975 (आपातकाल), 1976 (आपातकाल), 1991, 2004 और 2009 के पिछले वर्षों में भी विभिन्न कारणों से प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया था।

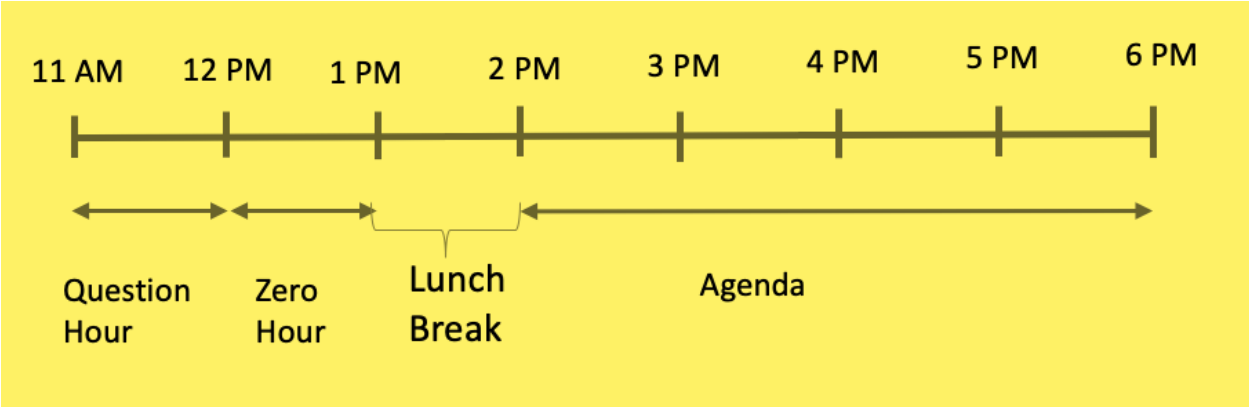

प्रश्न काल के बारे में -

- प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
- प्रश्न निजी सदस्यों (सांसद जो मंत्री नहीं हैं) से भी पूछे जा सकते हैं।
- विनियमन: इसे संसदीय नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। प्रश्नकाल के संचालन के संबंध में दोनों सदनों (राज्य सभा और लोकसभा) के पीठासीन अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं।
- नियमितता: प्रश्नकाल लोकसभा (1952 से) और राज्यसभा (1964 से) दोनों में हर दिन आयोजित किया जाता है।
- सूचना अवधि: संसद में कोई प्रश्न पूछने से पहले सदस्य को निर्धारित तरीके से सभापति/स्पीकर को 15 दिन का नोटिस देना होता है। इस तरह की अवधि को सभापति/स्पीकर के विवेकाधिकार पर कम किया जा सकता है।
- प्रश्नों की संख्या की सीमा: प्रश्न के संबंध में अनुमेय सीमा लोकसभा में प्रति सदस्य प्रति दिन केवल पांच और राज्यसभा में प्रति दिन सात है।

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों के प्रकार

	तारांकित प्रश्न (**Starred question**)	ये हरे रंग में मुद्रित होते हैं।	• ये एक तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं। • इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
	अतारांकित प्रश्न (**Unstarred questions**)	ये सफेद रंग के होते हैं।	• इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
	अल्प सूचना प्रश्न (**Short notice questions**)	ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं।	• इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। • दस दिन से कम समय का नोटिस देकर इनका उत्तर मांगा जाता है। • इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
	निजी सदस्यों से प्रश्न	ये पीले रंग के होते हैं।	• इन प्रश्नों का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम **40** के तहत किया जाता है। • ऐसे प्रश्न को एक निजी सदस्य को संबोधित किया जा सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प से संबंधित है जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार है।

शून्य काल

- शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है।
- इसके तहत सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं।
- शून्य काल, प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची (अर्थात् सदन का नियमित कार्य) शुरू नहीं हो जाती।
- दूसरे शब्दों में, प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को शून्य काल के रूप में जाना जाता है।

202. छठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट (Sixth Schedule and Inner line Permit)

समाचार में: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से पूरे राज्य को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

- वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश में 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (**Bengal Eastern Frontier Regulation - BEFR Act of 1873**) अधिनियम है जो भारत के सभी नागरिकों को बिना वैध इनर लाइन परमिट (**Inner Line Permit**) के अरुणाचल में प्रवेश करने से रोकता है।

छठी अनुसूची के बारे में -

- संविधान की छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के प्रावधान के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए आदिवासी समुदायों को शक्ति प्रदान करती है।

- अनुच्छेद **244** 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की विशेष प्रणाली प्रदान करता है।
- अनुच्छेद **275** भारत की संचित निधि पर प्रभारित किए जाने वाले सांविधिक अनुदानों का प्रावधान करता है। इस तरह के अनुदानों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुदान भी शामिल हैं।

इनर लाइन परमिट **(Inner line Permit)** के बारे में -

- एक दस्तावेज जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य का दौरा करने की अनुमति देता है।
- यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, **1873 (Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1873)** के तहत ब्रिटिश युग का नियमन है।
- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम इनर लाइन द्वारा संरक्षित हैं, और हाल ही में मणिपुर को भी इसमें जोड़ा गया है।
- भूटान के नागरिक को छोड़कर प्रत्येक विदेशी को सक्षम प्राधिकारी से संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त करना होता है।

	पांचवी अनुसूची	छठी अनुसूची
प्रयोज्यता	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान।	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
द्वारा निर्मित	राज्य विधानमंडल अधिनियम	छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं।
स्वायत्तता	• पेसा (अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996) • ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन • पांचवीं अनुसूची जनजातीय सलाहकार परिषदों के पास केवल सलाहकार शक्तियां हैं।	बृहत्तर स्वायत्तता शक्तियों में शामिल हैं - • विधान: कैंटर/राज्य के अधिनियम को राज्यपाल के अनुमोदन से सीमित करने की शक्ति। • कर राजस्व: केंद्र से संग्रह और अनुदान। • नियामक: स्कूल, औषधालय, बाजार, सड़क आदि। • न्यायिक: आदिवासी मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम अदालतें, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट एचसी का अधिकार क्षेत्र।

क्या आप जानते हैं?

- अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन (अनुच्छेद **368** के बाहर) की आवश्यकता है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम **(CAA), 2019** छठी अनुसूची क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट क्षेत्रों को छूट देता है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338ए) ने संविधान की छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 'जनजातीय क्षेत्र' घोषित करने की सिफारिश की है।

- 83 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 ने अरुणाचल प्रदेश राज्य को अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण के आवेदन से मुक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 M की शुरुआत की है।
    - अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी आदिवासी लोग रहते हैं। राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। राज्य विधानसभा और राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समाज की जातिविहीन संरचना उपरोक्त संशोधन का आधार थी।

203. समेकित ऋण शोधन निधि (Consolidated Sinking Fund - CSF)

समाचार में: राज्य चाहते है कि RBI CSF में जमा धन का उपयोग करने के बारे में मानदंडों को शिथिल करे।

इसके बारे में

- CSF अपने ऋण दायित्वों को बफर (Buffer) करने के लिए राज्यों द्वारा बनाई गई एक आरक्षित निधि है। इसका रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
- इस कोष को पहली बार दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था और राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित खुले बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए वर्ष 1999-2000 में गठित किया गया था।
    - ऋणमुक्ति समय के साथ किए गए नियमित भुगतान के साथ ऋण का भुगतान करने की प्रक्रिया है। निश्चित भुगतान खाते पर मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करते हैं।
- राज्य सरकार CSF को अपनी वार्षिक बकाया ऋण देनदारियों का 1-3% योगदान दे सकता है।
- प्रारंभ में, 11 राज्यों ने सिंकिंग फण्ड (Sinking Fund) की स्थापना की। बाद में, **12** वें वित्त आयोग **(2005-10)** ने सभी राज्यों की सिफारिश की।

सीएसएफ बनाने का मुख्य उद्देश्य था

- सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना
- सभी देनदारियों के परिशोधन के लिए गुंजाइश
- अच्छा राजकोषीय शासन सुनिश्चित करना और उनके वित्त को मजबूत करना
- इन राज्यों, विशेष रूप से पुराने राजस्व घाटे वाले राज्यों में वित्त के पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करना।
- राजकोषीय परिचालन और ऋण स्थिरता में अधिक पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- बारहवें वित्त आयोग के सुझावों के आलोक में, बैंकों से ऋण, और राष्ट्रीय लघु बचत कोष के कारण देनदारियों को भी ऋणों के परिशोधन में शामिल किया जाना चाहिए।
- निधि को राज्यों के समेकित निधि के बाहर वित्तपोषित किया जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल ऋणों के मोचन के लिए किया जाना चाहिए।

क्या आरबीआई राज्य की छूट की मांग पर सहमत है?

- हां, आरबीआई ने CSF से निकासी से संबंधित नियमों में ढील देने का फैसला किया, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया कि फंड बैलेंस की कमी विवेकपूर्ण तरीके से की जाए।

- राज्यों को ये छूट लगभग 13,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करेगी जो राज्यों को CSF से वित्तीय वर्ष में होने वाले बाजार उधार के मोचन का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने में सक्षम करेगी।

204. राष्ट्रपति के महाभियोग की तुलना (Comparison of Impeachment of president)

समाचार में: डोनाल्ड ट्रम्प पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने है जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है।

	अमेरिका में महाभियोग	भारत में महाभियोग
आधार	देशद्रोह रिश्वत या कोई अन्य उच्च अपराध	संविधान का उल्लंघन
आरंभ	हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव	संसद के किसी भी सदन में
पहले सदन में प्रक्रिया	साधारण बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जांच शुरू किया जाता है।	1/4 सदस्य आरोपों को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत।
दूसरे सदन में प्रक्रिया	सीनेट में जांच और परीक्षण। सीनेट वोटों के 2/3 के साथ पारित।	आरोपों की जांच। समान बहुमत से पारित।

205. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति (Removal of Supreme court judge)

समाचार में: उपराष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ राज्यसभा के 71 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश की ओर से किसी भी "सिद्ध दुर्व्यवहार" या "अक्षमता" की अनुपस्थिति का हवाला दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है?

- महाभियोग के आधार: साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता
- न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के तहत, CJI या अनुसूचित जाति न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाना चाहिए।
- लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर CJI / SC जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी हैं।
- प्रस्ताव पेश होने के बाद इसे लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को स्वीकार करना होगा।

- यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और एक उल्लेखनीय न्यायविद शामिल होंगे।
- यदि तीन सदस्यीय समिति आगे प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला करती है, तो इस मामले को सदन में चर्चा के लिए ले जाया जाएगा, जहां इसे मूल रूप से पेश किया गया था।
- भारतीय संविधान के अनुसार चाहे जो भी सदन प्रस्ताव पेश करे, उसे दूसरे सदन से भी पारित होना होगा। दोनों सदनों (अनुच्छेद **124 (4)**) में दो तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद ही यह प्रस्ताव अंत में भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा।
- इस मामले में यदि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अंतिम निर्णय करेंगे।

संबंधित समाचार: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक **SC** जज की ओर से कदाचार के बारे में शिकायत करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है।

इन वर्षों में, कदाचार के मामलों की जांच के लिए तीन तंत्र विकसित हुए हैं, जिनमें न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अक्षमता के मामले शामिल हैं।

- इन-हाउस कार्यपद्धति (1999)
- यौन उत्पीड़न दिशानिर्देश।
- सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए महाभियोग (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है)

	SC की इन-हाउस प्रक्रिया	**2013 SC यौन उत्पीड़न विनियमन**
कौन शिकायत दर्ज करा सकता है?	कोई भी व्यक्ति	लिखित शिकायत के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार महिला।
जिन व्यक्तियों को शिकायत दर्ज की जानी चाहिए	भारत के मुख्य न्यायाधीश **(CJI)** या भारत के राष्ट्रपति	सुप्रीम कोर्ट की लैंगिक संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति (GSICC)
प्रारंभिक जांच	• CJI को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि शिकायत या तो तुच्छ है या गंभीर है। • यदि CJI को पता चलता है कि शिकायत में गंभीर दुर्व्यवहार या अनियमितता शामिल है, तो वह संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया मांगेगा। • प्रतिक्रिया और सहायक सामग्रियों के आधार पर, यदि CJI पाता है कि शिकायत को गहन जांच की आवश्यकता है, तो वह एक जांच समिति का गठन करेगा।	यदि GSICC संतुष्ट है कि शिकायत वास्तविक है, तो यह शिकायत में जांच करने के लिए तीन सदस्यीय आंतरिक उप-समिति का गठन करेगी।
जांच समिति की संरचना	• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीश।	समिति में GCC के सदस्य या GSICC द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे, जिसमें अधिकांश सदस्य एक महिला और एक बाहरी सदस्य होंगे।

206. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (Pardoning power of governor)

समाचार में: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी 'ए जी पेरारिवलन' की सजा की माफी तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष दो साल से अधिक समय से लंबित है।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72	
क्षमा (Pardon)	पूर्ण दोषमुक्ति
लघुकरण (Commutation)	सजा की प्रकृति को कम करना। उदाहरण के लिए – कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
विराम (Respite)	कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। जैसे- गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को साधारण कारावास में बदलना।
प्रविलंबन (Reprieve)	प्रविलंबन का तात्पर्य है, मौत की सजा का अस्थायी निलंबन करना।
परिहार (Remission)	सजा की प्रकृति को बदले बगैर उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए – एक साल के कारावास को कम करके 6 माह कर देना।

अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

- क्षमा (Pardon), लघुकरण (Commutation), परिहार (Remission), विराम (Respite), प्रविलंबन (Reprieve) - राज्य के कानूनों के खिलाफ दंड।
- मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते।
- कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते।
- राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
- Cr.P.C धारा 435- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए किसी भी मामले के लिए केंद्र से परामर्श करना होगा।

207. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2021 (GNCT of Delhi (Amendment) Act, 2021)

- समाचार में: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2021 जो शहर में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल (एल-जी) को प्रधानता देता है, लागू हो गया है।
    - GNCTD अधिनियम 1991 में अनुच्छेद 239AA के संवैधानिक प्रावधान के पूरक के लिए अधिनियमित किया गया था। यह दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।

  संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- 'सरकार' शब्द का अर्थ उपराज्यपाल है।
- यह अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है जहां विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है।

- सरकार के लिए सभी मामलों पर उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य बनाता है।
- संशोधन में यह भी कहा गया है कि "विधानसभा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करने के लिए खुद को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी"।

आलोचना:

- नवीनतम संशोधन दिल्ली सरकार की दक्षता और समयबद्धता को बहुत कम कर देगा, जिससे किसी तत्काल कार्रवाई की मांग वाली स्थिति में भी सरकार को उपराज्यपाल के साथ परामर्श करना अनिवार्य हो जाएगा।
- गौरतलब है कि उपराज्यपाल एक समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

- इसमें दो नए अनुच्छेद **239AA** और **239AB** जोड़े गए जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है।
- अनुच्छेद **239AA** में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा।
    - यह दिल्ली के लिए एक विधान सभा का भी प्रावधान करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बना सकता है।
    - यह दिल्ली के लिए मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान करता है जिसमें विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अनुच्छेद **239AB** में प्रावधान है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद **239AA** के किसी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) जैसा है।

208. राजभाषा आयोग (Official Languages Commission)

समाचार में: हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने की सिफारिश की, ताकि शासन में अधिक स्थानीय भाषाओं को शामिल किया जा सके, न कि इसे केवल हिंदी और अंग्रेजी तक ही सीमित रखा जा सके।

अनुच्छेद **344** – राजभाषा आयोग

- आयोग में आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।
- कार्य:
    - हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना।
    - अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध के संबंध में।
    - किसी भी अन्य भाषा का उपयोग।
    - उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप।
    - राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य विषय।

- एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति (लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10) आयोग की सिफारिशों को देखने और राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए।

राजभाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का भाग **XVII** अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद **343(1),** देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी।
- अनुच्छेद **343(3)** ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी को जारी रखने के लिए प्रावधान किए ताकि संसद को उस प्रभाव के लिए कानून बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
- अनुच्छेद **344(1)** संविधान के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद **348 (1)** में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान न करे।
- अनुच्छेद **351** में हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए प्रसार का प्रावधान है ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।

209. लाभ का पद (Office of Profit)

समाचार में: लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति ने लाभ के पद की परिभाषा पर अस्पष्टता को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन की लंबे समय से लंबित मांग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है।

लाभ के पद को संविधान में या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न अदालतों ने इसकी व्याख्या कुछ ऐसे कर्तव्यों के साथ की है जो सार्वजनिक चरित्र के कम या ज्यादा हैं।

- इसके लिए विधायकों को बिना किसी बाध्यता के अपने कर्तव्यों का निर्वहन निः शुल्क तरीके से करना होगा।
- लाभ का पद कानून केवल संविधान की एक बुनियादी विशेषता - विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, को लागू करने का प्रयास करता है।

कानूनी प्रावधान:

- अनुच्छेद **102 (1)** और अनुच्छेद **191 (1)** के तहत, किसी सांसद या विधायक को केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करने से रोक दिया जाता है।
- इसके अलावा **RPA 1951** के तहत, लाभ का पद धारण करना अयोग्यता का आधार है।
- संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, **1959** उन कार्यालयों की संख्या को सूचीबद्ध करता है जिन्हें अयोग्यता से छूट प्राप्त है।

परिभाषा: प्रद्युम्न बोरदोलोई मामले में **SC** द्वारा

- सरकार नियुक्ति, हटाने पर नियंत्रण करती है या नहीं।
- क्या कार्यालय के पास इससे जुड़ा कोई पारिश्रमिक है।
- क्या जिस निकाय में पद है, उसके पास सरकारी शक्तियां हैं।

- क्या पद धारक को संरक्षण के माध्यम से प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।

210. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

समाचार में: लोकसभा अध्यक्ष ने परिसीमन आयोग (DC) की सहायता के लिए 15 सांसदों को मनोनीत किया है।

परिसीमन देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा/सीमा निर्धारित करने का कार्य है।

संवैधानिक जनादेश:

- अनुच्छेद **82:** संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करती है।
- अनुच्छेद **170**: केंद्र और राज्यों को समान कमीशन।
- आयोग के आदेशों में कानून का बल है।
- पिछला आयोग: 1952, 1963, 1973, 2002. 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं (जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए)
- **84** वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम**, 2002** ने 2026 तक के लिए परिसीमन पर रोक लगा दी।

  रचना -
- पदेन सदस्य:
- सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- राज्य चुनाव आयुक्त (संबंधित राज्यों के)

  कार्य:
- निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन।
- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या बनाए रखना (व्यावहारिक रूप से संभव)
- आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की पहचान करना।
- परिसीमन के संबंध में जनता की राय लेना।
- परिवर्तनों को अपनाने के लिए।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 30 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

211. वापस बुलाने का अधिकार (Right to Recall)

212. जीएसटी परिषद (GST Council)

213. मुख्य सचिव (Chief Secretary)

214. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 (104th Constitutional Amendment Act, 2020)

215. विधान परिषद (Legislative Council)

216. नए जिलों का गठन कैसे होता है? (How are new districts carved?)

217. संविधान का अनुच्छेद 244(ए). (Article 244 (A) of the constitution)

218. वित्तीय आपातकाल - अनुच्छेद 360 (Financial Emergency - Article 360)

219. अनुच्छेद 356 (Article 356)

220. संविधान का अनुच्छेद 254(2) (Article 254 (2) of the Constitution)

211. वापस बुलाने का अधिकार (Right to Recall)

समाचार में: हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया, जो पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है।

राइट टू रिकॉल (**Right to Recall)** के बारे में -

- राइट टू रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाताओं को निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की शक्ति होती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का एक उदाहरण है।
- विधेयक ग्राम सरपंचों और ब्लॉक-स्तरीय और जिला-स्तरीय पंचायतों के सदस्यों को वापस बुलाने की अनुमति देता है यदि वे प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं।
- वापस बुलाने के लिए, एक वार्ड या ग्राम सभा के **50%** सदस्यों को लिखित में देना होगा कि वे कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं।
- इसके बाद एक गुप्त मतदान होगा, जिसमें उनके वापस बुलाने के लिए दो-तिहाई सदस्यों को उनके खिलाफ मतदान करना होगा।

	प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन	
1	जनमत संग्रह **(Referendum)**	मतदाताओं को एक विशिष्ट राजनीतिक, संवैधानिक या विधायी मुद्दे पर प्रत्यक्ष वोट देने की अनुमति देता है। इसका परिणाम सरकार पर बाध्यकारी है।
2	नागरिक पहल **(Citizen Initiative)**	एक मुद्दे पर मतदान जो पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा करता है।
3	जनमत संग्रह **(Plebiscite)**	आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लोगों के एक वर्ग द्वारा मतदान।
4	कार्यसूची **(Agenda)**	किसी प्राधिकरण के विचार के लिए एक एजेंडा रखता है।

212. जीएसटी परिषद (GST Council)

समाचार में: महामारी के मद्देनजर जीएसटी परिषद की बैठक नहीं हुई है।

- GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसे संविधान **(101** वां संशोधन) अधिनियम, **2016** द्वारा पेश किया गया था।
- यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करता है।

GST परिषद के सदस्य:

- केंद्रीय वित्त मंत्री (परिषद के अध्यक्ष)

- केंद्र के राजस्व या वित्त प्रभारी राज्य मंत्री
- सभी राज्यों के राजस्व या वित्त मंत्री।

GST परिषद के कार्य:

- कर दरों की सिफारिश करने के लिए।
- कर दरों में छूट की सिफारिश करने के लिए - कुछ राज्य, प्राकृतिक आपदाएँ, आदि।
- कोरम - 50 प्रतिशत
- वोटों का भार - केंद्र के लिए 1/3 और राज्यों के लिए 2/3
- बहुमत - भारित मतों का 3/4
- साथ ही, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र स्थापित करने की शक्ति है।

101वां संविधान संशोधन:

- अनुच्छेद 246 A, अनुच्छेद 269 A, और अनुच्छेद 279 A नामक नए अनुच्छेदों का सम्मिलन;
- कुछ प्रविष्टियों को हटाकर या संशोधित करके संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन।

अनुच्छेद **246 A:**

- केंद्र और राज्य GST के लिए कानून बनाने के लिए संघ और राज्य विधायी की शक्ति।
- जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार।

अनुच्छेद **269A:**

- अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर जीएसटी केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा।
- और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित केंद्र और राज्यों के बीच विनियोजित।

213. मुख्य सचिव (Chief Secretary)

समाचार में: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एलन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दिया है।

इसके बारे में -

- मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद होता है।

1	नियुक्ति	• मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा 'चुना जाता है'।

		• चूंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्रवाई होती है, इसलिए इसे राज्य के राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है।
2	पद	• मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं। • राज्य के मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जो आम तौर पर भारत सरकार के सचिव के रैंक के बराबर होते हैं और उन्हें भारतीय प्राथमिकता के क्रम में 23 वें स्थान पर रखा जाता है। • केंद्र शासित प्रदेशों में, जो प्रशासकों द्वारा शासित होते हैं, मुख्य सचिव अनुपस्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा प्रशासक के सलाहकार की नियुक्ति की जाती है।
	कार्यकाल	• मुख्य सचिव के कार्यालय को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। • इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।
	कार्य	• मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। • ये संकट प्रबंधन समूह का अध्यक्ष होता है। • वह संकट प्रशासक-इन-चीफ के रूप में कार्य करता है और वस्तुतः राहत कार्यों से संबंधित सभी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। • वह राज्य सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों के स्थानांतरण/पोस्टिंग की सिफारिश करता है। • सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। • वह कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और यदि आवश्यक हो तो वह कैबिनेट और उसकी उप-समितियों की बैठक में भाग लेता है। • कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करता है और इसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। • सभी राज्य सिविल सेवकों के लिए विवेक-रक्षक होता है। • वह राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। वह अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है। • वह अंतर-विभागीय विवादों के लिए गठित समन्वय समितियों के अध्यक्ष होता है। • वह अवशिष्ट विरासत (**Residuary Legatee**) के रूप में कार्य करता है और उन सभी मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों के दायरे में नहीं आते हैं। • वह राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। • वह संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के बीच संचार का प्रमुख माध्यम है।

		• सचिवालय भवन, मंत्रियों से जुड़े कर्मचारियों, केंद्रीय अभिलेख शाखा, सचिवालय पुस्तकालय, सचिवालय विभागों के संरक्षण और निगरानी और वार्ड कर्मचारियों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

214. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 (104th Constitutional Amendment Act, 2020)

- 104 वां CAA लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए समाप्ति की समय सीमा को 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ाता है।
- यह अधिनियम अनुच्छेद **334** में संशोधन के पश्चात 25 जनवरी 2020 को लागू किया गया था।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण 26 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला था, जैसा कि 95 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था, लेकिन इसे अगले 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ा दिया गया था।
- हालांकि, 104 वां CAA एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित 2 लोकसभा सीटों के आरक्षण की अवधि का विस्तार नहीं करता है।
  - इस प्रकार भारत के प्रधान मंत्री की सिफारिश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नामित करने की प्रथा को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया।

संविधान का अनुच्छेद **334** लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नामांकन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। यह 1960 तक केवल 10 वर्षों के लिए वैध था। हालाँकि, बाद में हुए संशोधनों ने इन आरक्षणों को बढ़ा दिया है।

	अनुच्छेद **334**	**1960** तक वैध
	8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1959	1970 तक बढ़ाया गया।
	23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969	1980 तक बढ़ाया गया।
	45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1980	1990 तक बढ़ाया गया।
	62वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1989	2000 तक बढ़ाया गया।
	79वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1999	2010 तक बढ़ाया गया।
	95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009	2020 तक बढ़ाया गया।

215. विधान परिषद (Legislative Council)

समाचार में: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने विधान परिषद की स्थापना को मंज़ूरी दी है।

- जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के माध्यम से राज्यों में विधान सभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है।
- राज्य सभा की तरह, विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात यह एक स्थायी निकाय है जो विघटित नहीं होती है।
- विधान परिषद (MLC) के एक सदस्य का कार्यकाल छह साल का होता है, जिसमें एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं।

	अनुच्छेद **169** - विधान परिषद का निर्माण और उन्मूलन:	• संविधान के अनुच्छेद **169** के अनुसार, राज्यों को विधानपरिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिये प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत (**2/3**) से पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधानपरिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। • जब एक विधान परिषद का गठन या समाप्ती होती है, तो संविधान भी बदल जाता है। हालाँकि, फिर भी, इस प्रकार के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। • राज्य विधान परिषद बनाने और समाप्त करने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की भी सहमति होनी चाहिए।
	विधान परिषदों की **सदस्य संख्या** -अनुच्छेद **171**	• विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई है। • इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 सदस्य है।
	विधान परिषद की संरचना	• एक तिहाई MLC राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, • एक और 1/3 एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें स्थानीय सरकारों जैसे नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों के मौजूदा सदस्य शामिल हैं, • 1/12 शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा और दूसरी 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा। • शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए नियुक्त किया जाता है।
	पात्रता मापदंड	• भारतीय नागरिक जिनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष है; • एक व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता।

अतिरिक्त जानकारी

- विधान परिषद वाले छह राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक है।
- 1985 में संसद ने आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया, लेकिन मार्च 2007 में इसे पुनः बहाल कर दिया गया।
- 2020 में, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अंततः परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी बाकी है।
- 2019 में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसने जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में घटा दिया।

स्मरण रखें

- संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
  - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
  - नए राज्यों का गठन।
  - मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
  - राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।
  - नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति।
- लेकिन DPSP और FR में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

216. नए जिलों का गठन कैसे होता है? (How are new districts carved?)

समाचार में: पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर मेलारकोटला राज्य का 23वां जिला बन गया है।

जिलों को बदलने की प्रक्रिया

- नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
- यह या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है।
- कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग को पसंद करते हैं।
- राज्यों का तर्क है कि छोटे जिले बेहतर प्रशासन और शासन की ओर ले जाते हैं।
- परिसीमन के दौरान जिले को बनाने की राज्य की शक्ति निलंबित होती है।

जिलों को बदलने या नए बनाने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय तब सामने आता है जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है। राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी लेने के लिए अन्य विभागों को भेजा जाता है:

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

- इंटेलिजेंस ब्यूरो
- डाक विभाग
- भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण
- रेल मंत्रालय

क्या आप जानते हैं?

- **2011** की जनगणना के अनुसार देश में कुल **593** जिले थे। 2001-2011 के बीच राज्यों द्वारा 46 जिलों का निर्माण किया गया।
- हालांकि 2021 की जनगणना होना अभी बाकी है, लेकिन वर्तमान में देश में 718 जिले हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण भी संख्या में वृद्धि हुई है।

217. संविधान का अनुच्छेद 244(A) (Article 244 (A) of the constitution)

समाचार में: संविधान के अनुच्छेद 244 (A) के प्रावधानों के तहत असम में समाज के कुछ वर्गों द्वारा असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई गई है।

अनुच्छेद **244 A** के बारे में:

- यह कुछ जनजातीय क्षेत्रों में असम के भीतर एक 'स्वायत्त राज्य' के निर्माण की अनुमति देता है।
- यह स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण की भी परिकल्पना करता है।
- इसे **22**वें संविधान संशोधन अधिनियम, **1969** द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था।
- अनुच्छेद **244 (A)** में छठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां दी गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण है।
    - छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों में, उनके पास कानून और व्यवस्था का क्षेत्राधिकार नहीं है।

एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

- 1950 के दशक में, अविभाजित असम की आदिवासी आबादी के कुछ वर्गों के आसपास एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठी।
- मेघालय 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले शामिल थे।
- लंबे आंदोलन के बाद 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला।
- कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।

- वे पीछे रह गए क्योंकि केंद्र ने उन्हें अनुच्छेद 244 (A) सहित अधिक शक्तियों का वादा किया था।
- 1980 के दशक में, अधिक शक्ति/स्वायत्तता की मांग ने हिंसा का सहारा लेने वाले कई कार्बी समूहों के साथ एक आंदोलन का रूप ले लिया। यह जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाला एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह बन गया।

स्मरण रखें

- संविधान की छठी अनुसूची इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदान किया गया है।
- असम में, दीमा हसाओ (Dima Hasao), कार्बी आंगलोंग (Karbi Anglong) और पश्चिम कार्बी और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी जिले छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत हैं।

218. वित्तीय आपातकाल - अनुच्छेद 360 (Financial Emergency - Article 360)

संदर्भ: महामारी के मद्देनजर वित्तीय संकट ने वित्तीय आपातकाल पर बहस को पुनर्जीवित किया है।

- अनुच्छेद **360** राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है।
- वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

- राज्यों के वित्तीय मामलों पर संघ के कार्यकारी अधिकार का विस्तार। केंद्र सरकार वित्तीय मामलों के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकती है।
- राष्ट्रपति राज्यों को सरकारी सेवा में व्यक्तियों के वेतन और भत्तों को कम करने के लिए कह सकता है।
- राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यों को संसद के विचार के लिए सभी धन विधेयकों को आरक्षित करने के लिए कह सकते हैं।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती।

219. अनुच्छेद 356 - राष्ट्रपति शासन (Article 356 - President's Rule)

- अनुच्छेद 355 केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है।

- यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेता है। इसे लोकप्रिय रूप से 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार

- यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा वह आश्वस्त होता है कि किसी राज्य को संविधान के अनुसार शासित नहीं किया जा रहा है।
    - यदि कोई राज्य मामलों पर संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे यह अधिकार है। तब राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है।
- राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
    - राष्ट्रपति शासन छह महीने की अवधि के लिए बना रहता है।
    - बाद में, इसे हर छह महीने में संसदीय मंजूरी के साथ तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
    - 44वें CAA के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल होने पर इसे 3 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है।
    - भारत का चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति शासन के परिणाम: जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं:
    - वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में निहित शक्तियों को ले सकता है।
    - वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना है।
    - जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है।
    - वह राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है।
- न्यायिक समीक्षा का दायरा:
    - 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 356 को अंतिम और निर्णायक लागू करने में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया, जिसे किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी।

- लेकिन, इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था, जिसका अर्थ था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।

220. संविधान का अनुच्छेद 254(2) (Article 254 (2) of the Constitution)

समाचार में: कांग्रेस ने अनुच्छेद 254 (2) के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम और नए कृषि अधिनियमों का मुकाबला करने पर विचार किया है।

- संविधान का अनुच्छेद 254 (2) अनिवार्य रूप से एक राज्य के कानून को कुछ परिस्थितियों में एक परस्पर विरोधी केंद्रीय कानून पर हावी होने की अनुमति देता है।
- राष्ट्रपति, हालांकि, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है ।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 254 (2) के एक प्रावधान में कहा गया है कि भले ही राष्ट्रपति प्रावधान के तहत पारित राज्य कानून को अपनी सहमति देता है, संसद बाद में कानून में संशोधन या निरस्त कर सकती है।
- हालांकि, अनुच्छेद 254 (2) अपवाद का प्रतिनिधित्व करता है, आदर्श का नहीं।
- संविधान का अनुच्छेद **254 (1)** अनिवार्य रूप से कहता है कि यदि संसद द्वारा पारित कानूनों और राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों के बीच कोई असंगति है, तो पूर्व को प्रबल होना चाहिए।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 43 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

301. सीएए और असम समझौता (CAA and Assam accord)

302. तदर्थ न्यायाधीश (Ad Hoc Judges)

303. राज्यों का संघ (Union of States)

304. अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grants)

305. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)

306. नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition)

307. राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System)

308. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India - NHRC)

309. राज्यों की उधार लेने की शक्ति (Borrowing Power of States)

310. राज्यपाल (Governor)

301. सीएए और असम समझौता (CAA and Assam accord)

- यह 1985 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था।
- समझौते पर हस्ताक्षर करने से छह साल के आंदोलन का समापन हुआ, जिसे 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें असम से अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की गई थी।
- समझौते में उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और **24** मार्च **1971** की मध्यरात्रि के बाद बांग्लादेश से पार करने वाले सभी व्यक्तियों को निर्वासित किया जाना है।
- समझौते के अनुसार 1966 से 1971 के बीच आने वाले बांग्लादेशियों को दस साल के लिए मतदान से रोक दिया जाएगा।

भारत में नागरिकता

- भारतीय संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद **11** के तहत, संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। तदनुसार, संसद ने भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए **1955** का नागरिकता अधिनियम पारित किया था।
- **1987** तक, भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होना पर्याप्त था। फिर, बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन का आरोप लगाने वाले लोकलुभावन आंदोलनों से प्रेरित, नागरिकता कानूनों में पहला संशोधन किया गया ताकि अतिरिक्त रूप से यह आवश्यक हो कि कम से कम माता-पिता में से एक भारतीय होना चाहिए।
- **2004** में, कानून में और संशोधन किया गया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि केवल एक माता-पिता का भारतीय होना ही नहीं बल्कि दूसरे को भी अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए।

भारत में एक अवैध प्रवासी कौन है?

अधिनियम के तहत, एक अवैध प्रवासी एक विदेशी है जो:

- पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या
- वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक रहता है।

अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत जेल हो सकती है या निर्वासित किया जा सकता है।

- मौजूदा कानूनों के तहत, एक अवैध प्रवासी नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं है। उन्हें पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोक दिया गया है।
- विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है और एक अवैध प्रवासी को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, **2019** के प्रमुख प्रावधान

- इस अधिनियम में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- व्यक्तियों के इन समूहों के लिए, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के तहत 11 साल की आवश्यकता को घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
- अधिनियम में यह भी कहा गया है कि प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्ड रखने वाले लोग – एक आव्रजन स्थिति जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है – यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो अपनी स्थिति खो सकते हैं।

अपवाद

- अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता संबंधी ये प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों पर लागू नहीं होंगे।
    - इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग (असम में), गारो हिल्स (मेघालय में), चकमा जिला (मिजोरम में) और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल हैं।
- इसके अलावा, यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित "इनर लाइन" क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।
    - वर्तमान में, यह परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड पर लागू है।

संशोधन अधिनियम के खिलाफ चिंताएं

- यह 1985 के असम समझौते के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को धर्म के बावजूद निर्वासित कर दिया जाएगा।
- आलोचकों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है और नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है) और संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के रोहिंग्या शामिल हैं। वे अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।
- सरकार के लिए अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा।

302. तदर्थ न्यायाधीश (Ad Hoc Judges)

समाचार में: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर दिया।

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संविधान का अनुच्छेद **224 A,** शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है।

- किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध कर सकते हैं, जिसने उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करता हो।
- कार्यवाहक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं और उनके पास सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, लेकिन उन्हें उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं माना जाएगा।
- व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सहमत न हो।
- यह अनुच्छेद भारत के संविधान, 1950 का हिस्सा नहीं था। इसे संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, **1963** द्वारा जोड़ा गया था।

ध्यान दें कि अनुच्छेद **224 (1)** और **224 (2)** अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और कामकाज के लिए संभावित दिशानिर्देशों को रेखांकित किया है।

- यदि किसी विशेष क्षेत्राधिकार में, लम्बन एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जैसे कि आठ या 10 वर्ष, तो मुख्य न्यायाधीश एक निश्चित [सेवानिवृत्त] न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जो कानूनों के उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।
    - ऐसे जज का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों की सेवाओं के लिए खतरा नहीं होगी क्योंकि तदर्थ न्यायाधीशों को सबसे कनिष्ठ माना जाएगा।
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विवाद के एक विशेष क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना जाएगा और कानून के उस क्षेत्र में लंबित मामलों के निपटान के बाद सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।
- उच्चत्तम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि तदर्थ न्यायाधीशों को न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से अधिक नियुक्त किया जा सकता है और उन्हें केवल न्यायिक कार्य दिया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक कार्य, हालांकि उनका वेतन और भत्ते स्थायी न्यायाधीशों के बराबर होने चाहिए।

303. राज्यों का संघ (Union of States)

समाचार में: तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक संचार में 'केंद्र सरकार' शब्द के उपयोग को बंद करने और इसे 'संघ सरकार' से बदलने का निर्णय लिया है।

- भारत के संविधान ने भारत को एक संघ के रूप में वर्णित नहीं किया है। हालाँकि, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों के संघ" के रूप में वर्णित करता है।
- इसका मतलब है कि भारत एक संघ है जिसमें विभिन्न राज्य शामिल हैं जो इसका एक अभिन्न अंग हैं। यहां, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते।
- उनके पास संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है। एक वास्तविक संघ में, गठित इकाइयों या राज्यों को संघ से बाहर आने की स्वतंत्रता होती है।
- भारत को "विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है। भारत का संविधान किसी राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। अनुच्छेद 4 के तहत, यह संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों को बदलने का अधिकार देता है।

"संघ" नामावली का विकास (**Evolution of "Union" nomenclature**)

- कैबिनेट मिशन योजना ने बहुत सीमित शक्तियों के साथ एक केंद्र सरकार पर विचार किया जबकि प्रांतों के पास पर्याप्त स्वायत्तता थी।
- विभाजन प्रभाव: 1947 के विभाजन और कश्मीर में हिंसा ने संविधान सभा को अपने दृष्टिकोण को संशोधित करने के लिए मजबूर किया और यह एक मजबूत केंद्र के पक्ष में हल हुआ।
- अलगाव का डर: संघ से राज्यों के अलग होने की संभावना संविधान के प्रारूपकारों के दिमाग पर टिकी हुई थी इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संघ "अविनाशी" (Indestructible) रहे।
- अमेरिकी महासंघ से अंतर: संविधान सभा ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि भारत को एक संघ होना था, लेकिन यह एक समझौते का परिणाम नहीं था और इसलिए, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है।

- संविधान में स्पष्ट राज्यों की स्थिति: अन्य लोगों द्वारा आलोचना करने पर कि 'राज्यों का संघ' शब्द 'गणतंत्र' शब्द को अस्पष्ट करेगा, आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि संघ और राज्य दोनों ही संविधान से अपने-अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, ये एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं है।
- संविधान में 'केंद्र सरकार' का कोई संदर्भ नहीं: संविधान सभा के सदस्य संविधान में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का उपयोग नहीं करने से बहुत सतर्क थे क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था।
- एकजुट करने का संदेश: 'केंद्र सरकार' या 'भारत सरकार' का एक एकीकृत प्रभाव है क्योंकि जो संदेश दिया जाना है वह यह है कि सरकार सभी की है।

304. अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grants)

समाचार में: वित्त मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का पहला बैच लोकसभा में प्रस्तुत किया।

अनुपूरक अनुदान

- यह तब प्रदान किया जाता है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से किसी विशेष सेवा के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।
- यह अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Additional or Excess Grants) के साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद **115** द्वारा निर्दिष्ट है।

एक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के सामान्य अनुमान वाले बजट के अलावा, संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में कई अन्य अनुदान दिए जाते हैं। अनुपूरक अनुदानों के अलावा, इनमें शामिल हैं:

अतिरिक्त अनुदान **(Additional Grant)**	• अतिरिक्त अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित/अनुध्यात की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता होती है।
अधिक अनुदान **(Excess Grant)**	• यह उस समय प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित (उस वर्ष में संबंधित सेवा के लिये) या अनुदान किये गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। • वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा इस पर मतदान किया जाता है। • मतदान के लिए लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
प्रत्यानुदान **(Vote of Credit)**	• यदि किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतया बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांगो की पूर्ति के लिये प्रत्यानुदान दिया जाता है। • यह लोक सभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए ब्लैंक चेक के समान है।
अपवादानुदान **(Exceptional Grant)**	• यह एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है।
टोकन अनुदान **(Token Grant)**	• यह तब प्रदान किया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुन: उपयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

	• एक टोकन राशि (रु 1) के अनुदान की मांग लोकसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती है और यदि सहमति हो जाती है, तो धन उपलब्ध कराया जाता है। • पुनर्विनियोग में एक मद से दूसरे मद में निधियों का अंतरण शामिल है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं है।

305. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)

- सहकार से समृद्धि (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नया बल देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया गया है।
- यह देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक केंद्रित प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
- यह सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSC) के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा।
- एक सहकारी संयुक्त रूप से स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है।
    - उदाहरण: उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, ऋण सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति और विपणन सहकारी समिति।

सहकारिता का विकास (**Evolution of Cooperatives**)

- **1903** में बंगाल सरकार के सहयोग से बैंकिंग में पहली क्रेडिट सहकारी समिति का गठन किया गया था। इसे ब्रिटिश सरकार के अनुकूल सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था।
- लेकिन सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 के अधिनियमन ने सहकारिता को एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान किया।
- **1919** में, सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और प्रांतों को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के आधार पर वर्गीकरण किया गया।
- 1942 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने एक से अधिक प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को कवर करने के लिए बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम लागू किया।
- स्वतंत्रता के बाद सहकारिता पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग बन गई।
- **1958** में, राष्ट्रीय विकास परिषद (**NDC**) ने सहकारी समितियों पर और कर्मियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (**NCDC**), एक सांविधिक निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित किया गया था।
- भारत सरकार ने **2002** में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की।

- संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए
  - भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में संविधान में एक नया भाग IX B जोड़ा गया। (भाग IX A नगर-पालिका से सम्बंधित है)
  - अनुच्छेद 19 (1) (C) में शब्द "सहकारी समितियों" को "यूनियनों और संघों" के बाद जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को नागरिकों के मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सहकारी समितियां बनाने में सक्षम बनाता है।
  - राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) में "सहकारी समितियों के संवर्धन" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43 B जोड़ा गया था।

306. नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition)

- यह संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते में परिभाषित एक वैधानिक पद है।
- विपक्ष का नेता बनने के लिए, विपक्ष में सबसे बड़े राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। ऐसी पार्टी का नेता विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करता है।
- नेता प्रतिपक्ष सरकार की नीतियों की संरचनात्मक आलोचना करता है। नेता प्रतिपक्ष नीति और विधायी कार्यों में विपक्ष के कामकाज में सामंजस्य और प्रभावशीलता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
- नेता प्रतिपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता के संस्थानों – सीवीसी, सीबीआई, सीआईसी, लोकपाल, सीआईसी, एनएचआरसी में नियुक्तियों के लिए द्विदलीय और तटस्थता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान व्यवस्था के साथ चिंताएं

- समस्या तब उत्पन्न होती है जब विपक्ष में कोई भी दल 55 या अधिक सीटें प्राप्त नहीं करता है। ऐसी स्थितियों में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को स्पीकर द्वारा विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त नेता का अधिकार होना चाहिए।
- इसके अलावा, 10% सूत्रीकरण 'संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते' कानून के साथ असंगत है, जो केवल यह कहता है कि सबसे बड़े विपक्षी दल को पद मिलना चाहिए।

307. राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System)

समाचार में: भारत के चुनाव आयोग ने "राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS)" शुरू की है।

- PPRTMS में मुख्य विशेषता यह है कि आवेदक, जो 1 जनवरी, 2020 से एक राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम होगा और एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से स्थिति अपडेट प्राप्त करेगा।
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **29 A** के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।
  - उपर्युक्त धारा के तहत पंजीकरण की मांग करने वाले एक संघ को अपने गठन की तारीख के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

पंजीकरण के लाभ

- अपने आरक्षित प्रतीक के अनन्य आवंटन के लिए पात्र।
- मान्यता प्राप्त' राज्य `और' राष्ट्रीय ' दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
- निर्वाचक नामावली के दो सेट नि:शुल्क प्राप्त करने का हकदार।
- उन्हें आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारण/प्रसारण की सुविधा भी मिलती है।
- स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च को उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के खातों में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

308. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India - NHRC)

- यह एक सांविधिक (और संवैधानिक नहीं) निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत की गई थी, अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- आयोग देश में मानवाधिकारों, अर्थात्, संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार का प्रहरी है।
- यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं।
  - अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त CJI या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
  - सदस्य अनुसूचित जाति के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए।
  - मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति। (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए)
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा, NHRC में सात पदेन सदस्य भी हैं
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
  - अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष
  - अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष
  - राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष
  - पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष
  - बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष
  - विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें
  - प्रधान मंत्री इसके प्रमुख के रूप में
  - लोकसभा के अध्यक्ष

- राज्यसभा के उपाध्यक्ष,
- संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता
- केंद्रीय गृह मंत्री।

- इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है।
- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
- वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।
- उनके कार्यकाल के बाद, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के तहत आगे के रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैं।

NHRC के कार्य

- यह अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति के साथ निहित है। इसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं और इसकी कार्यवाही में न्यायिक चरित्र है।
- मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए आयोग के पास कर्मचारियों की जांच का अपना केंद्र है।
- इसके अलावा, इसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
- आयोग को उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है जिस पर मानव संसाधन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
- जांच के दौरान या उसके पूरा होने पर NHRC निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है:
    - यह पीड़ित को मुआवजे या हर्जाने का भुगतान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है;
    - यह संबंधित प्राधिकारी को अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने या दोषी लोक सेवक के खिलाफ किसी अन्य कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है;
    - यह पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत देने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है;
    - यह आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

NHRC की सीमाएं

- नोट: आयोग के कार्य मुख्यतः अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति नहीं है, और न ही पीड़ित को आर्थिक राहत सहित कोई राहत देने की शक्ति है।
- इसकी सिफारिशें संबंधित सरकार/प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन, इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से एक माह के भीतर अवगत कराया जाना चाहिए।
- सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में आयोग की सीमित भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र हैं।

- आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट संबंधित विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं।

309.राज्यों की उधार लेने की शक्ति (Borrowing Power of States)

समाचार में: हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है।

राज्यों की उधार लेने की शक्ति (अनुच्छेद 292 और 293 के तहत वर्णित है)

- U/A 292, यह शक्ति राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा सीमित है
  - U/A 292, केंद्र सरकार के पास संसद द्वारा निर्धारित सीमा (FRBM Act) के अधीन उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्ति है।
- राज्य केवल घरेलू स्तर पर ही ऋण जुटा सकते हैं।
  - राज्यों की तरह संघ के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। केंद्र सरकार घरेलू और विदेश से भी उधार ले सकती है।
- राज्य के उधार पर प्रतिबंधों में शामिल हैं
  - राज्य की संचित निधि की जमानत पर उधार ले सकते हैं।
  - संघ सरकार की अनुमति के बिना ऋण नहीं उठा सकते हैं यदि संघ से पिछले ऋण की कोई राशि बकाया है।

310. राज्यपाल (Governor)

नियुक्ति: राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा।

राज्यपाल के कार्यालय का कार्यकाल: राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कोई निश्चित अवधि नहीं।

निष्कासन

- राष्ट्रपति द्वारा, संविधान में आधार निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- राज्यपाल का तबादला और पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी आधार पर राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।

योग्यता

- वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु **35** वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें

- वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे पहले अपने पद से त्यागपत्र देना होगा।
- वह लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता।

- संसद उनकी परिलब्धियों को तय करती है।
- जब एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए होता है, तो राज्यों द्वारा परिलब्धियां साझा की जाती हैं।
- संसद अपने कार्यकाल के दौरान उनका वेतन कम नहीं कर सकती।
- उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा दी जाती है, यहां तक कि उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी।
- उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दो माह की पूर्व सूचना देकर सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ

- प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उनके नाम पर की जाती है।
- वह व्यवसाय के लेन-देन को सरल बनाने के लिए नियम बना सकता है।
- वह मुख्यमंत्री, CoM, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री नियुक्त करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है।
- राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

राज्यपाल की विधायी शक्तियां

- विधायिका का सत्रावसान, समन और भंग करना उसकी शक्ति में है।
- वह हर साल के पहले सत्र को संबोधित करता है
- सहमति देना, राष्ट्रपति के लिए बिल को वापस भेजना या आरक्षित करना।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर सत्र की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है।
- नामांकन शक्तियां।
- अध्यादेश ला सकता हैं।
- विधानमंडल में **SCF** और **SPSC** की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है।

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ

- वह राज्य के बजट को देखता है।
- धन विधेयक के लिए उनकी सिफारिश जरूरी है।
- वह अनुदान की मांग के लिए सिफारिश करता है जो अन्यथा नहीं दिया जा सकता।

- राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधीन है।
- राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 44 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

311. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

312. कैबिनेट समितियां (Cabinet Committees)

313. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)

314. अध्यादेश (Ordinances)

315. सीबीआई (CBI)

316. अंतर राज्य परिषद (Inter State Council)

317. मिशन कर्म योगी (Mission Karma yogi)

318. निपुण भारत (NIPUN Bharat)

319. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Mother and Child Protection Card)

320. संसदीय समिति- भाग I (Parliamentary Committee- Part I)

311. संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए विशेषाधिकार हनन मामले में अर्नब गोस्वामी को राहत दी है।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में

- संसदीय विशेषाधिकार उन अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों को संदर्भित करता है जो संसद को एक संस्था के रूप में (संसदीय समितियों सहित) और सांसदों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त होती हैं, जिसके बिना वे संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं।
- संसदीय विशेषाधिकार संसद सदस्यों की गरिमा, अधिकार और सम्मान बनाए रखने में मदद करते हैं।
- संविधान (अनुच्छेद **105** और **194**) में दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
- लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्य सभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है।
- जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है, तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।
- किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस पेश किया जाता है
- सामूहिक और व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Refer Rare Video Day 43- Session 32)

भारत में संसद के विशेषाधिकारों की दो श्रेणियां हैं

पहली श्रेणी निर्दिष्ट और प्रगणित	• संसद के प्रत्येक सदन में बोलने की स्वतंत्रता। • संसद या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई या दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही से प्रतिरक्षा। • संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में दायित्व से मुक्ति।
दूसरी श्रेणी मान्यता प्राप्त लेकिन बिना पारिश्रमिक के	इसमें वे सभी विशेषाधिकार शामिल हैं जो यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और इसके सदस्यों और समितियों द्वारा भारत के संविधान के प्रारंभ में प्राप्त किए गए थे और जब तक वे कानून द्वारा संसद द्वारा संशोधित और परिभाषित नहीं किए जाते, तब तक लागू रहेंगे।

विशेषाधिकार के पांच स्रोत हैं:

1. संवैधानिक प्रावधान
2. संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून
3. दोनों सदनों के नियम
4. संसदीय कन्वेन्शन
5. न्यायिक व्याख्याएं

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- संसद के संसदीय विशेषाधिकारों (सदस्यों और समितियों) से संबंधित प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति संसदीय विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं।
- भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लिए बिना, संसद के सदस्य को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।
- लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों और संसद के इस सदन की समितियों का संरक्षक होता है।
- संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए एक मंत्री को निंदा करने के लिए 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' नाम का एक प्रस्ताव है।
- विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- संसद के पास विशेषाधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्ति को दंडित करने की न्यायिक शक्ति है।
- 'विशेषाधिकार समिति' नामक एक समिति होती है जो अर्ध-न्यायिक प्रकृति की होती है। यह विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा में एक ही समिति के लिए 10 सदस्य होते हैं।
- जिन व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने की अनुमति है, वे भी संसद के विशेषाधिकारों के हकदार हैं। उदाहरण - भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री।

312. कैबिनेट समितियां (Cabinet Committees)

- कैबिनेट समितियां मूल रूप में गैर-संवैधानिक हैं यानी संविधान में उनका उल्लेख नहीं है।
    - सरकार की मशीनरी पर एन गोपालस्वामी समिति (1949) ने इन समितियों के सचिवालय और अन्य अंगों को उचित रूप से मजबूत करने के साथ परिभाषित क्षेत्रों में मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों की स्थापना की सिफारिश की
- हालांकि, व्यवसाय के नियम उनकी स्थापना प्रदान करते हैं।
- प्रधान मंत्री इन समितियों का गठन करते हैं और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करते हैं। वह समितियों की संख्या और उनकी संरचना को जोड़ या घटा सकते हैं।
- ये दो प्रकार के होती हैं-स्थायी और तदर्थ। पहली स्थायी है, जबकि दूसरी अस्थायी है।
    - विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समय-समय पर तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है। उनका काम पूरा होने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है।
- वे कैबिनेट के भारी कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण हैं। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करते हैं।
- वे श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल के सिद्धांतों पर आधारित हैं।
- वे न केवल मुद्दों को हल करते हैं और कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्तावों को फ्रेम करते हैं, बल्कि वे निर्णय भी लेते हैं। मंत्रिमंडल बेशक, उनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है।

कैबिनेट समितियों की संरचना

- उनकी सदस्यता निश्चित नहीं है और आमतौर पर तीन से आठ तक भिन्न होती है।
- इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि, गैर-कैबिनेट मंत्रियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- शामिल विषयों के प्रभारी मंत्रियों के अलावा अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- ऐसी समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। कई बार गृह, वित्त आदि जैसे अन्य कैबिनेट मंत्री भी अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन, यदि प्रधानमंत्री समिति का सदस्य है, तो वह समिति का प्रमुख होता है।

वर्तमान कैबिनेट समितियां

1. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति।
2. आवास पर कैबिनेट समिति।
3. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति।
4. संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति।
5. राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति।
6. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति।
7. निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति।
8. रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में कार्यकारी भारत सरकार के व्यापार नियमावली, **1961 (Government of India Transaction of Business Rules, 1961)** के तहत कार्य करता है।
- ये नियम संविधान के अनुच्छेद **77(3)** से निकलते हैं, जिसमें कहा गया है: "राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे।"

मंत्रिपरिषद (Council of Ministers - COM)

- COM एक संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 द्वारा विस्तार से पेश किया गया है।
- COM एक व्यापक निकाय है जिसमें सभी मंत्रियों की सभी 3 श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ।
- COM सभी शक्तियों के साथ निहित हैं लेकिन केवल सिद्धांत में। यह कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है जबकि कैबिनेट समितियां निर्णय लेने में कैबिनेट की मदद करती हैं।
- COM संसद के निचले सदन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं जबकि कैबिनेट समितियों के लिए ऐसा कोई खंड नहीं है।
- 91 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत (15% 543= 81) से अधिक नहीं हो सकती है।

313. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)

समाचार में: केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल (AGI) के रूप में के.के. वेणुगोपाल के कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया है।

- यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार 2020 में मिला था।
- वेणुगोपाल को **2017** में भारत का **15**वां **AGI** नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया जो 2014-2017 तक AGI थे।

भारत के महान्यायवादी (**AGI**) के बारे में

- AGI संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है।
- AGI देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है।
- संविधान के अनुच्छेद **76** में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है।
- AG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है।
- वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो**,** अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय में पांच साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए।
- इसके कार्यालय की अवधि: संविधान द्वारा तय नहीं है।
- निष्कासन: AGI को हटाने के लिए प्रक्रियाएं और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। AGI राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है (किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है)।
- भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आधिकारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति में AG की सहायता करते हैं।
- एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट (महाधिवक्ता) राज्यों में संबंधित कार्यालय है (अनुच्छेद 165)।

अधिकार और सीमाएं:

- AGI को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसमें वह सदस्य नामित हो सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना।
- AGI को वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संसद सदस्य को उपलब्ध होती हैं।
- AGI सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आता है।
- AGI को निजी विधिक कार्यवाही से वंचित नहीं किया गया है। हालाँकि, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है।

कर्तव्य और कार्य:

- ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे संदर्भित किए जाते हैं।
- कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं।

- भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी मामले में, जिसमें भारत सरकार का संबंध है, उपस्थित होना।
- संविधान के अनुच्छेद **143** (सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

314. अध्यादेश (Ordinances)

- अध्यादेश एक कानून की तरह होते हैं, लेकिन ये संसद द्वारा अधिनियमित नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा या उनमें से किसी के भी सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं।
- इन अध्यादेशों में संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव होते हैं लेकिन ये अस्थायी कानूनों की प्रकृति में होते हैं।
- अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश जरूरी है।अध्यादेशों का प्रयोग करते हुए तत्काल विधायी कार्रवाई की जा सकती है।
- अनुच्छेद **123** राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
- अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर पेश किए जा सकते हैं जिन पर भारतीय संसद कानून बना सकती है।
- एक अध्यादेश संसद के एक अधिनियम के समान संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। इसलिए अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को कम या समाप्त नहीं सकता है।
- जब भी किसी अध्यादेश को बदलने की मांग करने वाला विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक बयान भी सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसके लिए अध्यादेश के माध्यम से तत्काल कानून बनाना आवश्यक हो गया था।
- संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि संसद इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के छह सप्ताह के पश्चात् यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है।
- अध्यादेश के समाप्त होने से पहले किए गए इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध और प्रभावी रहेंगें।
- अध्यादेश लाने की राष्ट्रपति की शक्ति दुर्भावना के आधार पर न्यायोचित है
    - आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ **(1970)** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि 'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता नहीं थी; और अध्यादेश मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करने के लिए पारित किया गया था।
    - डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य **(1987)** में यह तर्क दिया गया था कि अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है, न कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में।
    - कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार एक पूर्ण न होकर "संतुष्टि पर सशर्त है कि ऐसी परिस्थितियां उपस्थित थी जिसके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था"।

अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। उसकी अध्यादेश बनाने की शक्ति काफी हद तक राष्ट्रपति

की शक्ति के समान है। इन दोनों के अध्यादेश जारी करने के बीच तुलना नीचे दी गई है:

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
जब लोकसभा या राज्य सभा सत्र में न हो या दोनों सत्र में न हों तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है।	जब एक सदनीय विधायिका के मामले में विधान सभा सत्र में न हो या द्विसदनीय विधायिका के मामले में विधान सभा और परिषद दोनों सत्र में न हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
वह केवल उन मामलों के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद (लोकसभा और राज्यसभा) कानून बना सकती है।	वह केवल उन मामलों के लिए एक अध्यादेश को जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है।
उनके अध्यादेशों का नीतियों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जितना संसद के कृत्यों का होगा।	उनके अध्यादेशों का नीतियों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि राज्य के अधिनियम का होगा। यदि अध्यादेश उन मामलों पर कानून बनाते हैं जिन पर राज्य सरकार की कोई शक्ति नहीं है, तो अध्यादेश शून्य और अप्रभावी हो जाता है।
उनके द्वारा पेश किए गए अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है।	उनके द्वारा पेश किए गए अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है।
अध्यादेश को प्रख्यापित करने की उनकी शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) की सलाह पूर्व अपेक्षित है।	अध्यादेश को प्रख्यापित करने की उनकी शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद (सीएम की अध्यक्षता में) की सलाह पूर्व-अपेक्षित है।
जब केंद्र सरकार एक अध्यादेश प्रख्यापित करती है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है।	निम्नलिखित तीन मामलों पर राष्ट्रपति का निर्देश आवश्यक हैं: ● यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ● यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए समान प्रावधानों वाले बिल को आरक्षित करना आवश्यक समझता है। ● यदि समान प्रावधानों वाले राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य होता है।

315. सीबीआई (CBI)

- इसकी स्थापना 1963 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा (संथानम समिति की सिफारिस पर) की गयी थी।
- बाद में, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे एक संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है।
- 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (जो सतर्कता मामलों को देखता था) को भी सीबीआई में मिला दिया गया था।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office-PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है।

- हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (**Prevention of Corruption Act**) के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (**Central Vigilance Commission**) के पास है।

- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है।

- इसकी अपराध सिद्धि दर (Conviction Rate) 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है।

एनआईए का गठन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद मुख्य रूप से आतंकवादी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए किया गया था।	सीबीआई आतंकवाद के अलावा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर और संगठित अपराध के अपराध की जांच करती है।

- सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है जिसे एक विशेष/अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीबीआई के निदेशक को CVC अधिनियम, 2003 द्वारा दो साल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।

- केंद्र सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करती है जिसमें

- अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री
- लोकसभा में विपक्ष के नेता
- भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
- यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा।

- सीबीआई अकादमी गाजियाबाद, यूपी में स्थित है इसने 1996 में कार्य करना शुरू किया। इसके कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी हैं।

सीबीआई के कार्य

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना।

- राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना।

- पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जाँच करना।

- भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय।

- राज्य सरकार के अनुरोध पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को जांच के लिए उठाना।

- यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे पारंपरिक अपराधों की जांच करता है, राज्य सरकारों के संदर्भ में या सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयों द्वारा निर्देशित होने पर।

- अपराध के आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना।

- सीबीआई भारत में इंटरपोल के "राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो" के रूप में कार्य करती है।

- केंद्र सरकार सीबीआई को किसी राज्य में ऐसे अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से।

 - हाल ही में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सहमति वापस ले ली।

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, राज्य सरकारें दी गई सामान्य सहमति को वापस ले सकती हैं।
- सहमति दो प्रकार की होती है:
  - केस-विशिष्ट - राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी दिए गए राज्य में हिंसक अपराध से जुड़ा मामला-उस विशेष राज्य सरकार द्वारा अपनी सहमति देने के बाद ही।
  - सामान्य सहमति - संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई को आसानी से अपनी जांच करने में सहायता करना। लगभग सभी राज्यों ने यह सामान्य सहमति दी है।

316. अंतर राज्य परिषद (Inter State Council)

- भारत के संविधान के अनुच्छेद **263** के तहत राष्ट्रपति के दिनांक **28.5.1990** के आदेश के तहत अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था।
- भारत के संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच, उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकार के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुरूप संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तृत वितरण किया है।
- तदनुसार, विधायी शक्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों – केन्द्रीय सूची (सूची I), राज्य सूची (सूची II) और समवर्ती सूची (सूची III) में वर्गीकृत किया गया है।
- केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष **1988** में आयोग का गठन किया।
- सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद **263** के अनुसार सुपरिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर-राज्य परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी।
- अंतरराज्यीय परिषद की बैठक साल में तीन बार होनी प्रस्तावित है।
- ताजा बैठक दिल्ली में 10 साल के अंतराल के बाद जुलाई 2016 में आयोजित की गई थी।

परिषद का वर्तमान संगठन निम्नानुसार है:

- प्रधान मंत्री अध्यक्ष
- सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य
- विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल (जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्यपाल का शासन) सदस्य
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छ: मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप नामित किया जाना है।
- कैबिनेट रैंक के चार मंत्री, सदस्यों के रूप में स्थाई आमंत्रिती।

317.मिशन कर्म योगी (Mission Karma yogi)

मिशन कर्मयोगी, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, सिविल सेवकों के लिए एक नई क्षमता निर्माण योजना है जिसका उद्देश्य सभी

स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के भर्ती के बाद के प्रशिक्षण तंत्र को उन्नत करना है।

मिशन कर्मयोगी के लिए संस्थागत संरचना

1. प्रधानमंत्री ने मानव संसाधन परिषद का नेतृत्व किया

- इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और प्रख्यात राष्ट्रीय और वैश्विक शिक्षाविद, विचारक नेता, उद्योग जगत के नेता भी शामिल होंगे।
- यह परिषद सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का अनुमोदन और समीक्षा करेगी।
- परिषद के जनादेश में शामिल हैं:
- शीर्ष निकाय ड्राइविंग और कार्यक्रम को रणनीतिक दिशा प्रदान करना
- सिविल सेवा क्षमता निर्माण योजना को मंजूरी और मॉनिटर करना
- क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट

2. कैबिनेट सचिव समन्वय इकाई

- इसमें कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में चुनिंदा सचिव और कैडर नियंत्रण प्राधिकरण शामिल हैं।
- इस निकाय का प्राथमिक कार्य प्रगति और योजनाओं के निष्पादन की निगरानी करना है।

3. क्षमता निर्माण आयोग: इसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ और वैश्विक पेशेवर शामिल होंगे। आयोग के आदेश हैं:

- वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएँ तैयार करना और प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना।
- सरकार में उपलब्ध मानव संसाधनों का ऑडिट करना।
- प्रशिक्षण मानकों और क्षमता निर्माण में सामंजस्य स्थापित करना।
- साझा संकाय और संसाधन बनाना।

- सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में पर्यवेक्षी भूमिका।
- सामान्य मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
- iGOT-Karmayogi से डेटा का विश्लेषण करना।
- सिविल सेवाओं के स्वास्थ्य और लक्ष्य उपलब्धियों पर वार्षिक मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना।

4. पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन (**SPV**)

- कानून: धारा 8 (कंपनी अधिनियम के) के तहत कंपनी 100% सरकारी स्वामित्व के साथ।
- निदेशक मंडल: कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना।
- राजस्व मॉडल: आत्मनिर्भर – प्रति कर्मचारी 431 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क।
- **SPV** के प्रमुख कार्य हैं:
  - सरकार की ओर से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, **iGOT** कर्मयोगी का स्वामित्व और संचालन
  - एक मजबूत सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन करना।
  - मूल्यांकन और प्रमाणन इको-सिस्टम का प्रबंधन करना।
  - टेलीमेट्री डेटा आधारित स्कोरिंग - निगरानी और मूल्यांकन।
  - प्रतिक्रिया मूल्यांकन - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित।
- अन्य देशों में सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम तैयार करना और वितरित करना।
- इसमें भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे।

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (**iGOT**) कर्मयोगी मंच

- कर्मयोगी कार्यक्रम को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- iGOT-कर्मयोगी एक निरंतर ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, जो सहायक सचिव से सचिव स्तर तक सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके प्राधिकार क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति देगा।
- अधिकारियों को किसी भी समय उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम मंच पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- मंच से सामग्री के लिए एक जीवंत और विश्व स्तरीय बाजार स्थान के रूप में विकसित होने की उम्मीद है जहां सावधानीपूर्वक निरीक्षिक और सत्यापित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- क्षमता निर्माण के अलावा, परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टि, तैनाती, कार्य असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना आदि जैसे सेवा मामलों को अंततः प्रस्तावित योग्यता ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत या **NPCSCB** कार्यक्रम का नीतिगत ढांचा?

1. ऑनलाइन लर्निंग के साथ शारीरिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए
2. 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तन का समर्थन करना। पद की आवश्यकताओं के अनुरूप सिविल सेवकों की दक्षताओं का मिलान करके कार्य आवंटन को संरेखित करना।
3. शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
4. सभी सिविल सेवा पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं **(FRAC)** दृष्टिकोण के ढांचे में कैलिब्रेट करने के लिए और प्रत्येक सरकारी इकाई में पहचाने गए FRAC के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री बनाना और वितरित करना।
5. डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों को अपनाने में सक्षम बनाना।

318. निपुण भारत (NIPUN Bharat)

- शिक्षा मंत्रालय ने 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल- निपुण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मिशन की शुरुआत की है।
- इसका उद्देश्य **3** से **9** वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। यह पहल NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 के एक भाग के रूप में शुरू की जा रही है।
- समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया गया है।
  - 'समग्र शिक्षा' कार्यक्रम तीन मौजूदा योजनाओं- सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को मिलाकर शुरू किया गया था।
  - इस योजना का उद्देश्य पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है।
- **NIPUN** का उद्देश्य: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) का सार्वभौमिक अधिग्रहण सुनिश्चित करना ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में और बाद में कक्षा 5 के बाद पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।
  - मूलभूत भाषा और साक्षरता में मौखिक भाषा, विकास, लिखित शब्दों को समझना, प्रवाह पढ़ना, पढ़ने की समझ और लिखना शामिल है।
  - मूलभूत संख्यात्मकता का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्या को हल करने में सरल संख्यात्मक अवधारणा को तर्क करने और लागू करने की क्षमता
- इस पर ध्यान दिया जाएगा
  - स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें बनाए रखना;

- शिक्षक क्षमता निर्माण;
- उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधनों / शिक्षण सामग्री का विकास;
- सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना।

- राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा
- **NISHTHA** (राष्ट्रीय स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए पहल) के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) के लिए विशेष पैकेज **NCERT** द्वारा विकसित किया जा रहा है।
    - NISHTHA "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।

- भारतीय संविधान के भाग **IV**, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- **1976** में **42**वें **CAA** ने शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
- **2002** में **86**वें **CAA** ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-A के तहत लागू करने योग्य अधिकार बना दिया।
- शिक्षा का अधिकार (**RTE**) अधिनियम, **2009** का उद्देश्य **6** से **14** वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
    - यह गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिक एकीकृत और समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए वंचित वर्गों के बच्चों के लिए अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम से कम 25% सीटों को अलग रखने का आदेश देता है।

319. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (Mother and Child Protection Card)

यह गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक रिकॉर्डिंग सह परामर्श कार्ड है।

- यह धीरे-धीरे टीकाकरण कार्ड की जगह लेगा।
- इसे UNICEF और NIPPCD के समर्थन से महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MHFW) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (NIPPCD) MWCD के तहत नई दिल्ली में एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जो भारत में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने का काम करती है।
- इसे मूल रूप से कुछ राज्यों में ICDS द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अपनाया गया है।
- राज्य ने प्रतिपर्ण (Counterfoil) जोड़ने जैसे कुछ बदलाव किए हैं।

कार्ड की उपयोगिता

- गर्भावस्था, प्रसवोत्तर अवधि और बचपन के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रिकॉर्ड रखने के लिए
- गर्भवती महिलाओं, युवा माताओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रथाओं को सीखने, समझने और उनका पालन करने के लिए परिवारों के लिए उपकरण।
- परिवारों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में जानने में मदद करता है जिनकी उन्हें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
- परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और छोटे बच्चों के विकास के लिए निरंतर आधार पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।

द्वारा प्रयुक्त

- ग्राम समूहों/महिलाओं (महिला मंडल) समूहों-स्थानीय नीतियों को बनाने के लिए।
- सहायक नर्स दाई (**ANM**)/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) – लक्ष्य समूह को शिक्षित करने के लिए।
- ICDS पर्यवेक्षकों-प्रतिरक्षा पर नजर रखने के लिए।

320. संसदीय समिति- भाग I (Parliamentary Committee- Part I)

	लोक लेखा समिति **(Public Accounts committee)**	प्राक्कलन समिति **(Estimates committee)**
स्थापना	**1921** में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद।	1950 के बाद जॉन मथाई की सिफारिश पर
सदस्य	22 - 15 LS से और 7 RS से	30 - सभी लोकसभा से
सदस्यों का चुनाव	संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष एक एकल हस्तांतरणीय **मत** के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ। एक मंत्री को नहीं चुना जा सकता।	प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से एक मंत्री नहीं चुना जा सकता
कार्यालय की अवधि	एक साल	एक साल
अध्यक्ष	अध्यक्ष उसे सदस्यों में से नियुक्त करता है। 1967 से निरपवाद रूप से अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है।	अध्यक्ष उसे सदस्यों में से नियुक्त करता है। निरपवाद रूप से अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता

		है।
कार्य	• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (**CAG**) की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती हैं। • विनियोग, व्यय, पुन: विनियोग और व्यय के औचित्य का निरीक्षण करना। • सार्वजनिक निगमों और अन्य स्वायत्त निकायों के खातों की जांच करना। • अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत करना।	• पूर्व बजट आवंटन की निगरानी करना। • बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 57 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

401. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (Committee on Public Sector Undertakings)

402. अधीनस्थ विधान और विभाग संबंधित स्थायी समितियों पर समिति (Committee on Subordinate Legislation and Department Related Standing Committees)

403. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme)

404. स्वामित्व (SVAMITVA)

405. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational districts program)

406. रैंक च्वाइस वोटिंग सिस्टम (Ranked Choice Voting System)

407. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council)

408. कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद (Karbi Anglong Autonomous Council)

409. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (Ladakh autonomous hill development council)

410. राइट टू रिकॉल (Right to Recall)

401. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (**Committee on Public Sector Undertakings**)

स्थापना	• **1964** (कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर) • 15 सदस्य (लोकसभा से 10 और राज्य सभा से 5 सदस्य)।
सदस्य	• 22 (15 लोकसभा और 7 राज्य सभा)
सदस्यों का चुनाव	• संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से।
कार्यालय की अवधि	• एक वर्ष • एक वर्ष के बाद, एक नया चुनाव होता है और सदस्यों को बदल दिया जाता है या फिर से निर्वाचित किया जाता है।
अध्यक्ष	• लोकसभा अध्यक्ष के पास समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार है। • सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है। • राज्यसभा के सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना जाता है।
कार्य	• इस समिति के कार्यों का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की चौथी अनुसूची में किया गया है। • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों, सीएजी की रिपोर्ट, नीतिगत उपायों और प्रदर्शन की जांच करना। • समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवसाय की विश्वसनीयता की जांच करती है। • यह सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता और स्वायत्तता की जाँच करती है। • यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित उन कार्यों को करती है जो इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं।
कार्यों की सीमा	• समिति उन नीतियों से संबंधित सरकार की किसी भी रिपोर्ट की जांच नहीं कर सकती है जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित नहीं हैं। • दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों में इसकी कोई भूमिका नहीं है। • समिति ऐसे किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्ट नहीं ले सकती है जो एक विशेष क़ानून द्वारा स्थापित हैं और जिसके लिए रिपोर्ट करने के लिए कोई अन्य मशीनरी उत्तरदायी हो।
समिति की सीमा	• यह केवल रिपोर्टों की जांच करती है। सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज को तय करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इसका काम सिर्फ पोस्टमॉर्टम जैसा है।

	• समिति सार्वजनिक उपक्रमों के किसी भी तकनीकी मामले से संबंधित नहीं है क्योंकि समिति के सदस्य के रूप में कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं। • समिति द्वारा दी गई सभी सिफारिशें सलाहकार हैं और मंत्री इनमें से किसी से बाध्य नहीं हैं।

402. अधीनस्थ विधान और विभाग संबंधित स्थायी समितियों पर समिति (Committee on Subordinate Legislation and Department Related Standing Committees)

- अधीनस्थ विधान पर प्रत्येक सदन की अपनी समिति होती है
- कार्यों की जांच करना और सदन को रिपोर्ट करना है कि क्या ऐसे प्रतिनिधिमंडल के भीतर संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उप-नियम, उप-नियम आदि बनाने की शक्तियों का ठीक से प्रयोग किया जा रहा है।
- समिति में पंद्रह सदस्य होंगे जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाएगा।
  - एक मंत्री को समिति का सदस्य नामित नहीं किया जाएगा।
- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष/सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाएगी:
  - बशर्ते कि यदि राज्य सभा का उपाध्यक्ष समिति का सदस्य है, तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
- समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- समिति प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों द्वारा शासित होती है।
- कोरम: समिति की बैठक गठित करने के लिए कोरम पांच होगा।
  - समिति का अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं करेगा, लेकिन किसी भी मामले में मतों की समानता होने पर, उसके पास एक निर्णायक वोट होगा जिसका वह प्रयोग करेगा।
- लोकसभा के अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जो अधीनस्थ विधान के किसी भी प्रश्न पर समिति या सदन में विचार करने से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं।
- रिपोर्ट: यदि समिति की राय है कि किसी भी आदेश को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए, या किसी भी तरह से संशोधित किया जाना चाहिए, तो वह उस राय और उसके आधारों को सदन को रिपोर्ट करेगी।
- समिति के प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशों पर, सरकार को छह महीने के भीतर कार्रवाई करने और प्रत्येक मामले में की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में समिति को सूचित करने की आवश्यकता है।
  - समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जांच की जाती है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट में शामिल की जाती है जिसे सदन में भी प्रस्तुत किया जाता है।

विभाग संबंधित स्थायी समितियाँ

- उत्पत्ति: लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर, **1993** में संसद में **17 DRSC** की स्थापना की गई थी। **2004** में, ऐसी सात और समितियों की स्थापना की गई, इस प्रकार उनकी संख्या **17** से बढ़कर **24** हो गई।
- विभागीय स्थायी समितियाँ: 24 स्थायी समितियों में से 8 राज्य सभा के अधीन और 16 लोक सभा के अधीन कार्य करती हैं।
- प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं - **21** लोकसभा से और **10** राज्यसभा से।
- इन सदस्यों को क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाना है।
    - एक मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित होने के योग्य नहीं है।
- इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।
- इन समितियों की सेवा या तो लोकसभा सचिवालय या राज्य सभा सचिवालय द्वारा की जाती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है।

भूमिका:

- वे उन मामलों की पूरी तरह से और व्यवस्थित रूप से जांच करने में संसद की सहायता करते हैं जिन पर लंबे समय तक पटल पर चर्चा नहीं की जा सकती थी।
- समितियां विधायिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से, त्वरित और कुशलता से विनियमित करने में सहायता करती हैं।
- वे संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- समितियां उन मामलों पर विशेषज्ञता भी प्रदान करती हैं जो उन्हें संदर्भित किए जाते हैं।

नए ड्राफ्ट दिशानिर्देश:

- हाल ही में, राज्य सभा सचिवालय ने अपनी स्थायी समितियों के लिए नया मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया। दिशानिर्देशों की अभी भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समीक्षा की जा रही है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- पैनल बैठक आयोजित करने से पहले एक तिहाई सदस्यों द्वारा न्यूनतम 15 दिनों का नोटिस और पुष्टि।
- उनकी योग्यता, रुचियों और व्यवसायों के आधार पर सदस्यों का नामांकन ।
- साक्ष्य एकत्र करने और रिपोर्ट अपनाने के दौरान कम से कम 50% उपस्थिति।

403. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme)

- यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देना है।

- यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है, हालाँकि, इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
- इसका उद्देश्य अन्य देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है।
- इसे अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में 2020 के अंत में इसे 10 अन्य क्षेत्रों के लिए पेश किया गया था।
  - इसने इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों, मोबाइल फोन, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण करने के लिए 4-6% का प्रोत्साहन दिया।
- यह योजना भारत के आत्मानिर्भर भारत अभियान के अनुरूप शुरू की गई थी।
- सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना और निर्यात में वृद्धि करना है।
- इस योजना के लिए **1.97** लाख करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2022 से आवंटित किए गए हैं।

इन **13** क्षेत्रों में शामिल हैं

- मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक
- दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री
- चिकित्सा उपकरणों का निर्माण
- ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों
- फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स
- विशेष स्टील
- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद
- इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद
- सफेद उत्पाद (AC और LED)
- खाद्य उत्पाद
- वस्त्र उत्पाद और तकनीकी वस्त्र
- उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल
- उन्नत रसायन विज्ञान सेल (ACC) बैटरी।

सक्रिय दवा उद्योगों के लिए **PLI** योजना का उदाहरण:

- 41 उत्पादों के लिए चयनित निर्माता जो सभी पहचाने गए 53 API को कवर करते हैं।
- किण्वन आधारित थोक दवाओं के लिए प्रोत्साहन की दर **20%** होगी।
- रासायनिक संश्लेषण आधारित थोक दवाओं के लिए 10%
- यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए लागू है।
- आधार वर्ष (2019-20) में 6 वर्ष की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- यह योजना फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा नामित एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी **(PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
- योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष **2020-21** से वित्त वर्ष **2029-30** तक है।

404. स्वामित्व (SVAMITVA)

- समाचार में: 11 अक्टूबर,2021 को प्रधान मंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SVAMITVA योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया।

SVAMITA का मतलब गांवों के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है।

- यह केंद्रीय क्षेत्र योजना (केंद्र सरकार द्वारा 100%) केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है।
- इसका उद्देश्य गांवों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए गांव के घर मालिकों (स्वमितवा संपत्ति कार्ड) को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है।
- सरकार का लक्ष्य देश भर के प्रत्येक गांव में अगले तीन से चार वर्षों में प्रत्येक परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड प्रदान करना है।
- ड्रोन का उपयोग करके सभी ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और प्रत्येक गांव के लिए **GIS** आधारित मानचित्र तैयार करने की योजना है।

SVAMITVA संपत्ति कार्ड कैसे बनता है?

1. राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन: SVAMITVA योजना के कार्यान्वयन के लिए ढांचा एक संपत्ति कार्ड बनाने की एक बहु-चरणीय प्रक्रिया प्रदान करता है, जो भारतीय सर्वेक्षण (SoI) और संबंधित राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ शुरू होता है।
2. प्रौद्योगिकी का उपयोग: SoI प्रौद्योगिकी (ड्रोन, सैटेलाइट इमेज) का उपयोग करके सभी पैमानों पर राष्ट्रीय स्थलाकृतिक डेटाबेस तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
3. नेटवर्क की स्थापना: एक बार MoU हो जाने के बाद, एक निरंतर संचालन संदर्भ प्रणाली (CORS) नेटवर्क स्थापित किया जाता है जो जमीनी नियंत्रण बिंदुओं को स्थापित करने में सहायता करता है, जो सटीक भू-संदर्भ के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
4. जन जागरूकता: अगला कदम पायलट चरण के दौरान सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की पहचान करना और लोगों को संपत्तियों की मैपिंग की प्रक्रिया से अवगत कराना है।
5. **GIS** डेटाबेस तैयार करना: गांव के अबादी क्षेत्र (आवासीय क्षेत्र) का सीमांकन किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण संपत्ति को चूना पत्थर (चूना) के साथ चिह्नित किया जाता है। फिर, ड्रोन का उपयोग ग्रामीण अबादी क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर मैपिंग के लिए किया जाता है। इन छवियों के आधार पर, 1:500 पैमाने पर एक GIS डेटाबेस, और गांव के नक्शे — ग्राम मंचित — तैयार किए गए हैं।

6. सत्यापन: नक्शों के निर्माण के बाद, ड्रोन सर्वेक्षण टीमों द्वारा एक जमीनी सत्यापन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उसके आधार पर, यदि कोई हो, तो सुधार किया जाता है। इस स्तर पर, पूछताछ/आपत्ति प्रक्रिया-संघर्ष/विवाद समाधान पूरा हो जाता है
7. संपत्ति कार्ड जारी करना: सत्यापन के बाद, अंतिम संपत्ति कार्ड / शीर्षक विलेख या "संपत्ति पत्रक" उत्पन्न होते हैं। ये कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या गांव के घर के मालिकों को हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध होंगे।

SVAMITVA संपत्ति डेटा और नक्शे भविष्य में कैसे अपडेट किए जाएंगे?

- रूपरेखा में कहा गया है, "एक बार जब GIS डेटाबेस 6.62 लाख गांवों में तैयार हो जाता है, तो राज्य सरकारें भविष्य के सर्वेक्षण करने और GIS डेटाबेस को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होंगी।" वे पुन: सर्वेक्षण की अद्यतन आवृत्ति भी तय करेंगे।

SVAMITVA डेटा का मालिक कौन होगा?

- फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑथोराइज्ड बेस मैप सर्वे ऑफ इंडिया, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व में होगा। GIS डेटा भी केंद्र और राज्य के संयुक्त स्वामित्व में होगा।
- हालांकि, संपत्ति विवरण से संबंधित डेटा राज्य के राजस्व विभाग के स्वामित्व में होगा क्योंकि इसमें रिकॉर्ड के अधिकार (ROR) को बदलने और नक्शे को अपडेट करने का अधिकार है।
- इसलिए, राज्य राजस्व विभाग इस डेटा का मालिक/मेजबान होगा और अन्य को देखने का अधिकार होगा।

405. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational districts program)

- आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं, जो खराब सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन जिलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से बदलना है।
- ये इस संदर्भ में आकांक्षी हैं कि इन जिलों में सुधार से भारत में मानव विकास में समग्र सुधार हो सकता है।
- 28 राज्यों से 115 जिलों की पहचान की गई, प्रत्येक राज्य से कम से कम एक।
- भारत सरकार के स्तर पर यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित है। इसके अलावा अलग-अलग मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति की जिम्मेदारी संभाली है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी जिलों की वास्तविक समय की प्रगति की निगरानी करना है।
- एडीपी 5 पहचाने गए विषयगत क्षेत्रों के 49 संकेतकों पर आधारित है, जो सुधार करने पर बारीकी से ध्यान केंद्रित करता है।
    - लोगों का स्वास्थ्य और पोषण
    - शिक्षा
    - कृषि और जल संसाधन
    - वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
    - बुनियादी ढांचा।
- राज्यों के मुख्य चालक के रूप में, ADP प्रत्येक जिले की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तत्काल सुधार के लिए विशिष्ट पहलुओं को चिन्हित करना, प्रगति को मापना और जिलों को रैंक करना चाहता है।
- जिलों को पहले अपने राज्य के भीतर सबसे अच्छे जिले के साथ होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और बाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से प्रतिस्पर्धा करके और दूसरों से सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने की इच्छा रखते हैं।
- कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा इस प्रकार है:
    - अभिसरण (केंद्र और राज्य की योजनाओं का) जो सरकार के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों को एक साथ लाता है।

- सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तर के 'प्रभारी' अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का) जो सरकार, बाजार और नागरिक समाज के बीच प्रभावशाली भागीदारी को सक्षम बनाता है।
- जन आंदोलन की भावना से प्रेरित जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा, यह जिला सरकारों पर जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) विश्व में परिणाम केंद्रित शासन पर सबसे बड़े प्रयोगों में से एक है।

406. रैंक च्वाइस वोटिंग सिस्टम (Ranked Choice Voting System)

संदर्भ: रैंक च्वाइस वोटिंग ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनावों में अपनी शुरुआत की।

रैंक च्वाइस वोटिंग क्या है?

- केवल एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय, इस प्रणाली में मतदाताओं को वरीयता के क्रम में कई रैंक मिलते हैं
- प्रणाली एक सरल आधार पर आधारित है: लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम करता है यदि लोगों को अपने वोट के साथ सभी या कुछ नहीं का चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।
- विदेशों में लोकप्रिय: 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से इसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और माल्टा द्वारा भी किया जाता रहा है। उत्तरी आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड ने भी इसे अपनाया है।
- ऑस्कर भी 2009 से अपनी सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी के लिए इसका उपयोग कर रहा है।

रैंक च्वाइस वोटिंग कैसे काम करती है?

- न्यूयॉर्क शहर के संस्करण में, मतदाताओं को अपने मतपत्र पर, पहले से आखिरी तक, पांच उम्मीदवारों तक रैंक करने का अवसर मिलता है।
- पहली पसंद के वोटों की गिनती के बाद अगर किसी को 50% प्लस मत मिलता है, तो चुनाव खत्म हो जाता है और वह उम्मीदवार जीत जाता है।
- लेकिन अगर किसी को 50% प्लस मत नहीं मिलता है, तो यह राउंड 2 पर है।
- प्रथम स्थान के वोटों की सबसे कम संख्या वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है, और उस उम्मीदवार के मतदाताओं की दूसरी पसंद को अन्य उम्मीदवारों के वोट के रूप में पुनर्वितरित किया जाता है।
- वोटों का यह पुनर्वितरण तब तक चलता है जब तक कोई 50% प्लस तक नहीं पहुंच जाता।

इस प्रणाली के गुण

- लोगों की आवाज की गिनती: भले ही किसी मतदाता की शीर्ष पसंद के पास जीतने के लिए पर्याप्त समर्थन न हो, फिर भी अन्य उम्मीदवारों की उनकी रैंकिंग विजेता का निर्धारण करने में एक भूमिका निभाती है।
- अधिक उदारवादी उम्मीदवार: व्यापक समर्थन के बिना किसी के लिए इस प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होना कठिन है। एक पारंपरिक चुनाव में, फ्रिंज राजनीतिक विचारों वाले किसी व्यक्ति के लिए यह संभव है, कि वह जीत जाए, भले ही उन्हें बहुसंख्यक मतदाता नापसंद करते हों।
- कम नकारात्मक प्रचार: तर्क दिया जाता है कि उम्मीदवारों को उन्हें पसंद करने के लिए (कम से कम अगले व्यक्ति से अधिक) मतदाताओं के बहुमत की आवश्यकता होती है और व्यापक समूह को पूरा करने के लिए, उम्मीदवार प्रचार के अपने ध्रुवीकरण की प्रकृति को शांत करते हैं।

- मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना: लोग अपना वोट डालने के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। उस एक विकल्प के लिए अपनी नाक पकड़ने के बजाय, मतदाता उस व्यक्ति के लिए कम से कम पहली पसंद व्यक्त कर सकते हैं जिसे वे वास्तव में पसंद करते हैं।

रैंक-पसंद मतदान के दोष:

- यह जटिल है: इसके लिए मतदाताओं को बहुत अधिक शोध करने की आवश्यकता होती है। यह दौड़ को कम अनुमानित भी बनाता है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि यह कम लोकतांत्रिक है क्योंकि यह एक व्यक्ति, एक वोट के विचार के खिलाफ है।
- पारदर्शिता और विश्वास भी संभावित समस्याएं हैं। आधुनिक रैंक च्वाइस सिस्टम के तहत वोटों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा की जाती है। बाहरी समूहों को यह मूल्यांकन करने में कठिन समय होगा कि सॉफ़्टवेयर ने रैंक किए गए वोटों को सही ढंग से क्रमबद्ध किया है या नहीं।
- बहुत से लोग सभी विकल्पों को नहीं भरते हैं: यदि सभी लोग सभी विकल्पों को नहीं भर रहे हैं तो अधिकांश लोगों की सच्ची इच्छा को जानना मुश्किल है।
- इससे खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिल सकता है: रैंक-च्वाइस वोटिंग उम्मीदवारों के लिए एक दूसरे के साथ सौदा करने के लिए दरवाजा खोल सकती है कि उनके मतदाताओं को दूसरी पसंद के रूप में किसके लिए जाना चाहिए।
- यह जरूरी नहीं कि नकारात्मक प्रचार कम हो: नकारात्मक प्रचार का अधिकांश हिस्सा बाहरी समूहों द्वारा किया जाता है, और रैंक-पसंद मतदान में कुछ भी उन संस्थाओं को ऐसा करने से रोकता नहीं है।

407. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council)

- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद भारत के असम राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है।
- द्वितीय बोडो समझौते, **2003** ने संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) का गठन किया।
- बीटीसी क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले क्षेत्र को अब आधिकारिक तौर पर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (**BTR**) कहा जाता है, जिसमें चार जिलों- कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी और बस्का, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में 3,082 गांव शामिल हैं।
- BTC छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है।
  - चूंकि इसमें 46 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 40 निर्वाचित होते हैं।
  - इन 40 सीटों में से 35 अनुसूचित जनजाति और गैर-आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित हैं, पांच अनारक्षित हैं और बाकी छह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले (BTAD) के कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं।

- असम में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में बोडो सबसे बड़ा समुदाय है।
- बोडो बोडो-कछारी (**Bodo-Kachari**) का हिस्सा हैं और असम की आबादी का लगभग 5-6% हैं।
- बोडो राज्य की पहली संगठित मांग 1967-68 में आई थी।
- 1985 के असम समझौते ने बोडो आकांक्षाओं को जन्म दिया और 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने बोडो राज्य की मांग को पुनर्जीवित किया।
- उग्रवादी बोडो सुरक्षा बल जो 1986 में बोडो राज्य की मांग करने वाले एक सशस्त्र समूह के रूप में उभरा, ने खुद को उग्रवादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) नाम दिया, और बाद में गुटों में विभाजित हो गया।
- **1993 में ABSU** के साथ पहले बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसने कुछ सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (**BAC**) का निर्माण किया।

- **2003** में, चरमपंथी समूह बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स **(BLTF),** केंद्र और राज्य द्वारा दूसरे बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संविधान की छठी अनुसूची:

- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं।
- भारत के संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1)) में पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में स्थानीय प्रथागत कानूनों के माध्यम से विकेंद्रीकृत स्वशासन और विवाद समाधान का प्रावधान है जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र हैं।
- 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित, यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है।
    - कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर में 10 क्षेत्र हैं जो स्वायत्त जिलों के रूप में पंजीकृत हैं - तीन असम, मेघालय और मिजोरम में और एक त्रिपुरा में।
- ADC एक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें संविधान ने राज्य विधानमंडल के भीतर स्वायत्तता की अलग-अलग डिग्री दी है।
- इन राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का अधिकार है।

408. कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद **(Karbi Anglong Autonomous Council)**

- KAAC भारत के असम राज्य में एक स्वायत्त जिला परिषद है जो कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में रहने वाले आदिवासियों के विकास और संरक्षण के लिए है।
- परिषद का गठन भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत किया गया है और प्रशासनिक रूप से असम सरकार के तहत कार्य करता है।

छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत, स्वायत्त जिला परिषदें निम्नलिखित क्षेत्रों में कानून, नियम और विनियम बना सकती हैं:

- भूमि प्रबंधन
- वन प्रबंधन
- जल संसाधन
- कृषि और खेती
- ग्राम परिषदों का गठन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- स्वच्छता
- गांव और शहर स्तर की पुलिसिंग
- पारंपरिक प्रमुखों और मुखियाओं की नियुक्ति
- संपत्ति की विरासत
- विवाह और तलाक
- सामाजिक रीति-रिवाज
- धन उधार और व्यापार
- खनन और खनिज

न्यायिक शक्तियां

- स्वायत्त जिला परिषदों के पास उन मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने की शक्तियां हैं जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम जेल की सजा 5 साल से कम है।

कराधान और राजस्व

- स्वायत्त जिला परिषदों के पास कर, शुल्क और टोल लगाने की शक्तियां हैं; भवन और भूमि, पशु, वाहन, नाव, क्षेत्र में माल का प्रवेश, सड़क, घाट, पुल, रोजगार और आय और स्कूलों और सड़कों के रखरखाव के लिए सामान्य कर।

409. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (Ladakh autonomous hill development council)

समाचार में: NTPC ने हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- LAHDC, लेह एक स्वायत्त जिला परिषद है जो लद्दाख के लेह जिले का प्रशासन करती है।
- परिषद को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम **1995** के तहत बनाया गया था।
- LAHDC-लेह में कुल **30** सीटें हैं और सरकार द्वारा चार पार्षद मनोनीत किए जाते हैं।
- परिषद की कार्यकारी शाखा में एक मुख्य कार्यकारी पार्षद और चार अन्य कार्यकारी पार्षदों से बनी एक कार्यकारी समिति होती है।
- स्वायत्त पहाड़ी परिषद आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भूमि उपयोग, कराधान और स्थानीय शासन पर निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ काम करती है, जिसकी समीक्षा मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षदों की उपस्थिति में ब्लॉक मुख्यालय पर की जाती है।
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन जिलों में कानून और व्यवस्था, संचार और उच्च शिक्षा की देखभाल करता है।
- लेह, जो लद्दाख का एक बौद्ध बहुल जिला है, ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अद्वितीय सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान को कमजोर पड़ने से बचाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची को लागू करने की मांग की है।
- परिषद के लोकतांत्रिक संविधान ने जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी के साथ योजना प्रक्रिया के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की है।
- पड़ोसी कारगिल जिले में भी एक स्वायत्त पहाड़ी परिषद स्थापित की गई है। कारगिल में हिल काउंसिल जुलाई 2003 में अस्तित्व में आई।

410. राराइट टू रिकॉल (Right to Recall)

- समाचार में: हाल ही में, हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया, जो पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है।

बिल:

- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह ग्रामीण निकायों में महिलाओं को **50%** आरक्षण का प्रावधान करता है।

- पिछड़े वर्गों के बीच "अधिक वंचित" को **8%** आरक्षण प्रदान करता है।

- ग्राम सरपंचों और ब्लॉक-स्तरीय पंचायत समितियों और जिला-स्तरीय जिला परिषदों के सदस्यों को वापस बुलाने की अनुमति देता है यदि वे प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं।

राइट टू रिकॉल के बारे में

- राइट टू रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाताओं को निर्वाचित अधिकारियों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की शक्ति होती है।
- यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का एक उदाहरण है।

राइट टू रिकॉल के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसा कि बिल में दिया गया है

- का उपयोग करने के लिए, एक वार्ड या ग्राम सभा के **50%** सदस्यों को लिखित में देना होगा कि वे कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं।
- इसके बाद एक गुप्त मतदान होगा, जिसमें उनके वापस बुलाने के लिए दो-तिहाई सदस्यों को उनके खिलाफ मतदान करना होगा।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

- प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जो जनता को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन, कानून, संधि या नीतिगत निर्णय पर सीधे मतदान करने में सक्षम बनाती हैं।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न उपकरणों में शामिल हैं:

- जनमत संग्रह (**Referendums**)- मतदाताओं को एक विशिष्ट राजनीतिक, संवैधानिक या विधायी मुद्दे पर प्रत्यक्ष वोट देने की अनुमति देता है। परिणाम सरकार पर बाध्यकारी है।

- नागरिकों की पहल (**Citizens' initiatives**)- मतदाताओं को लोगों द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक / विधायी उपाय पर मतदान करने की अनुमति देता है यदि उपाय के प्रस्तावक इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर एकत्र करते हैं।

- लोकमत-संग्रह (**Plebiscite**)- यह लोगों के वर्ग द्वारा प्राप्त आत्मनिर्णय के अधिकार के बल पर सरकार द्वारा आयोजित एक प्रकार का जनमत संग्रह है। यह बाध्यकारी हो भी सकता है और नहीं भी।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 58 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

411. अब्राहम समझौता (Abraham Accord)

412. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP)

413. प्रत्यर्पण (Extradition)

414. ईरान-परमाणु समझौता (Iran-Nuclear Agreement)

415. नई 'स्टार्ट' परमाणु हथियार संधि (New START Nuclear Arms Treaty)

416. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty)

417. वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences)

418. USTR द्वारा विशेष 301 रिपोर्ट (Special 301 report by USTR)

419. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience initiative)

420. क्षेत्रीय संगठन (Regional Organizations)

411. अब्राहम समझौता (Abraham Accord)

- समाचार में: हाल ही में, इज़राइल, यूएई और बहरीन ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना है।
- 'अब्राहम अकॉर्ड' कहे जाने वाले इस समझौते की पैरवी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी।

इस समझौते के अनुच्छेद क्या हैं?

- इस समझौते में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात इज़राइल राज्य को मान्यता देगा और इसके साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करेगा, जबकि इज़राइल फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक के स्वामित्व की अपनी विवादास्पद योजना को रोक देगा।
- अगले कुछ हफ्तों में, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को अंतिम रूप देंगे और सहयोग के अन्य क्षेत्रों के अलावा निवेश, पर्यटन, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यावरण मुद्दों और दूतावासों की स्थापना के क्षेत्रों को कवर करेंगे।
- संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया है कि इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात को भी "लोगों के बीच लोगों के संबंधों को मजबूत करने" होंगे।
- बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायल अब अरब और मुस्लिम **विश्व** के अन्य देशों के साथ संबंधों के विस्तार पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा, और यह कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे।

क्या आप जानते हैं?

- जॉर्डन और मिस्र को छोड़कर, इजरायल के फिलिस्तीनियों के साथ लंबे समय से संघर्ष के कारण खाड़ी अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं।
- इजरायल ने 1979 में मिस्र के साथ और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
- हालांकि, आधिकारिक राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति के बावजूद, इजरायल व्यापार जैसे मुद्दों के संबंध में अपने पड़ोसियों के साथ संलग्न रहा है।

समझौते का महत्व

- समझौते से पता चलता है कि कैसे अरब देश धीरे-धीरे फिलिस्तीन के **प्रश्न** से खुद को अलग कर रहे हैं।
- यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका में बहुत सद्भावना प्रदान करता है, जहां यमन युद्ध में उसकी भागीदारी से उसकी छवि धूमिल हुई है।
- ओमान जैसे क्षेत्र के अन्य खाड़ी राज्य समान प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं और इजरायल के साथ इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- UAE और बहरीन का इजरायल के साथ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है, न ही वे कभी इसके साथ युद्ध में रहे हैं।
- यद्यपि औपचारिक रूप से एक अरब सर्वसम्मति (फिलिस्तीन के कारण के दो-राज्य संकल्प) के लिए प्रतिबद्ध है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन हाल के वर्षों में इज़राइल के साथ वास्तविक संबंध रखने की दिशा में लगातार आगे बढ़े हैं।
- इसलिए, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ किया गया 'अब्राहम समझौता' इजरायल द्वारा बिना किसी भौतिक बदले की भावना के 'शांति के लिए शांति' समझौता हैं।

412. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP)

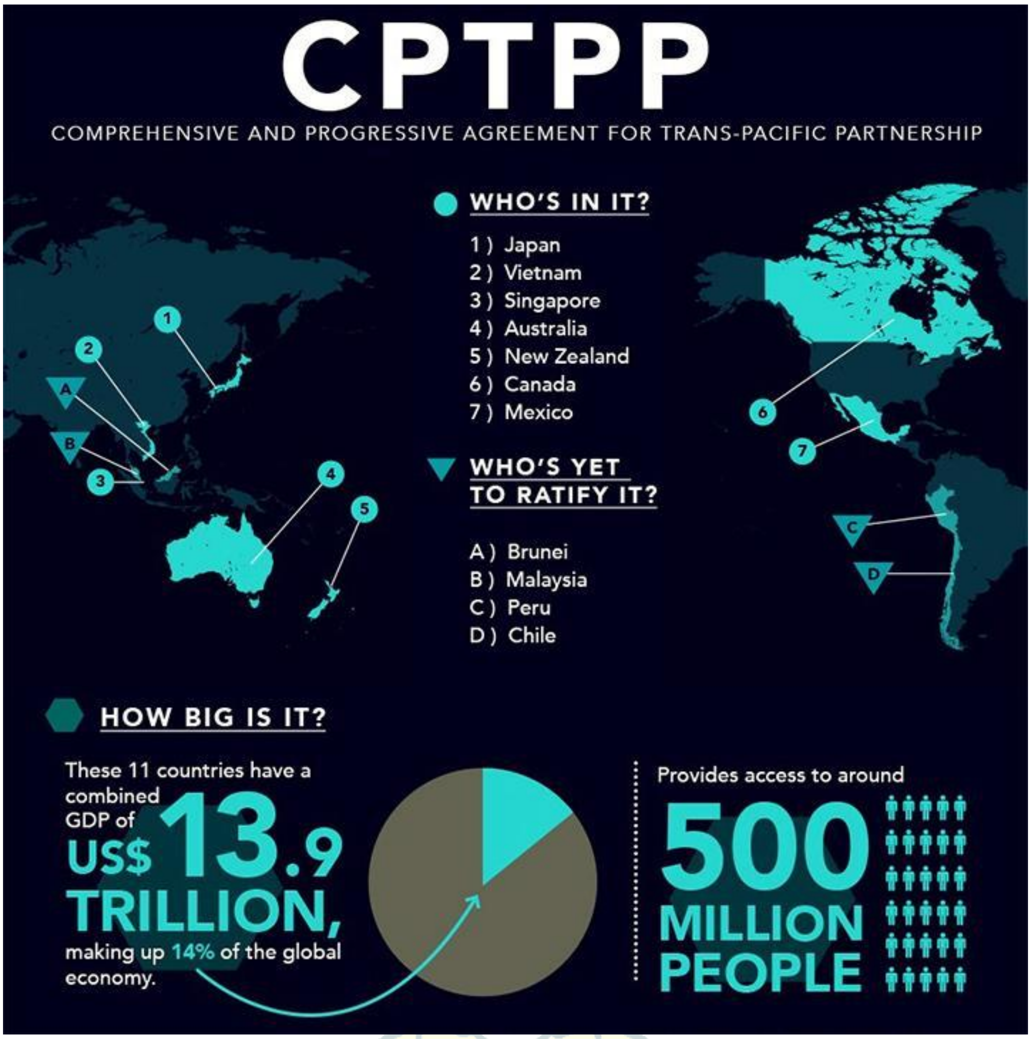

- **CPTPP** प्रशांत रिम के आसपास के **11** देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता **(FTA)** है जो हैं:
- कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान।
- अमेरिका द्वारा ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप **(TPP)** की वार्ता से हटने के बाद, शेष 11 प्रतिभागियों ने समझौते के पाठ में संशोधन करने के लिए संघर्ष किया, और मार्च **2018** में नए नामित **CPTPP** पर हस्ताक्षर किए गए।
- CPTPP वस्तुओं और सेवाओं पर 99% टैरिफ हटा देता है, ठीक वैसे ही जैसे मूल TPP ने किया था।
- CPTPP में माल और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार और खाद्य सुरक्षा मानक शामिल हैं।
- सभी देश वन्यजीव तस्करी में कटौती करने पर सहमत हुए। इससे हाथियों, गैंडों और समुद्री प्रजातियों को सबसे ज्यादा मदद मिलती है।
- यह पर्यावरण के दुरुपयोग को रोकता है, जैसे कि अस्थिर लॉगिंग और मछली पकड़ना। जो देश अनुपालन नहीं करेंगे उन्हें व्यापार दंड का सामना करना पड़ेगा।
- भारत का रुख: भारत CPTPP में शामिल नहीं हुआ क्योंकि यह अपने अन्य भागीदारों पर अधिक श्रम और पर्यावरण मानकों को रखने का प्रयास करता है और CPTPP के मसौदे में निवेश संरक्षण के मानकों पर संकीर्ण रूप से विस्तृत योग्यताएं, मेजबान राज्य के विनियमन के अधिकार की रक्षा के प्रावधान, विस्तृत पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करना शामिल है।

413. प्रत्यर्पण (Extradition)

- समाचार में: अप्रैल 2021 में, ब्रिटेन के गृह विभाग ने 13,758 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के संबंध में एक हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।

इसके बारे में:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रत्यर्पण की परिभाषा के अनुसार, 'प्रत्यर्पण, एक देश (यहाँ यूके) द्वारा दूसरे देश (भारत) में किये गए किसी अपराध में अभियुक्त (नीरव मोदी) अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपना है, बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत द्वारा न्यायोचित हो।
    - यहां नीरव मोदी पर अपराध का आरोप लगा है लेकिन वह भारत से भाग कर ब्रिटेन में शरण ले चुका है। इसलिए भारतीय अधिकारियों को नीरव मोदी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करना होगा ताकि भारतीय न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सके।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को एक राज्य की ओर से दूसरे राज्य में डिलीवरी के रूप में परिभाषित किया, जिनके लिए वह उन अपराधों से निपटने के लिए वांछित है, जिनके लिए उन्हें आरोपी या दोषी ठहराया गया है और दूसरे राज्य के न्यायालयों में न्यायोचित हैं।
- प्रत्यर्पण योग्य व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है, उन लोगों को शामिल किया गया है जो हिरासत से भाग गए हैं और उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराए गए हैं।
- प्रत्यर्पण का आधार भारत और दूसरे देश के बीच एक संधि हो सकती है।

भारत में, एक भगोड़े अपराधी का प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, **1962** के तहत शासित होता है।

- यह भारत और भारत से विदेशों में प्रत्यर्पित व्यक्तियों दोनों के लिए है।
- इसके अलावा, वर्तमान में भारत में 40 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि और 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौता है।

प्रत्यर्पण संधि में पालन किए गए सिद्धांत

- प्रत्यर्पण केवल उन्हीं अपराधों पर लागू होता है जिनका उल्लेख संधि में किया गया है।
- यह दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को लागू करता है जिसका अर्थ है कि अपराध अनुरोध के साथ-साथ अनुरोधित देश के राष्ट्रीय कानूनों में अपराध होने की मांग करता है।
- अनुरोधित देश को संतुष्ट होना चाहिए कि अपराधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
- प्रत्यर्पण केवल उसी अपराध के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था।
- आरोपी की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए।
- नोडल प्राधिकरण: विदेश मंत्रालय का दूतावास संबंधी, पासपोर्ट और वीज़ा डिवीजन, प्रत्यर्पण अधिनियम का प्रशासन करता है और यह आने वाले और बाहर जाने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों को संसाधित करता है।

प्रत्यर्पण पर कुछ आम रूकावट:

- दोहरी आपराधिकता को पूरा करने में विफलता - यदि जिस कार्य के लिए अपराधी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह अनुरोधित राज्य में अपराध नहीं है, तो राज्य प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है।

- राजनीतिक अपराध-अधिकांश राष्ट्र राजनीतिक आपराधिक संदिग्धों के प्रत्यर्पण से इनकार करते हैं। इसमें आतंकवादी अपराध और हिंसक अपराध शामिल नहीं हैं।
- सजा के कुछ रूपों की संभावना – यदि अभियुक्त को अनुरोध करने वाले राज्य में मृत्युदंड या यातना प्राप्त होने की संभावना है, तो अनुरोधित राज्य प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है।
- अधिकार क्षेत्र-किसी अपराध पर अधिकार क्षेत्र की कमी को प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए लागू किया जा सकता है।
- प्रत्यर्पण संधि की अनुपस्थिति।
- पश्चिम एशिया/खाड़ी देशों में अपराध करने के बाद भारत लौटने वाले भारतीय नागरिकों को उन देशों में प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है। वे भारतीय कानून के अनुसार भारत में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। क्योंकि इन देशों के साथ द्विपक्षीय संधियाँ अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण (ओमान को छोड़कर) रोक लगाती हैं।

414. ईरान-परमाणु समझौता (Iran-Nuclear Agreement)

संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना या परमाणु समझौता **(Joint Comprehensive Plan of Action or Nuclear deal):**

- JCPOA के तहत, ईरान मध्यम-समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को खत्म करने, कम समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार में 98% की कटौती करने और 13 वर्षों के लिए अपने गैस सेंट्रीफ्यूज की संख्या को लगभग दो-तिहाई कम करने पर सहमत हुआ।
- अगले 15 वर्षों के लिए ईरान केवल 3.67% तक यूरेनियम का संवर्धन करेगा।
- ईरान ने भी इसी अवधि के लिए कोई नई भारी जल की सुविधा नहीं निर्मित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- यूरेनियम-संवर्धन गतिविधियां 10 वर्षों के लिए पहली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके एकल सुविधा तक सीमित होंगी।
- प्रसार जोखिम से बचने के लिए अन्य सुविधाओं को परिवर्तित किया जाएगा।
- समझौते के साथ ईरान के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के पास सभी ईरानी परमाणु सुविधाओं तक नियमित पहुंच होगी।

बदले में ईरान को क्या मिलेगा?

- समझौते में प्रावधान है कि अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के बदले में, ईरान को अमेरिका, यूरोपीय संघ और UNSC परमाणु संबंधित प्रतिबंधों से राहत मिलेगी।
- इससे ईरान को विश्व अर्थव्यवस्था में अधिक निकटता से एकीकृत करने और अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से हट गए और ईरान पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए।

- ईरान ने समझौते के अन्य सदस्यों के लिए अमेरिका को समझौते में फिर से शामिल होने के लिए मनाने की प्रतीक्षा की, लेकिन समझौते को पुनर्जीवित नहीं कर सका। इस पृष्ठभूमि में, ईरान ने घोषणा की कि वह 2015 के परमाणु समझौते का पालन करने से इनकार करते हुए यूरेनियम को समृद्ध करने की सीमाओं को छोड़ देगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी के साथ सहयोग करना जारी रखेगा।

समयरेखा:

- ईरान ने 1970 में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की पुष्टि की, और अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार करने की योजना बनाई।
- इस्लामी क्रांति के बाद, इन योजनाओं को बंद कर दिया गया था, और 1980 के दशक के अंत में, ईरान ने AMAD नामक परियोजना, एक अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम की स्थापना की।
- 2003 में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में, ईरान ने कार्यक्रम को रोक दिया, और अपने NPT सुरक्षा उपायों के समझौते के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को कार्यक्रम को सत्यापित करने में अधिक शक्तियां प्रदान की गईं।
- 2006 में, अमेरिका, रूस और चीन ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर राष्ट्रों का P5+1 समूह बनाया, जो ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था।
- 2009 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत, अमेरिका ने ईरान के शीर्ष परमाणु वार्ताकार के साथ व्यापक आमने-सामने की बातचीत की।
- 2013 में, ईरान और छह शक्तियों ने एक अंतरिम समझौते की घोषणा की जिसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्थायी रूप से रोक दिया और कुछ ईरानी संपत्तियों को मुक्त कर दिया, एक व्यापक परमाणु समझौते पर विस्तारित वार्ता के लिए मंच तैयार किया।
- 2015 में, ईरान परमाणु समझौते (औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना) पर ईरान और पी 5 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों) और जर्मनी और यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

415. नई 'स्टार्ट' परमाणु हथियार संधि (New START Nuclear Arms Treaty)

- समाचार में: हाल ही में, रूस ने नई START संधि के विस्तार को मंजूरी दी। यह अंतिम शेष परमाणु रूस-यूएसए हथियार नियंत्रण संधि है जो फरवरी 2021 में समाप्त होने वाली थी।

नई स्टार्ट संधि:

- यह 5 फरवरी, 2011 को लागू हुई।
- यह सामरिक आक्रामक हथियारों को और कम करने और सीमित करने के उपायों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक संधि है।
- 'रणनीतिक आक्रामक हथियार' शब्द सामरिक परमाणु वितरण वाहनों (**'‘SNDV'**) द्वारा तैनात परमाणु हथियार पर लागू होता है।
- SNDV अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (**'ICBM'**) हैं, जिनकी सीमा 5,500 किलोमीटर से अधिक है, रणनीतिक बमवर्षक, युद्धपोत (रणनीतिक पनडुब्बियों सहित) और क्रूज मिसाइलें, जिनमें हवा और समुद्र से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलें शामिल हैं।
- यह 1991 के START ढांचे (शीत युद्ध के अंत में) का उत्तराधिकारी है जो दोनों पक्षों को 1,600 रणनीतिक वितरण वाहनों और 6,000 वॉरहेड तक सीमित करता है।
- यह दोनों पक्षों को 700 रणनीतिक लांचर और 1,550 वॉरहेड तक सीमित करके संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को कम करने की प्रक्रिया को जारी रखता है।

416. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty)

- समाचार में: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (IWT) 19 सितंबर 2020 को अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही है।

इसके बारे में

- सिंधु प्रणाली में मुख्य सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। बेसिन मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा चीन और अफगानिस्तान के लिए एक छोटे से हिस्से के साथ साझा किया जाता है।
- **1960** में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित संधि के तहत, तीन नदियों,अर्थात् रावी, सतलज और ब्यास (पूर्वी नदियों) के सभी जल को विशेष उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था।
- जबकि, संधि में प्रदान किए गए निर्दिष्ट घरेलू, गैर-उपभोग्य और कृषि उपयोग को छोड़कर पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था।
- भारत को पश्चिमी नदियों पर नदी (ROR) परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार भी दिया गया है, जो डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन अप्रतिबंधित है।

वर्तमान विकास

भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित की गई पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए, भारत ने निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया है:

- सतलुज पर भाखड़ा बांध।
- ब्यास पर पोंग और पंडोह बांध और
- रवि पर थीन (रंजीत सागर)।

- अन्य कार्यों जैसे ब्यास-सतलज लिंक, माधोपुर-ब्यास लिंक, इंदिरा गांधी नाहर परियोजना आदि ने भारत को पूर्वी नदियों के पानी के लगभग पूरे हिस्से (95%) का उपयोग करने में मदद की है।
- हालाँकि, रावी से सालाना लगभग **2** मिलियन एकड़ फीट **(MAF)** पानी अभी भी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में अप्रयुक्त होने की सूचना है।
- 2016 में, पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं की चिंताओं को उठाते हुए विश्व बैंक से संपर्क किया था। विश्व बैंक ने भारत को परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।
- पाकिस्तान द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद 1987 में तुलबुल परियोजना को निलंबित कर दिया गया था। हाल ही में, सरकार ने पाकिस्तान के विरोध को ध्यान में रखते हुए इस निलंबन की समीक्षा करने का निर्णय लिया।
- पाकिस्तान की लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन **(LBOD)** परियोजना भारत के गुजरात में कच्छ के रण से होकर गुजरती है। भारत ने, भारत की सहमति के बिना निर्माण का विरोध किया क्योंकि इससे गुजरात में बाढ़ आ सकती है।
- भारत पर उरी हमलों के मद्देनजर, प्रधान मंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते।

417. वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences)

- समाचार में: हाल ही में, यूरोपीय संघ (EU) संसद ने एक प्रस्ताव अपनाया है जिसमें यूरोपीय संघ के आयोग से श्रीलंका को दिए गए GSP+ स्थिति को अस्थायी रूप से वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया गया है।

प्राथमिकता की सामान्यीकृत प्रणाली (**GSPs**)के बारे में

- इसकी स्थापना **1971** में **व्यापार एवं विकास पर** संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (**UNCTAD**) के तत्वावधान में की गई थी।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए एक सक्षम व्यापारिक वातावरण बनाना है।
- GSP वरीयता देने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं।
- कम से कम विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे सम्मेलन में अपनाई गई कार्रवाई का इस्तांबुल कार्यक्रम, अधिमान्य व्यापार के लिए भी प्रदान करता है।

यूरोपीय संघ की वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (**GSPs**)

- यह यूरोपीय संघ के नियमों का एक समूह है जो विकासशील देशों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ को अपने निर्यात पर कम या कोई शुल्क नहीं देने की अनुमति देता है।
- **GSP** के लिए मानदंड
    - अमेरिकी नागरिकों या निगमों के पक्ष में मध्यस्थ पुरस्कारों का सम्मान करना।
    - बाल श्रम का मुकाबला करना।
    - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यकर्ता अधिकारों का सम्मान करना।
    - पर्याप्त और प्रभावी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान करना।
    - अमेरिका को न्यायसंगत और उचित बाजार पहुंच प्रदान करना।
    - आर्थिक विकास से संबंधित कारकों के आधार पर देशों को GSP कार्यक्रम से भी स्नातक किया जा सकता है।

418. USTR द्वारा विशेष 301 रिपोर्ट (Special 301 report by USTR)

- यह रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (**United States Trade Representative -USTR**) द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है।
- विशेष 301 रिपोर्ट उन व्यापारिक भागीदारों की पहचान करती है जो बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों की पर्याप्त रूप से या प्रभावी रूप से रक्षा और प्रवर्तन न करें या
    - अन्यथा अमेरिकी नवप्रवर्तकों और रचनाकारों को बाजार पहुंच से वंचित करते है जो अपने आईपी अधिकारों की सुरक्षा पर भरोसा करते हैं।
- दूसरे शब्दों में, यह अन्य देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों के कारण संयुक्त राज्य की कंपनियों और उत्पादों के लिए व्यापार बाधाओं की पहचान करता है।
- ट्रेडिंग पार्टनर जो वर्तमान में IP अधिकारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं को प्रस्तुत करते हैं उन्हें प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची पर रखा जाता है।
    - अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला प्राथमिकता निगरानी सूची में हैं।

- बारबाडोस, बोलीविया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, मिस्र, ग्वाटेमाला, कुवैत, लेबनान, मैक्सिको, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, रोमानिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उजबेकिस्तान और वियतनाम निगरानी सूची में हैं।

पर्याप्त बौद्धिक संपदा (**IP**) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की कमी के कारण भारत 'प्राथमिकता निगरानी सूची' पर बना हुआ है।

भारत के साथ मुद्दे:

1. विशेष रूप से दवा क्षेत्र में पेटेंट लागू करने में कठिनाई।
2. एक पुराना व्यापार संकोची ढांचा।
3. चिकित्सा उपकरणों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर उच्च सीमा शुल्क।
4. कोई केंद्रीकृत **IP** प्रवर्तन एजेंसी नहीं।
5. 2019 में आर्थिक विकास और सहयोग संगठन (**OECD**) द्वारा नकली सामानों के लिए भारत को शीर्ष पांच स्रोत अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया गया था।
6. ट्रेडमार्क प्राप्त करने में "अत्यधिक देरी"।
7. सरकार के **2019** के मसौदे कॉपीराइट संशोधन नियमों ने रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से लेकर ऑनलाइन प्रसारण तक अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे को विस्तृत कर दिया है।

419. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience initiative)

- समाचार में: भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने औपचारिक रूप से अप्रैल 2021 में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) शुरू की है।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की अवधारणा:

- यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी देश को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उसने केवल एक पर निर्भर होने के बजाय आपूर्ति करने वाले कुछ देशों में अपने आपूर्ति जोखिम को विविधता प्रदान की है।
- कोई भी अप्रत्याशित घटना जो किसी विशेष देश से आपूर्ति को बाधित करती है या व्यापार के लिए जानबूझकर रोकती है, गंतव्य देश में आर्थिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। प्रतिकूलता को कम करने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला की विविधता की आवश्यकता है।

SCRI के बारे में

- SCRI, जिसे पहले जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, का उद्देश्य कोविड -19 महामारी के बीच भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के फिर से शुरू होने की संभावना के बीच चीन पर निर्भरता को कम करना है।
  - कोविड -19 महामारी का जीवन खो जाने, आजीविका और अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के संदर्भ में एक अभूतपूर्व प्रभाव पड़ रहा था, और यह कि महामारी ने विश्व स्तर पर (चीन केंद्रित) आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों का खुलासा किया था।

- प्रारंभ में, SCRI आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और निवेश संवर्धन कार्यक्रमों और खरीदार-विक्रेता मिलान कार्यक्रमों को आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि हितधारकों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की संभावना का पता लगाने के अवसर प्रदान किए जा सकें।
- संयुक्त उपायों में डिजिटल प्रौद्योगिकी और व्यापार और निवेश विविधीकरण के उन्नत उपयोग का समर्थन करना शामिल हो सकता है।

SCRI का उद्देश्य:

- भारत-प्रशांत को आर्थिक महाशक्ति में बदलने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- मौजूदा द्विपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क पर निर्माण करना।
- भारत और जापान के पास पहले से ही एक इंडो-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी है जो भारत में जापानी फर्मों का पता लगाने से संबंधित है।
- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझ उभरने के बाद, इस पहल को आसियान देशों के लिए भी खोला जा सकता है।

420. क्षेत्रीय संगठन (Regional Organizations)

लंकांग-मेकांग सहयोग

- मेकांग नदी के तटवर्ती राज्यों के बीच सहयोग के लिए चीन के नेतृत्व में एक बहुपक्षीय पहल है। लंकांग मेकांग का वह हिस्सा है जो चीन से होकर बहती है।
- इस तंत्र के सदस्य देश कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
- LMC की स्थापना चीन ने 2016 में मूल रूप से मेकांग नदी के मुद्दों पर खुद को आवाज देने के लिए की थी।
- LMC का उद्देश्य छह सदस्य राज्यों के बीच अच्छे-पड़ोसी और व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है।
- अन्य लक्ष्यों में शामिल हैं:
    - LMC देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामूहिक प्रयास करें।
    - लोगों की भलाई में सुधार करना और इसके सदस्यों के बीच विकास की खाई को कम करना।
    - आसियान समुदाय का समर्थन करना।
    - अग्रिम दक्षिण-दक्षिण सहयोग
    - संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के कार्यान्वयन में वृद्धि।
- चीन भी इस तंत्र के माध्यम से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को मजबूत करना चाहता है।

मेकांग गंगा सहयोग (**MGC**)

- सदस्यता: MGC, एक उप-क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
- इतिहास: MGC को 2000 में लाओस की राजधानी वियनतियाने में लॉन्च किया गया था।
- जनादेश: MGC का उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग बढ़ाना है।

क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ

- 1985 में ढाका, बांग्लादेश में स्थापित।
- 8 सदस्य देश - भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान।
- 9 पर्यवेक्षक - ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ (ईयू), ईरान, जापान, मॉरीशस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), चीन, म्यांमार
- सार्क मुख्यालय: काठमांडू, नेपाल

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

- इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
- यह उप-क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणापत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया
- 7 सदस्यों में से,
    - पांच दक्षिण एशिया से हैं -
    - बांग्लादेश
    - भूटान
    - इंडिया
    - नेपाल
    - श्री लंका

दो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं -

- म्यांमार
- थाईलैंड

बिम्सटेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।

- इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में साझे हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

- आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी।
- बैंकॉक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ।

- पूर्ववर्ती संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशिया (ASA) था।
- बाद के वर्षों में पांच अन्य राष्ट्र आसियान में शामिल हो गए जिससे दस देशों की वर्तमान सदस्यता हो गई।

आसियान सदस्य

- थाईलैंड (संस्थापक सदस्य)
- फिलीपींस (संस्थापक सदस्य)
- मलेशिया (संस्थापक सदस्य)
- सिंगापुर (संस्थापक सदस्य)
- इंडोनेशिया (संस्थापक सदस्य)
- ब्रुनेई (1984 में शामिल हुए)
- वियतनाम (1995 में शामिल हुए)
- लाओ पीडीआर (1997 में शामिल हुए)
- म्यांमार (1997 में शामिल हुए)
- कंबोडिया (1999 में शामिल हुए)
- पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्ते (पूर्वी तिमोर) नामक दो पर्यवेक्षक राज्य हैं।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 71 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

501. AI-आधारित पोर्टल: SUPACE (AI Portal SUPACE)

502. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)

503. नाम बदलने का अधिकार (Right to Change Name)

504. न्यायाधिकरण सुधार (Tribunal Reforms)

505. श्रेया सिंघल निर्णय (Shreya Singhal Judgement)

506. कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)

507. प्ली बार्गेनिंग और क्लास एक्शन सूट (Plea bargaining and Class Action Suit)

508. रिट याचिकाएं (Writ Petitions)

509. ग्राम न्यायालय अधिनियम (Grama Nyayalayas Act)

510. एनसीएलएटी (NCLAT)

501. AI-आधारित पोर्टल: SUPACE (AI Portal SUPACE)

- समाचार में: हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायिक प्रणाली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पोर्टल 'SUPACE' लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना है।
- **'SUPACE'** कोर्ट की दक्षता में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट पोर्टल (**Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency**) का शार्ट फॉर्म है।
- यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है।
- इसे निर्णय लेने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि केवल तथ्यों को संसाधित करने और निर्णय के लिए इनपुट की तलाश करने वाले न्यायाधीशों को उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है।
- प्रारंभ में, इसका प्रयोग प्रायोगिक आधार पर बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा जो आपराधिक मामलों से निपटते हैं।
- महत्व
    - यह मामले की आवश्यकता और न्यायाधीश के सोचने के तरीके के अनुसार अनुकूलित परिणाम देगा।
    - इससे समय की बचत होगी। इससे न्यायपालिका और अदालत को मामलों की देरी और पेंडेंसी को कम करने में मदद मिलेगी।
    - AI न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित, लागत प्रभावी और समयबद्ध साधन पेश करेगा।

ई-कोर्ट परियोजना

- इसकी अवधारणा न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) द्वारा भारतीय न्यायपालिका को बदलने की दृष्टि से की गई थी।
- यह एक अखिल भारतीय परियोजना है, जो देश भर के जिला न्यायालयों के लिए न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निगरानी और वित्त पोषित है।

502. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)

- न्यायालय की अवमानना किसी न्यायालय की गरिमा या अधिकार के प्रति अनादर दिखाने के अपराध को संदर्भित करती है।
- अवमानना का उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना कहा जाता है यदि न्यायालय के अधिकार को बदनाम किया जाता है और न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास कमजोर या क्षीण हो जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं।
- अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971, अवमानना के लिए जांच और सजा के संबंध में प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल, और उच्च न्यायालयों के मामले में, महाधिवक्ता अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्ताव ला सकते हैं।
- हालाँकि, यदि प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जाता है, तो अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता की लिखित सहमति आवश्यक है।
- मामले की शुरुआत के लिए किए गए प्रस्ताव या संदर्भ में अवमानना का उल्लेख करना होगा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह दोषी है।
- इसके पीछे उद्देश्य कोर्ट का समय बचाना है।
- यदि AG सहमति से इनकार करते हैं, तो मामला खत्म हो जाता है।

- हालाँकि, जब अदालत खुद अदालत की अवमानना का मामला शुरू करती है तो AG की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- संविधान का अनुच्छेद **129** सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के मामलों को स्वयं शुरू करने की शक्ति देता है।

कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 सिविल और आपराधिक अवमानना में अवमानना को विभाजित करता है।

- आपराधिक अवमानना में कोई भी कार्य या प्रकाशन शामिल है जो:
    - कोर्ट को बदनाम करता है,
    - किसी भी न्यायिक कार्यवाही को पूर्वाग्रहित करता है
    - किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है।
- 'न्यायालय को बदनाम करना' मोटे तौर पर उन बयानों या प्रकाशनों को संदर्भित करता है जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने का प्रभाव रखते हैं।

503. नाम बदलने का अधिकार (Right to Change Name)

समाचार में: सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन **(CBSE)** के उस नियम को खारिज कर दिया, जिसमें छात्रों को बोर्ड के सर्टिफिकेट में अपना नाम बदलने या सही करने से रोक दिया गया था।

- CBSE के नियम ने छात्रों को बोर्ड प्रमाणपत्रों पर अपना नाम बदलने या सही करने से रोक दिया था, इस अनुमान के आधार पर कि यह "प्रशासनिक दक्षता" को प्रभावित करेगा।
- SC ने कहा कि उपरोक्त नियम सामाजिक वास्तविकताओं से दूर था और यहां तक कि "बेतुका"भी था। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दक्षता सीबीएसई की एकमात्र चिंता नहीं हो सकती।
- SC ने कहा कि "हर संस्थान अपने कामकाज में दक्षता चाहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बुनियादी कार्यों पर अंकुश लगाकर दक्षता हासिल की जाती है।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैसे एक किशोर कानून के साथ संघर्ष में होने का आरोप लगाता है या यौन शोषण का शिकार होता है**,** जिसकी पहचान मीडिया या खोजी निकाय द्वारा चूक के कारण प्रभावित हुई है, वे अपने अधिकार के प्रयोग करते हुए समाज में पुनर्वास की मांग करने के लिए नाम बदलने पर विचार कर सकते हैं। इसलिए, इसमें भूल जाने का अधिकार शामिल है।
- एक व्यक्ति को अपने नाम के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए। कानून को उसे हर समय स्वतंत्र रूप से इस तरह के नियंत्रण को बनाए रखने के साथ-साथ प्रयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। इस तरह के नियंत्रण में अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति की आकांक्षा को एक उचित कारण के लिए एक अलग नाम से पहचाना जाना शामिल होगा। उदाहरण के लिए, 'लिंग' एक विकसित अवधारणा है जो पहचान दस्तावेजों में बदलाव की गारंटी दे सकती है।
- अदालत ने कहा कि किसी का नाम पहचान का एक आंतरिक तत्व है। अपना नाम बदलने का अधिकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
- यह देखते हुए कि सीबीएसई अपने सार्वजनिक कार्य के कारण संविधान में एक 'राज्य' था, और राज्य की संस्थाओं को नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग में संबल की भूमिका निभानी चाहिए।

504. न्यायाधिकरण सुधार (Tribunal Reforms)

समाचार में: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2021 को वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा 13 फरवरी, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था।

बिल के बारे में

- यह कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करने और अपने कार्यों (जैसे अपील के अधिनिर्णय) को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में स्थानांतरित करने का प्रयास करता है ।
- वित्त अधिनियम, **2017** ने केंद्र सरकार को 19 न्यायाधिकरणों (जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण) के लिए सदस्यों की योग्यता, उनकी सेवा के नियम और शर्तों और खोज-सह-चयन समितियों की संरचना पर नियमों को सूचित करने का अधिकार दिया।
- विधेयक 2017 अधिनियम में संशोधन करता है ताकि अधिनियम में ही खोज-सह-चयन समितियों की संरचना और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
- खोज-सह-चयन समितियाँ: ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।
- समिति में शामिल होंगे
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष के रूप में (मतदान के साथ),
    - केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव,
    - वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष, या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश,
    - मंत्रालय का सचिव जिसके अधीन न्यायाधिकरण का गठन किया गया है (मतदान अधिकार के बिना)।
- कार्यालय की अवधि: अधिकरण के अध्यक्ष के लिए पद की अवधि चार वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी। अधिकरण के अन्य सदस्यों के लिए, अवधि चार वर्ष या साठ-सात वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगी।
- विधेयक में वित्त अधिनियम, 2017 के दायरे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शामिल है।
- Bill includes the National Consumer Disputes Redressal Commission established under the Consumer Protection Act, 2019 within the purview of the Finance Act, 2017.
- बिल शामिल नहीं करता -
    - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित हवाई अड्डा अपीलीय न्यायाधिकरण,
    - व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित अपीलीय बोर्ड,
    - आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित उन्नत सत्तारूढ़ का अधिकार, और
    - सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण, वित्त अधिनियम, 2017 के दायरे से।

विधेयक के तहत प्रस्तावित प्रमुख अपीलीय निकायों के कार्यों का स्थानांतरण

अधिनियम	अपीलीय निकाय	प्रस्तावित इकाई
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952	अपीलीय न्यायाधिकरण	उच्च न्यायालय
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय
कॉपीराइट अधिनियम, 1957	अपीलीय बोर्ड	वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	अग्रिम विनिर्णयों के लिए प्राधिकरण	उच्च न्यायालय
पेटेंट अधिनियम, 1970	अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994	हवाई अड्डा अपीलीय न्यायाधिकरण	केंद्र सरकार, अनाधिकृत कब्जाधारियों द्वारा हवाईअड्डा परिसर में छोड़ी गई संपत्तियों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए। बेदखली अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए उच्च न्यायालय।
राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002	हवाई अड्डा अपीलीय न्यायाधिकरण	सिविल कोर्ट
माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय

505. श्रेया सिंघल निर्णय (Shreya Singhal Judgement)

समाचार में: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66 ए के तहत दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है।

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि प्रावधान अभी भी लोगों को बुक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, हालांकि उच्चतम न्यायलय ने इसे असंवैधानिक और श्रेया सिंघल फैसले, 2015 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना।

श्रेया सिंघल फैसले के बारे में

- अधिनियम की धारा 66 (ए) कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने का अपराधीकरण करती है।
- धारा 66 A पुलिस को किसी भी "आपत्तिजनक" संदेश के लिए गिरफ्तारी करने के लिए मनमानी शक्तियां देती है - एक पूरी तरह से व्यक्तिपरक शब्द। इसमें असंतोष को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।
- पिछले कुछ वर्षों में, टिप्पणियों से संबंधित घटनाओं, सूचनाओं को साझा करने या इंटरनेट पर किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों ने धारा 66 (ए) के तहत आपराधिक दंड को आकर्षित किया है।
    - एक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को राजनेताओं के संसदीय आचरण की स्थिति पर स्केच बनाने के लिए इसी प्रावधान को लागू करते हुए गिरफ्तार किया गया था और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में, पूरे प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, जिसे भारत में ऑनलाइन मुक्त भाषण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षरण माना जाता है।

- फैसले में पाया गया कि धारा 66ए संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की आजादी) और अनुच्छेद **21** (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत है।

- कानून को "अपनी संपूर्णता में अस्पष्ट" बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जनता के जानने के अधिकार का अतिक्रमण करता है।

- इसके अलावा, झुंझलाहट, असुविधा, खतरे, आदि के कारण बनना या घोर आपत्तिजनक होना या खतरनाक चरित्र होना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है।

506. कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)

यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।

प्रणाली का विकास:

प्रथम न्यायाधीश मामला **(1981):**

- इसने घोषणा की कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश **(CJI)** की सिफारिश की "प्राथमिकता" को "गंभीर कारणों" से अस्वीकार किया जा सकता है।
- सत्तारूढ़ ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्राथमिकता दी।

द्वितीय न्यायाधीश मामला **(1993):**

- SC ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, यह मानते हुए कि "परामर्श" का वास्तविक अर्थ "सहमति" है।

- इसमें कहा गया है कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि SC में दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय है।

तीसरा न्यायाधीश मामला **(1998):**

- राष्ट्रपति के संदर्भ में SC ने कॉलेजियम का विस्तार पांच सदस्यीय निकाय में कर दिया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे।

SC कॉलेजियम का नेतृत्व **CJI** करते हैं और इसमें अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

एक **HC** कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

- HC कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम CJI और SC कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं।

- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है।

    - यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच कराने तक सीमित है।

- इसमें आपत्तियां भी उठाई जा सकती हैं और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम एक ही नाम दोहराता है तो सरकार संविधान पीठ के फैसले के तहत उन्हें जज के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया:

CJI के लिए:

- भारत के राष्ट्रपति CJI और अन्य SC न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- जहां तक CJI का सवाल है, निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं।
- व्यवहार में, यह 1970 के दशक के अधिक्रमण विवाद के बाद से वरिष्ठता से सख्ती से रहा है।

SC न्यायाधीशों के लिए:

- SC के अन्य न्यायाधीशों के लिए, प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
- **CJI** कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करता है, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति संबंधित है।
- परामर्शदाताओं को अपनी राय लिखित रूप में दर्ज करनी चाहिए और इसे फाइल का हिस्सा बनाना चाहिए।
- कॉलेजियम कानून मंत्री को सिफारिश भेजता है, जो इसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री को भेजता है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिए:

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश होने की नीति के अनुसार की जाती है।
- कॉलेजियम पदोन्नति पर चुनता है।
- हाईकोर्ट के जजों की सिफारिश सीजेआई और दो सीनियर जजों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
- प्रस्ताव, हालांकि, संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।
- सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं।

507. प्ली बार्गेनिंग और क्लास एक्शन सूट (Plea bargaining and Class Action Suit)

समाचार में: हाल ही में ONGC बार्ज आपदा जैसी घटनाएं भारत में प्रभावी क्लास एक्शन मुक़दमे की अनुपस्थिति को रेखांकित करती हैं।

क्लास एक्शन सूट के बारे में

- यह एक कानूनी कार्रवाई या दावा है जो एक या कई वादी को समान हितों वाले लोगों के समूह के लिए फाइल करने और पेश होने की अनुमति देता है। ऐसा समूह एक "वर्ग" बनाता है।
- एक वर्ग कार्रवाई, जिसे वर्ग-कार्रवाई मुकदमा, वर्ग सूट या प्रतिनिधि कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का मुकदमा है जहां पार्टियों में से एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।
- एक शक्तिशाली विरोधी के खिलाफ आम व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधि मुकदमेबाजी से एक वर्ग कार्रवाई मुक़दमा प्राप्त होता है।
- इन्हें औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में **1938** में नागरिक प्रक्रिया के संघीय नियमों के तहत कानून में शामिल किया गया था।
- भारत में उदाहरण-भोपाल गैस त्रासदी मामला, सत्यम कंप्यूटर मामला आदि।

दलील सौदा:

- यहां एक आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति अभियोजन पक्ष के साथ बातचीत करता है।
- वह दोषी मानते हुए कम सजा की मांग करता है।
- इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त और अभियोजक के बीच पूर्व-परीक्षण वार्ता शामिल है।
- इसमें आरोप पर या सजा की मात्रा में सौदेबाजी शामिल हो सकती है।
- भारत में इसे **CrPC** में संशोधन के एक सेट के हिस्से के रूप में 2006 में पेश किया गया था।
    - किसी अभियुक्त को पूर्ण मुकदमे के अधिकार का दावा करने के बजाय 'दोषी' की वकालत करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में हमेशा एक प्रावधान रहा है, लेकिन यह दलील सौदेबाजी के समान नहीं है।
    - भारतीय विधि आयोग ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में अपनी मर्जी से दोषी ठहराए जाने वालों के "रियायती इलाज" के विचार को खारिज कर दिया।
    - लेकिन इस बात को रेखांकित किया कि इसमें अभियोजन पक्ष के साथ कोई दलील सौदेबाजी या "सौदेबाजी" शामिल नहीं होगी।

508. रिट याचिकाएं (Writ Petitions)

- रिट सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश है जो भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देता है।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपायों से संबंधित है जो एक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग सकता है।
- वही लेख सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है जबकि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत समान शक्ति है।
- रिट- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश रिट (Mandamus), प्रतिषेध रिट (Prohibition), उत्प्रेषण लेख (Writ of Certaiorari), अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

बंदी प्रत्यक्षीकरण (**HABEAS CORPUS**)

- सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है:
    - जब हिरासत वैध है।
    - जब कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो।
    - नजरबंदी एक सक्षम अदालत द्वारा किया जाता है।
    - नजरबंदी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

परमादेश रिट (**Mandamus**)

- इस रिट का उपयोग अदालत द्वारा उस सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है या अपना कर्तव्य करने से इनकार कर दिया है।

- बंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
- विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक बल नहीं है।
- किसी को काम करने का आदेश देना जब काम का प्रकार विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो।
- एक संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए।
- भारतीय राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
- न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ।
- निरंतर परमादेश या संरचनात्मक निषेधाज्ञा या संरचनात्मक निषेधाज्ञा एक लंबी अवधि में चल रहे आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से कानून की अदालत द्वारा दी गई राहत है।

प्रतिषेध रिट (**Prohibition**)

- निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से मना करना।
- प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
- इसे प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।

उत्प्रेषण लेख (**Writ of Certaiorari**)

- 'प्रमाणित होना' या 'सूचित किया जाना'। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को किसी भी मामले में उनके आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
- **1991** से पहले: उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती थी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नहीं
- **1991** के बाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है।
- इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है।

अधिकार पृच्छा (**Quo Warranto**)

- 'किस अधिकार या वारंट द्वारा' यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोकने के लिए जारी किया जाता है।
- अधिकार पृच्छा तभी जारी किया जा सकता है जब किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र का मूल सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो।
- इसे निजी या मंत्रिस्तरीय कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।

509. ग्राम न्यायालय अधिनियम (Grama Nyayalayas Act)

- ये ग्राम न्यायालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुँच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, **2008** के तहत स्थापित किए गए हैं।
- संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र पर ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होता है।
- न्यायालय इस संबंध में व्यापक प्रचार करने के बाद, ऐसे ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एक मोबाइल अदालत के रूप में कार्य कर सकता है।
- अपराधों पर उनके पास नागरिक और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार हैं।
- आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय और दीवानी मामलों में जिला न्यायालय में अपील।
- न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार - संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित।
- GN की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी द्वारा की जाती है, जिसके पास समान शक्ति होगी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान वेतन और लाभ प्राप्त होंगे।
- ऐसे न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जानी है।
- दीवानी वादों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर सीमित स्थगनों के साथ आगे बढ़ाया जाता है और वाद की स्थापना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निपटारा किया जाता है।
- डिक्री के निष्पादन में, न्यायालय प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करते हुए विशेष प्रक्रियाओं की अनुमति दे सकता है।
- ग्राम न्यायालय पहली बार में विवाद के समाधान और उसी के निपटारे की अनुमति देते हैं।
- ग्राम न्यायालयों को कुछ साक्ष्यों को स्वीकार करने की शक्ति दी गई है जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं होंगे।
- ग्राम न्यायालय पोर्टल लागू करने वाले राज्यों द्वारा ग्राम न्यायालयों के कामकाज की ऑनलाइन निगरानी में मदद करता है।
- हालाँकि, अधिनियम को ठीक से लागू नहीं किया गया है, देश में 5000 ऐसी अदालतों के लक्ष्य के खिलाफ केवल 208 कार्यात्मक ग्राम न्यायालय (सितंबर 2019) है।
- गैर-प्रवर्तन के पीछे प्रमुख कारणों में वित्तीय बाधाएं, वकीलों, पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा शामिल है।

510. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT)

- समाचार में: एस्सार मामला, साइरस मिस्त्री मामला, आदि।

NCLAT कंपनी अधिनियम, **2013** के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

कार्य:

- यह निम्नलिखित के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है:

- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 61 के तहत NCLT.
- IBC की धारा 202 और धारा 211 के तहत भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

संरचना:

- ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी।
- ट्रिब्यूनल के सदस्यों और तकनीकी सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा जिसमें शामिल हैं:
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित-अध्यक्ष।
    - सर्वोच्च न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश— सदस्य।
    - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव-सदस्य।
    - कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव-सदस्य।
    - वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव-सदस्य।

पात्रता:

- अध्यक्ष-सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- न्यायिक सदस्य-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है / रहा है या 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक न्यायाधिकरण का न्यायिक सदस्य है।
- तकनीकी सदस्य- सिद्ध क्षमता, सत्यनिष्ठा और 25 वर्ष या उससे अधिक (निर्दिष्ट क्षेत्रों में) का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

अवधि:

- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है और उन्हें अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 72 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

511. वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternate Dispute Resolution)

512. भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India)

513. सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकार (Rights available only to Citizens)

514. न्याय बंधु ऐप (Nyaya Bandhu App)

515. विचाराधीन कैदी (Under Trails)

516. अनुच्छेद 29 और 30 (Article 29 & 30)

517. ई-न्यायालय (e-Courts)

518. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service)

519. मास्टर ऑफ रोस्टर (Master of Roster)

520. समीक्षा याचिका, दया याचिका और उपचारात्मक याचिका (Review Petition, Mercy Petition and Curative Petition)

511. वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternate Dispute Resolution)

नई दिल्ली में: नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम (NDIAC), 2019 पारित किया गया।

- यह NDIAC की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इसने NDIAC को **राष्ट्रीय महत्व की संस्था** के रूप में परिकल्पित किया।
- अध्यादेश मौजूदा **ICADR (वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय**
- **केंद्र) को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना चाहता है।**
- ICADR में सभी अधिकार, शीर्षक और हित NDIAC को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

ADR वार्ता और चर्चाओं के माध्यम से एक उत्तरदायी निपटान पर पहुंचकर पार्टियों के बीच विवादों और असहमति को हल करने की एक तकनीक है। यह विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों के अलावा एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास है।

- ADR विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर प्रतिकूल है, अर्थात सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने के लिए एक साथ मिलकर काम करना।

- ADR अदालतों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जबकि इसमें शामिल पक्षों के लिए एक पूर्ण और संतोषजनक अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

विभिन्न वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **मध्यस्थता** - प्रक्रिया जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्ष या पक्ष मामले की **योग्यता के आधार पर निर्णय** देते हैं। मध्यस्थ पक्षों पर एक बाध्यकारी पुरस्कार प्रदान करता है।

- मध्यस्थता - इसका उद्देश्य विवादित पक्षों द्वारा **सहमति से समाधान** के विकास को सुगम बनाना है। इसकी देखरेख एक गैर-पक्षपाती तृतीय पक्ष (मध्यस्थ) द्वारा की जाती है।

- **सुलह** - प्रक्रिया जिसके द्वारा विवादों का समाधान समझौता या स्वैच्छिक समझौते द्वारा प्राप्त किया जाता है। मध्यस्थता के विपरीत, संयोजक एक बाध्यकारी पुरस्कार प्रदान नहीं करता है। पार्टियां प्रदान किए गए पुरस्कार को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- **लोक अदालतें:** विवाद निपटान प्रणाली में तेजी लाने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के साथ विवाद निपटान प्रणाली की लोक अदालत प्रणाली की स्थापना की गई। लोक अदालतों में प्री-लिटिगेशन चरण में विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है।

- **संधिवार्ता**: यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना पक्षों के बीच विवाद के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से चर्चा शुरू की जाती है। व्यापार, गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी शाखाओं, कानूनी कार्यवाही, राष्ट्रों के बीच और व्यक्तिगत स्थितियों जैसे विवाह, तलाक, पालन-पोषण और रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत होती है।

भारत में ADR

- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अदालत के बाहर निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए पारित किया गया था, और नया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया गया था।

- प्ली-सौदेबाजी की प्रक्रिया को 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया था। {याचिका-सौदेबाजी को "अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच पूर्व-परीक्षण वार्ता के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है, जिसके दौरान अभियुक्त अभियोजन द्वारा कुछ रियायतों के बदले में दोषी होने के लिए सहमत होता है।"}

- लोक अदालत या "लोगों की अदालत" में एक अनौपचारिक सेटिंग शामिल है जो न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में बातचीत की सुविधा प्रदान करती है जिसमें कानूनी तकनीकी पर अनुचित जोर दिए बिना मामलों को निपटाया जाता है। लोक-अदालत का आदेश अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी है, और कानून की अदालत में अपील करने योग्य नहीं है।

512. भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India)

समाचार में: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन साल की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंज़ूरी दी है।

- विधि आयोग एक **कार्यकारी निकाय** है जिसे सरकार द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है। यह कानून मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- विधि आयोग न तो एक वैधानिक और न ही एक संवैधानिक निकाय है।
- यह **कानून और न्याय मंत्रालय** के **सलाहकार निकाय** के रूप में काम करता है।
- विधि आयोग कानून में अनुसंधान करता है और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है ताकि उसमें सुधार किया जा सके और केंद्र सरकार या स्व-प्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सकें।
- भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में तीन साल के कार्यकाल के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन अटॉर्नी-जनरल **एम.सी. सेतलवाड़** थे।
  - **पहला विधि आयोग** 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान **1833 के चार्टर अधिनियम** द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी **अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले** ने की थी।

विधि आयोग के सदस्य

- आयोग में कानूनी और न्यायिक विशेषज्ञ शामिल हैं।
- 1 स्थायी सदस्य, 1 सदस्य सचिव, 2 अंशकालिक सदस्य, 2 पदेन सदस्य।
- आयोग में एक **अध्यक्ष** और अन्य सदस्य होते हैं।
- विधि सचिव और विधि मंत्रालय के अधीन सचिव (विधायी) पदेन सदस्य होते हैं।

विधि आयोग के अन्य कार्यों में शामिल हैं:

- उन कानूनों की पहचान जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश करते हैं।
- उन कानूनों की जांच करना जो गरीबों को प्रभावित करते हैं और सामाजिक-आर्थिक कानूनों के लिए पोस्ट-ऑडिट करते हैं।
- **निर्देशक सिद्धांतों को लागू** करने और **संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों** को प्राप्त करने के लिए नए कानून के अधिनियमन का सुझाव देना आवश्यक हो सकता है।
- कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए और संदेश देते हुए, जिसे **सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय** (कानूनी कार्य विभाग) के माध्यम से विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है।

- कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करना।
- **लैंगिक समानता** को बढ़ावा देने और उसमें संशोधन का सुझाव देने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों का परीक्षण करें।
- खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर **वैश्वीकरण के प्रभाव** की जांच करें और हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की सुरक्षा के उपायों की सिफारिश करें।
- **केंद्र सरकार को समय-समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और अनुसंधान पर रिपोर्ट तैयार करना** और प्रस्तुत करना और ऐसी रिपोर्टों में संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों के लिए सिफारिश करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।
- अपनी सिफारिशों को ठोस बनाने से पहले, आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों और इस तरह, अन्य हितधारकों को आयोग के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जा सकता है।

513. सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकार (Rights available only to Citizens)

समाचार में: हाल ही में, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ में अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के म्यांमार निर्वासन पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया।

मुख्य तर्क:

- SC ने 23 जनवरी, 2020 के **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** के एक फैसले पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता का उल्लेख किया, जिसमें नरसंहार की स्थिति दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 7.75 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए।
- SC ने सरकार के इस शब्द पर भरोसा किया कि शरणार्थी के जीवन को खतरे में डालने वाली जगह पर गैर-प्रतिशोध, या जबरन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत **केवल 1951 या उसके 1967 प्रोटोकॉल के संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी सम्मेलन में हस्ताक्षरकर्ताओं पर लागू** होता है।
- यह कहा जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक को नहीं सुना गया था, क्योंकि अदालत ने महसूस किया कि उसके हस्तक्षेप पर गंभीर आपत्तियां उठाई गई थीं।
- SC ने स्वीकार किया कि निर्वासित न होने का अधिकार **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से सम्बंधित नहीं है,** जो **सभी मनुष्यों पर लागू होता है,** बल्कि अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत भारत में रहने और बसने के अधिकार से सम्बंधित है, जो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है।

निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की सूची है जो **केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध** हैं (विदेशियों के लिए नहीं):

- जाति, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (**अनुच्छेद 15**).
- सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (**अनुच्छेद 16**).
- स्वतंत्रता का संरक्षण: (**अनुच्छेद 19**)
    - भाषण और अभिव्यक्ति

- एसोसिएशन
- विधानसभा
- आंदोलन
- निवास
- पेशा

- अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण **(अनुच्छेद 29)**
- शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार **(अनुच्छेद 30)**

514. न्याय बंधु ऐप (Nyaya Bandhu App)

समाचार में: न्याय विभाग ने उमंग प्लेटफॉर्म (MeitY) पर न्याय बंधु एप्लिकेशन का iOS संस्करण लॉन्च किया।

- न्याय बंधु मोबाइल ऐप **मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रावधान की सुविधा** प्रदान करता है।
- ऐप का उद्देश्य **जरूरतमंद वादियों को ऐसे वकीलों से जोड़ना है जो इस तरह की नि:शुल्क सेवाओं की पेशकश** करना चाहते हैं। मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के इच्छुक वकील ऐप के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं।
- इस प्रकार जरूरतमंद वादी एप के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
- नि: स्वार्थ सेवा देने के लिए स्वेच्छा से वकीलों का एक डेटाबेस बनाए रखते हुए, विभाग कानूनी क्षेत्र में एक नि: शुल्क संस्कृति को विकसित करने की उम्मीद करता है।
- इसे **CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड** के सहयोग से विकसित किया गया है और यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

नि: शुल्क कानूनी सेवा:

- प्रो बोनो लैटिन अभिव्यक्ति **"प्रो बोनो पब्लिको"** से आया है जिसका **अर्थ है "जनता की भलाई के लिए"**।
- कई वकील बिना किसी पेशेवर शुल्क के गरीब और वंचित ग्राहकों को मूल्यवान कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।

न्याय बंधु कार्यक्रम के बारे में

- प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम को **अप्रैल 2017 में कानून और न्याय मंत्री द्वारा** लॉन्च किया गया था।
- यह सुनिश्चित करेगा कि इस सार्वजनिक सेवा के लिए अपना बहुमूल्य समय और सेवा देने वाले वकीलों को उनके योगदान के लिए विधिवत मान्यता दी जाए।

पात्र लाभार्थी:

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार 1987. इनमें शामिल हैं:
  - अनुसूचित जाति के सदस्य
  - अनुसूचित जनजाति के सदस्य

- संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव या बीगर में तस्करी का शिकार
- महिला या बच्चा
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में व्यक्ति
- एक औद्योगिक कार्यकर्त्ता
- सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार
- कानून के तहत निर्दिष्ट से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति

515. विचाराधीन कैदी (Under Trails)

समाचार में : केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग वाली याचिका पर फैसला करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जीवन का मौलिक अधिकार विचाराधीन कैदियों के लिए भी उपलब्ध है।

- ट्रायल के तहत एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसे हिरासत (जेल) में रखा जा रहा है जो किसी अपराध के मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है यानी न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

- **2013 में जेलों की अमानवीय स्थितियों पर** एक ऐतिहासिक निर्णय में SC द्वारा जारी दिशा-निर्देश। (असम राज्य बनाम 1382 जेलों में पुनः अमानवीय स्थिति)
- प्रत्येक जिले में गठित की जाने वाली **विचाराधीन समीक्षा समिति की प्रत्येक तिमाही में** बैठक होनी चाहिए।
- अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी को विशेष रूप से **CrPC की धारा 436** (गैर-जमानती अपराधों को छोड़कर जमानत पर रिहा किए जाने वाले कैदी) और **CrPC की धारा 436 ए** के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं पर गौर करना चाहिए ताकि विचाराधीन कैदियों को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके।
- प्रत्येक राज्य के **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण** को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचाराधीन कैदियों और दोषियों, विशेष रूप से गरीब और निर्धन लोगों की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम वकील उपलब्ध कराए जाएं।
- **जिला विधिक सेवा समिति** को कंपाउंडेबल अपराधों में विचाराधीन कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर भी गौर करना चाहिए।

सरकार के कदम:

- विचाराधीन कैदियों से जुड़े मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए **फास्ट ट्रैक अदालतों** की स्थापना।
- **न्याय और कानूनी सुधारों की डिलीवरी के लिए मिशन मोड प्रोग्राम-** अंडरट्रायल प्रोग्राम: इसका उद्देश्य 2010 तक सभी विचाराधीन मामलों में से 2/3 को हल करना और जेलों में भीड़भाड़ को कम करना है।
- CrPC की धारा 265 के माध्यम से **दलील सौदेबाजी की अवधारणा का परिचय**:
- **CrPC की धारा 436 A** का सम्मिलन- इसमें कहा गया है कि यदि किसी आरोपी को अपराध से जुड़े कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे व्यक्तिगत बांड की प्रस्तुति पर रिहा होने का अधिकार है।
- NALSA के कानूनी सेवा क्लीनिकों द्वारा सभी विचाराधीन कैदियों को **निःशुल्क कानूनी सेवाएं** प्रदान की जाती हैं।

516. अनुच्छेद 29 और 30 (Article 29 & 30)

- **समाचार में**: VHP ने अनुच्छेद 29 और 30 में संशोधन की मांग की ताकि सभी शिक्षण संस्थानों के साथ समान व्यवहार किया जा सके।
- क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत संघ में **सुप्रीम कोर्ट** - धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार **पूर्ण अधिकार नहीं** हैं और राज्य के विनियमन से मुक्त नहीं हैं।
- अनुच्छेद 30 राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए उचित नियम लागू करने से नहीं रोकता है।

अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

- **अनुच्छेद 29(1)**: भारत में रहने वाले सभी नागरिक समूहों की एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा और लिपि है, उन्हें अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार है। यह अधिकार पूर्ण है और यहां आम जनता के हित में **कोई 'उचित प्रतिबंध'** नहीं हैं।
- **अनुच्छेद 29(2)**: राज्य अपने द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों में या उनसे सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। यह अधिकार व्यक्तियों को दिया जाता है, न कि किसी समुदाय को।

अनुच्छेद 30-शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

- **अनुच्छेद 30(1)**: सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है ।
- **अनुच्छेद 30(2)**: राज्य को शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

517. ई-न्यायालय (e-Courts)

- **समाचार में:** पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय **फरीदाबाद** में **अपना पहला वर्चुअल कोर्ट (ई-कोर्ट)** शुरू करेगा।

ई-कोर्ट परियोजना

- ई-कोर्ट परियोजना की अवधारणा ई-समिति, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत "**भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** के कार्यान्वयन के लिए **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना - 2005**" के आधार पर की गई थी।
- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना, **एक अखिल भारतीय परियोजना है**, जो देश भर के जिला न्यायालयों के लिए **न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगरानी और वित्त पोषित** है।

परियोजना की परिकल्पना है:

- आभासी अदालतें.
- न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना, स्थापित करना और कार्यान्वित करना।
- अपने हितधारकों को सूचना प्रकटीकरण की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- न्यायिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए।

ई-समिति

- न्यायपालिका में आईटी और प्रशासनिक सुधारों के उपयोग के लिए एक गाइड मैप प्रदान करने के लिए **2004 में** ई-समिति की स्थापना की गई थी।

- ई-समिति के कामकाज के संबंध में सभी व्यय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृत बजट से वहन किए जाते हैं।

518. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service - AIJS)

समाचार में: हाल ही में कानून मंत्री ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के माध्यम से न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को अधिक प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की।

AIJS के बारे में:

- AIJS **न्यायिक अधिकारियों का एक प्रस्तावित संवर्ग** है जिसे निचले स्तरों (उच्च न्यायालयों के नीचे) पर न्यायपालिका के लिए भर्ती किया जाना है।
- उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर आयोजित एक खुली प्रतियोगी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाना है।
- **अनुच्छेद 312 के तहत इसे अखिल भारतीय सेवा** घोषित किया गया है।
- UPSC की तर्ज पर काम कर रहे AIJS की देखरेख के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया जाएगा।
- वर्तमान में, निचले स्तर के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती संबंधित **राज्य सरकारों** द्वारा **राज्य उच्च न्यायालयों** के अनुरूप की जाती है।

एक संक्षिप्त इतिहास:

- **अनुच्छेद 235** निचली न्यायपालिका को उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखता है।
- AIJS के गठन का विचार पहली बार 1958 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक प्रस्ताव के रूप में सामने आया।
- 1976 में **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिशों के बाद, **अनुच्छेद 312** को न्यायिक सेवाओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, लेकिन इसमें जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था।
- **1961, 1963 और 1965 में मुख्य न्यायाधीशों** के सम्मेलनों ने AIJS के निर्माण का समर्थन किया।
- लेकिन कुछ **राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा इसका विरोध** करने के बाद प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि यह निचले स्तर की न्यायपालिका की भर्ती के लिए उनकी शक्तियों को छीन लेता है।
- **भारत सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के निर्माण पर श्वेत पत्र जारी किया है।**

519. मास्टर ऑफ रोस्टर (Master of Roster)

- **'मास्टर ऑफ रोस्टर'** मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है।
- इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है।
- CJI को **संवेदनशील मामलों को विशिष्ट पीठों को चिह्नित** करने का भी अधिकार है।

मुद्दे:

- पहला, क्या चीफ जस्टिस सुनवाई का हिस्सा हो सकते हैं, एक **घोटाला जो कथित तौर पर उन्हें फंसाता** है।

- दूसरा, क्या वर्तमान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है जिसके माध्यम से ऐसी बेंच का गठन किया जाता है?
- जस्टिस चेलमेश्वर का संवैधानिक पीठ गठित करने का आदेश।
- तीसरा, यह कानून के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है: **निमो जुडेक्स इन कौसा सुआ (Nemo Judex In Causa Sua),** कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।

कानूनी आधार:

- सुप्रीम कोर्ट **हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर (अध्याय VI - रोस्टर)** नियम 29: रजिस्ट्रार भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के तहत रोस्टर तैयार करेगा, और ऐसी सभी शक्तियां, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामान्य आदेशों के अधीन हैं।
- **राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद:** उच्च न्यायालय के मामलों के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर है।

520. समीक्षा याचिका, दया याचिका और उपचारात्मक याचिका (Review Petition, Mercy Petition and Curative Petition)

समीक्षा याचिका:

- **अनुच्छेद 137** के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
- **समीक्षा की गुंजाइश:**
  - मामले का ताजा जायजा लेने के लिए नहीं, बल्कि **उन गंभीर त्रुटियों को ठीक करने के लिए, जिनके परिणामस्वरूप न्याय में चूक हुई है।**
  - 1975 के एक फैसले में, **न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर** ने कहा कि एक समीक्षा को "केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या गंभीर त्रुटि जैसी गंभीर त्रुटि पहले न्यायिक गिरावट से सामने आई हो"।

दया याचिका:

- एक दोषी द्वारा अपनी सजा को कम सजा में बदलने के लिए दया याचिका दायर की जाती है।
- **दया याचिका का दायरा:**
  - सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
  - दोषी **सुप्रीम कोर्ट** में अपील कर सकता है।
  - यदि सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने से इनकार करता है या मौत की सजा को बरकरार रखता है।
  - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 72** के तहत भारत के राष्ट्रपति को या भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 161** के तहत राज्य के राज्यपाल को दया याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

उपचारात्मक याचिका

- एक क्यूरेटिव पिटीशन एक याचिका है जो अदालत से एक समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद भी अपने फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करती है।

- **निर्भया केस** के दौरान जब दया और समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक ही याचिका दायर की थी।

- **एक उपचारात्मक याचिका की प्रक्रिया**

    - एक उपचारात्मक याचिका भारत के संविधान के **अनुच्छेद 137** द्वारा समर्थित है।
    - निर्णय पारित होने की तारीख से **30 दिनों के भीतर** एक क्यूरेटिव याचिका दायर की जानी चाहिए।
    - **समीक्षा याचिका खारिज होने पर ही** याचिकाकर्ता क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकता है।
    - एक उपचारात्मक याचिका पर विचार तभी किया जाता है जब यह स्थापित हो कि **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन** किया गया है।
    - याचिका पर विचार करने का अतिरिक्त आधार यह है कि फैसला सुनाते समय **अदालत ने उसकी बात नहीं सुनी।**
    - यदि याचिका में उचित विचार के लिए कोई आधार नहीं है तो अदालत याचिकाकर्ता पर "**अनुकरणीय लागत**" लगा सकती है।

विशेष अनुमति याचिका:

- **अनुच्छेद 136** के तहत, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल में पारित आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए एक पीड़ित पक्ष को विशेष अनुमति या छोड़ने की शक्ति प्रदान करता है।

- **अपील के विपरीत अपील का उच्च न्यायालय** के विरुद्ध होना आवश्यक नहीं है।

- यदि **कानून का कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल** है, या **घोर अन्याय** किया गया है, तो इसका उपयोग किया जाना है।

- यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित एक विवेकाधीन शक्ति है और न्यायालय अपने **विवेक से अपील करने की अनुमति देने से इंकार कर सकता** है।

- पीड़ित पक्ष **अनुच्छेद 136** के तहत अपील करने के अधिकार के रूप में विशेष अनुमति का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित विशेषाधिकार है कि वह अपील करने की अनुमति दे या न दे।

- अनुमति याचिका तब दायर की जा सकती है **जब कोई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र देने से इनकार** करता है।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 85 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

601. एमसीक्यू (MCQs)

602. एमसीक्यू (MCQs)

603. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

604. चुनाव आयोग (Election Commission)

605. नीति आयोग (NITI Aayog)

606. लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य (Public Service Commissions: Union and State)

607. एफएसएसएआई - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India)

608. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission)

609. भारतीय शिक्षा बोर्ड (Bharatiya Shiksha board)

610. चयन समितियों की तुलना (Comparison of selection committees)

601. और 602. एमसीक्यू (601. & 602. MCQs)

Q.1) कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है।
2. उन्हें मानव शरीर के घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं में बनाया जा सकता है।
3. उनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर में किया जा सकता है।
4. कार्बन नैनोट्यूब बायोडिग्रेडेबल होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Answer: (d)

- कार्बन नैनोट्यूब (CNTs) बेलनाकार बड़े अणु होते हैं जिनमें संकरित कार्बन परमाणुओं की एक षट्कोणीय व्यवस्था होती है, जो ग्राफीन की एक शीट (एकल-दीवार वाले कार्बन नैनोट्यूब, **SWCNTs)** को रोल करके या ग्रेफीन की कई शीटों को रोल करके बन सकती है(मल्टीवॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब, **MWCNTs)**। इसलिए संरचनात्मक रूप से, कार्बन नैनोट्यूब (CNTs) को ग्राफीन शीट से लिपटे हुए देखा जा सकता है।

<table>
<tr><th>कथन 1</th><th>कथन 2</th><th>कथन 3</th><th>कथन 4</th></tr>
<tr><td colspan="2">CNT का एक बड़ा सतह क्षेत्र है जो उन्हें जैविक पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को संलग्न करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, CNT कोशिका झिल्ली, केशिकाओं के माध्यम से प्रवेश करने में सक्षम हैं, और कोशिकाओं और ऊतकों में जमा होते हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि सक्षम प्रौद्योगिकी इन रक्त-संगत नैनोमटेरियल्स का उपयोग करके बायोमेडिकल अनुप्रयोगों जैसे कि संरचनात्मक ऊतक प्रतिस्थापन, यानी कृत्रिम रक्त वाहिकाओं, या दवा वितरण मैट्रिक्स जैसे कार्यात्मक उपकरणों सहित कृत्रिम प्रत्यारोपण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में नैनोडिवाइस बनाने की सुविधा प्रदान करेगी।

अतः कथन 1 और 2 सही हैं।</td><td>नासा ने बायोसेंसर के रूप में कार्बन नैनोट्यूब सरणियों के उपयोग का प्रदर्शन किया है।

अत: विकल्प 3 सही है।</td><td>कार्बन नैनोट्यूब को उनकी कठोर और उत्तम रासायनिक संरचना के कारण रासायनिक क्षति के लिए प्रतिरोधी माना जाता था, जिसने उन्हें बायोडिग्रेडेशन के लिए प्रतिरक्षा प्रदान की। हालांकि, पेरोक्सीडेज जैसे एंजाइम कार्बन नैनोट्यूब के बायोडिग्रेडेशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते पाए गए। अतः विकल्प 4 सही है।</td></tr>
</table>

Q.2) निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें:

1. एक फसल क्षेत्र पर कीटनाशकों का छिड़काव
2. सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटरों का निरीक्षण करना
3. डीएनए विश्लेषण के लिए स्पोटिंग व्हेल से सांस के नमूने एकत्र करना।

प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर, ड्रोन का उपयोग करके उपरोक्त में से कौन सी गतिविधियों को सफलतापूर्वक किया जा सकता है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

उत्तर: **(D)**

रक्षा संगठनों द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग काफी समय से किया जा रहा है। हालांकि, इस तकनीक का लाभ इन क्षेत्रों से परे अच्छी तरह से फैला हुआ है जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया, मानवीय राहत, स्वास्थ्य सेवा, रोग नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान आदि।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
हाल ही में (तेलंगाना में) कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग चर्चा में था। इसे भारत में अवैध माना जाता है। लेकिन अमेरिका में यह कई राज्यों में कानूनी रूप से प्रचलित है। अत: विकल्प **1** सही है।	सक्रिय ज्वालामुखियों के गड्ढों का अध्ययन करने के लिए ड्रोन का उपयोग उनकी हाल की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए भी किया गया है, एक ऐसी जगह जहां मनुष्य सीधे पहुंच नहीं सकता है। अतः विकल्प **2** सही है।	हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करने के लिए अपने पानी के स्प्रे से व्हेल के बलगम को इकट्ठा करने के लिए ड्रोन (जो व्हेल के ब्लोहोल से 200 मीटर ऊपर उड़ते थे) का इस्तेमाल किया। ड्रोन द्वारा एकत्र किए गए व्हेल स्प्रे में डीएनए, प्रोटीन, लिपिड और बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। अत: विकल्प **3** सही है।

Q.3) यह प्रयोग एक समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ने वाले अंतरिक्ष यान की तिकड़ी को नियोजित करेगा, जिसकी भुजाएँ दस लाख किलोमीटर लंबी हैं,
जिसमें लेज़र शिल्प के बीच चमकते हैं। "प्रश्न में प्रयोग को संदर्भित करता है।

a) वोएजर - 2 (Voyager - 2)
b) नए क्षितिज (New Horizons)
c) लिसा पाथफाइंडर (LISA Pathfinder)
d) विकसित लिसा (Evolved LISA)

उत्तर: **(D)**

LIGO डिटेक्टर द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की दूसरी खोज के बाद गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करते हुए ब्लैक होल पर प्रायोगिक अनुसंधान का विस्तार हुआ।

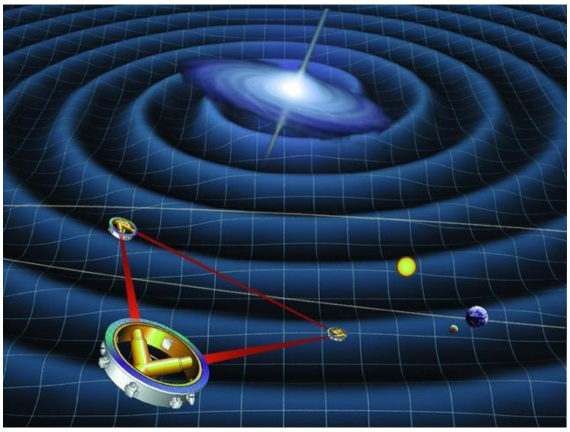

लिसा पाथफाइंडर प्रयोग की सफलता के बाद, विकसित लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना (**eLISA**) परियोजना अंतरिक्ष में तीन अंतरिक्ष यान, एक माँ और दो बेटी अंतरिक्ष यान स्थापित करने की एक योजना है, जो पृथ्वी को अपनी कक्षा में पीछे छोड़ते हुए एक त्रिकोणीय गठन में सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 50 मिलियन किमी से अधिक की दूरी पर उड़ान भरेगी।

काल्पनिक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, माँ से लेकर प्रत्येक बेटी अंतरिक्ष यान तक, लगभग एक मिलियन किमी की दूरी तय करेगी। इन अंतरिक्ष यान के अंदर "स्वतंत्र रूप से गिरने वाले" परीक्षण द्रव्यमान तैरेंगे - लगभग 46 मिमी मापने वाले पक्षों वाले क्यूब्स। लेजर इंटरफेरोमीटर इन क्यूब्स के बीच की दूरी में बदलाव को सटीक रूप से मापेगा। यदि वे गुरुत्वाकर्षण तरंग से प्रभावित हों, तो इस दूरी में मिनट परिवर्तन को इंटरफेरोमीटर द्वारा मापा जाता है।
इसलिए विकल्प **(D)** सही उत्तर है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आनुवंशिक परिवर्तन उन कोशिकाओं में पेश किए जा सकते हैं जो एक संभावित माता-पिता के अंडे या शुक्राणु का उत्पादन करते हैं।
2. एक व्यक्ति के जीनोम को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जन्म से पहले संपादित किया जा सकता है।
3. मानव प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) 1, 2 और 3

उत्तर: **(D)**

कथन **1**	कथन **2**	कथन **3**
जर्मलाइन जीन थेरेपी प्रजनन कोशिकाओं को लक्षित करती है, जिसका अर्थ है कि DNA में किए गए किसी भी परिवर्तन को अगली पीढ़ी को पारित किया जाएगा। नतीजतन, अभ्यास ने नाटकीय रूप से राय को विभाजित किया है। जर्मलाइन जीन थेरेपी तब होती है जब DNA को कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है जो शरीर में प्रजनन कोशिकाओं, अंडे या शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। अत: कथन **1** सही है।	यद्यपि जर्मलाइन जीन थेरेपी अवैध है, भ्रूण आनुवंशिक संपादन इससे अलग है और कुछ बीमारियों और चिकित्सा स्थितियों के ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण (विरासत के माध्यम से) को समाप्त करने के लिए जीनोम परिवर्तन करना संभव है। अतः कथन **2** सही है।	मानव-पशु चिमेरा मानव कोशिकाओं और अंगों को प्रभावित करने वाले जानवर हैं। वे प्रारंभिक मानव विकास और बीमारी की शुरुआत में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और एक यथार्थवादी दवा-परीक्षण मंच प्रदान करते हैं। शोधकर्ताओं ने सुअर के भ्रूण में मानव स्टेम कोशिकाओं के कई अलग-अलग रूपों को इंजेक्ट करके प्रयोग किया है ताकि यह देखा जा सके कि कौन सा सेल-प्रकार सबसे अच्छा जीवित रहेगा। कोशिकाएं जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहीं और विकसित करने के लिए जारी रखने की सबसे अधिक क्षमता दिखाती हैं, वे मध्यवर्ती मानव प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं थीं। अतः कथन **3** सही है।

Q.5) भारत में न्यूमोकोकल संयुग्म टीकों का उपयोग करने का क्या महत्व है?

1. ये टीके निमोनिया के साथ-साथ मेनिन्जाइटिस और सेप्सिस के खिलाफ प्रभावी हैं।
2. एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी नहीं हैं, उन्हें कम किया जा सकता है।
3. इन टीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और न ही कोई एलर्जी होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

एक संयुग्म वैक्सीन एक प्रकार का टीका है जो एक कमजोर एंटीजन को एक वाहक के रूप में एक मजबूत एंटीजन के साथ जोड़ती है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर एंटीजन के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया हो।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
एक न्यूमोकोकल संयुग्म वैक्सीन (PCV) एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो न्यूमोकोकल रोगों के खिलाफ रोकथाम देता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण हैं। न्यूमोकोकल संक्रमण कान और साइनस संक्रमण से लेकर निमोनिया और रक्तप्रवाह संक्रमण तक हो सकता है। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन को आमतौर पर निमोनिया वैक्सीन भी कहा जाता है और सेप्टिसीमिया (एक प्रकार का रक्त विषाक्तता, जिसे सेप्सिस भी कहा जाता है) और मेनिन्जाइटिस को रोक सकता है। अतः कथन **1** सही है।	जबकि टीकों का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है, वे जीवाणु रोगों और उनके संचरण को रोकने (प्रतिरोधी) और एंटीबायोटिक उपयोग और दुरुपयोग को कम करके AMR (रोगाणुरोधी प्रतिरोध या दवा प्रतिरोध) को कम करने में योगदान दे सकते हैं। न्यूमोकोकस के लिए PCV संभावित रूप से प्रति वर्ष लगभग पचास प्रतिशत तक एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। अतः कथन **2** सही है।	न्यूमोकोकल संयुग्म टीके में बुखार, भूख न लगना से लेकर सिरदर्द, चक्कर आना जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अतः कथन **3** सही नहीं है।

603. केंद्रीय सूचना आयोग **(Central Information Commission)**

खबरों में क्यों: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में लंबित मामलों के बारे में विवरण देने को कहा है।

केन्द्रीय सूचना आयोग के बारे में

- इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 2005 में की थी।
- इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।

रचना

- आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त(CIC) होते हैं और दस से अधिक सूचना आयुक्त (ICS)नहीं होते हैं।
- एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री
- लोकसभा में विपक्ष के नेता
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- वे कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
- वे सांसद या विधायक नहीं होने चाहिए।
- उन्हें कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए या कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए या कोई पेशा नहीं करना चाहिए।

कार्यकाल और सेवा शर्त

- CIC और IC केंद्र सरकार (2019 संशोधन अधिनियम) द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।
- वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं
- राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में CIC या किसी IC को कार्यालय से हटा सकते हैं:
- अगर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है; या
- यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें (राष्ट्रपति की राय में) नैतिक अधमता शामिल है;
- यदि वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न है; या
- यदि वह (राष्ट्रपति की राय में) मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या
- यदि उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे उसके आधिकारिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- इनके अलावा, राष्ट्रपति साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं (एससी को संदर्भित करना चाहिए)
- CIC और IC के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी (सेवा के दौरान उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं हो सकती हैं)

शक्तियां और कार्य

- आयोग के पास सार्वजनिक प्राधिकरण से अपने निर्णयों के अनुपालन को सुरक्षित करने की शक्ति है। जिनमें से कुछ में शामिल हैं:
- किसी विशेष रूप में जानकारी तक पहुंच प्रदान करना;
- सूचना या सूचना की श्रेणियां प्रकाशित करना;
- जहां कोई मौजूद नहीं है वहां लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए लोक प्राधिकरण को निर्देश देना;
- इस अधिनियम के तहत दंड लगाना
- आवेदन को खारिज करना।
- उचित आधार होने पर आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है (स्व-प्रेरणा शक्ति)।
- पूछताछ करते समय, आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
- आयोग RTI अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है।
- जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता है, तो आयोग (प्राधिकरण को) ऐसे कदमों की सिफारिश कर सकता है जो इस तरह की अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने चाहिए।

604. चुनाव आयोग (Election Commission)

खबरों में क्यों: हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान एजेंटों के संबंध में अपने नियमों को संशोधित किया है।

नए नियम:

- अब कोई राजनीतिक दल विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ के लिए मतदान एजेंट को नामित कर सकता है जिसमें वह व्यक्ति मतदाता है।
- इससे पहले, मतदान एजेंट को उस बूथ या उसके आस-पास के बूथ का मतदाता होना था, जिस पर वह काम कर रहा है।
- यह किसी भी राजनीतिक दल को **COVID-19** महामारी के बीच एक मतदान एजेंट नियुक्त करने में मदद करेगा क्योंकि इस समय एक एजेंट प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

मतदान एजेंट

- मतदान एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- चूंकि चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक उम्मीदवार का शारीरिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं है।
- इसलिए, चुनाव आयोग एक उम्मीदवार को एक मतदान एजेंट नियुक्त करने की अनुमति देता है जो मतदान प्रक्रिया पर नजर रखता है।

पोलिंग एजेंट की भूमिका

- एक पोलिंग एजेंट को EVM और VVPAT आदि का उपयोग करके चुनाव कराने के नियमों और प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए।
- सरकारी पदों पर बैठे लोगों और मंत्रियों सहित जिन्हें राज्य के खर्च पर सुरक्षा कवर दिया गया है, उन्हें मतदान एजेंट बनने की अनुमति नहीं है।
- पोलिंग एजेंट मतदान अधिकारी द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में भाग लेता है, जहां इन मशीनों के कामकाज और संचालन को समझाया जाता है।
- यदि पोलिंग एजेंट ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का कार्य आसान और सुगम हो जाएगा।

चुनाव आयोग - मुख्य निर्वाचन अधिकारी - चुनाव पर्यवेक्षक - रिटर्निंग अधिकारी - पीठासीन अधिकारी - मतदान अधिकारी

605. नीति आयोग (NITI Aayog)

नीति आयोग

- भारत के प्रधान मंत्री अध्यक्ष हैं
- शासी परिषद में भारत में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।
- एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशेष मुद्दों और संभावनाओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाएंगी।
- इनका गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा।
- इसे प्रधानमंत्री द्वारा तलब किया जाएगा। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके प्रत्याशी करेंगे।
- विशेष आमंत्रित: प्रख्यात विशेषज्ञ, प्रासंगिक डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है।

पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधान मंत्री के अलावा अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे:

- उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)
- सदस्य:
- पूर्णकालिक सदस्य: सेवानिवृत्त नौकरशाह।
- अंशकालिक सदस्य: पूर्व-पदेन क्षमता में अग्रणी विश्वविद्यालयों, अग्रणी अनुसंधान संगठनों और अन्य नवीन संगठनों के अधिकतम 2 सदस्य। अंशकालिक सदस्य घूर्णी आधार पर होंगे।
- पदेन सदस्य: मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाना है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सीईओ को प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। वे भारत सरकार के सचिव के पद पर होंगे।

606. लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य (Public Service Commissions: Union and State)

- संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है
- यह भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
- संरचना: अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (आयोग की शक्ति राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दी जाती है)

- आयोग की सदस्यता के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्षों तक पद धारण किया हो।
- संविधान राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत करता है।
- छह वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते
- निष्कासन: निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा
    - अगर उसे दिवालिया घोषित किया जाता है।
    - यदि वह कार्यालय के बाहर सवैतनिक रोजगार में संलग्न है।
    - यदि वह, राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।
- इनके अलावा, राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए भी हटा सकते हैं (सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाना है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी)
- इस संदर्भ में 'दुर्व्यवहार' शब्द को परिभाषित करते हुए, संविधान में कहा गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार का दोषी माना जाता है यदि वह (ए) भारत सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते से संबंधित या रुचि रखता है। या किसी राज्य की सरकार, या (बी) ऐसे अनुबंध या समझौते के लाभ में किसी भी तरह से भाग लेता है।

संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता	• अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए विविध नहीं हो सकती हैं। • CFI द्वारा उनका पूरा खर्च निर्वहन कियता जाता है। • संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है (दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं) • संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (पद धारण करने के लिए बंद करने पर) भारत सरकार या एक राज्य में आगे रोजगार के लिए पात्र नहीं है। • यूपीएससी के सदस्य (पद पर बने रहने पर) यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन भारत सरकार या राज्य में किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।
कार्य	• यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। • संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य संसद द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को प्रदत्त किए जा सकते हैं। • कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर परामर्श किया जाता है: • सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने और पदोन्नति और स्थानान्तरण करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांत • सिविल सेवा और पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता; एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिए • भारत सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले। • एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियों के मामले और नियुक्तियों के नियमितीकरण के मामले।
यूपीएससी की स्थिति	• SC ने माना है कि यदि सरकार मामलों (ऊपर उल्लिखित) में UPSC से परामर्श करने में विफल रहती है, तो पीड़ित लोक सेवक के पास अदालत में कोई उपाय नहीं है (प्रावधान निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है) • इसी तरह, अदालत ने माना कि यूपीएससी द्वारा चयन उम्मीदवार को पद का कोई अधिकार नहीं देता है। हालांकि, सरकार को निष्पक्ष और बिना मनमानी के कार्य करना है। • राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो इसे LS और RS दोनों के समक्ष रखता है। रिपोर्ट में उन मामलों का स्पष्टीकरण शामिल है जहां आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था और इस तरह की गैर-स्वीकृति के कारण।

राज्य लोक सेवा आयोग (**SPSC**)

- संविधान के लेखों का एक ही सेट (अर्थात, भाग XIV में 315 से 323) भी SPSC से संबंधित है।
- SPSC राज्य सेवाओं के संबंध में उन सभी कार्यों को करता है जैसे यूपीएससी केंद्रीय सेवाओं के संबंध में करता है।
- कार्यकाल: छह वर्ष या 62 वर्ष तक (यूपीएससी के मामले में यह 65 वर्ष है)
- निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य और सीमा यूपीएससी के समान है (राष्ट्रपति और संसद के स्थान पर राज्यपाल और राज्य विधानमंडल)

SPSC के संबंध में अतिरिक्त बिंदु हैं

- SPSC का अध्यक्ष (पद धारण करने के लिए) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के तहत किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।
- SPSC का सदस्य (पद धारण करने के लिए) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, या उस SPSC या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के तहत किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं।
- SPSC का अध्यक्ष या सदस्य (अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद) उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है (यानी, दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं है)।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (**JSPSC**)

- संविधान दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) की स्थापना का प्रावधान करता है।
- जबकि यूपीएससी और एसपीएससी सीधे संविधान द्वारा बनाए गए हैं, एक JSPSC को संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है।
- इस प्रकार, एक JSPSC एक सांविधिक निकाय है न कि एक संवैधानिक निकाय
- JSPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- छह साल की अवधि या जब तक वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो।
- JSPSC के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं
- एक JSPSC प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रत्येक राज्यपाल राज्य विधायिका के समक्ष रिपोर्ट रखता है।
- यूपीएससी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- जैसा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और इसे सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य सौंपा गया था।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम में न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

607. एफएसएसएआई - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India)

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है।
- मुख्यालय: दिल्ली।

- FSS अधिनियम, 2006 विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है जो पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालते थे, जैसे-
    - खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
    - फल उत्पाद आदेश, 1955
    - मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
    - वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947
    - खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1988
    - दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
    - FSS अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के बाद इन्हें निरस्त कर दिया गया था।

- FSS की स्थापना 2008 में हुई थी, लेकिन इसके नियमों और महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित करने के बाद 2011 में खाद्य प्राधिकरण के भीतर काम प्रभावी ढंग से शुरू हुआ।
- इसने एक बहु-स्तर से नियंत्रण की एकल पंक्ति में एक बदलाव को चिह्नित किया जिसमें शुद्ध नियामक व्यवस्था के बजाय स्व-अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

FSSAI की संरचना

- अध्यक्ष – केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
- **22** अन्य सदस्य, जिनमें एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।
- खाद्य गुणवत्ता के परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक मजबूत टीम।
- वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों की अलग समितियां।

FSSAI के कार्य

- स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी खाद्य निर्माण कंपनियों के लिए नियम और दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- किसी भी खाद्य संबंधित व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।
- भोजन के मानक का परीक्षण।
- मानकों को दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए खाद्य-उत्पादक और निर्माण कंपनियों के लिए उचित निरीक्षण किया जाता है।
- खाद्य सुरक्षा जागरूकता फैलाना।
- सभी पंजीकृत संगठनों के रिकॉर्ड और डेटा बनाए रखना।
- सरकार को अद्यतन रखना - किसी भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित खतरे को आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।
- खाद्य मानक नीतियां बनाने में सरकार की सहायता करना।

FSSAI की पहल

- हार्ट अटैक रिवाइंड - यह FSSAI का पहला मास मीडिया अभियान है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में ट्रांस फैट को खत्म करने के FSSAI के लक्ष्य का समर्थन करना है।
- **FSSAI-CHIFSS -** यह खाद्य सुरक्षा के लिए उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय, शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा विज्ञान पर FSSAI और CII-HUL पहल के बीच सहयोग है।

- स्वस्थ भारत यात्रा - यह एक अखिल भारतीय साइकिल आंदोलन है जिसे 'ईट राइट इंडिया' कहा जाता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खाने के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है।

608. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission)

- 1988 में स्थापित, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक अर्ध-न्यायिक आयोग है।
- NCDRC का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश करते हैं।
- वर्तमान में, NCDRC का नेतृत्व एससी के एक पूर्व न्यायाधीश करते हैं और इसमें सात अन्य सदस्य शामिल हैं।
- NCDRC शीर्ष पर है जबकि इसके अधीन **35** राज्य आयोग और **629** जिला मंच हैं।

NCDRC क्षेत्राधिकार

- 2019 संशोधन अधिनियम के अनुसार, **NCDRC 10** करोड़ रुपये से अधिक की शिकायतों पर विचार करेगा।
- साथ ही, आयोग ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों और जिला मंचों के आदेशों से अपीलीय और साथ ही संशोधित क्षेत्राधिकार भी प्राप्त किए हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो NCDRC के आदेश से व्यथित है, वह **30** दिनों की अवधि के भीतर सुप्रीम कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
- राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच मामलों का विचार करेगा।
- जिला फोरम रु. 1 करोड़।
- शिकायतकर्ता उस स्थान पर शिकायत कर सकता है जहां वह काम करता है या रहता, न कि जहां विरोधी पक्ष रहता है।

609. भारतीय शिक्षा बोर्ड (Bharatiya Shiksha board)

खबरों में क्यों: हाल ही में, केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

भारतीय शिक्षा बोर्ड (**BSB**) के बारे में

- शिक्षा के "स्वदेशीकरण (स्वदेशीकरण)" के लिए एक नया राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित करने का विचार सबसे पहले रामदेव ने रखा था।
- BSB को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और हरिद्वार में एक कार्यालय स्थापित किया गया है।
- इसके बैंक खाते में कॉर्पस फंड और विकास निधि के रूप में 71 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है और BSB के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया गया है।
- BSB, सीबीएसई की तर्ज पर वैदिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

कार्य:

- BSB की कल्पना "भारतीय पारंपरिक ज्ञान" को मानकीकृत करने और "इसे आधुनिक शिक्षा के साथ मिश्रित करने" के लिए की गई थी, जो पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने, स्कूलों को संबद्ध करने, परीक्षा आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से किया गया था।

- BSB को रामदेव के आचार्यकुलम, विद्या भारती स्कूल (आरएसएस द्वारा संचालित) और आर्य समाज द्वारा संचालित गुरुकुल से संबद्ध होने की संभावना है।

610. चयन समितियों की तुलना (Comparison of selection committees)

लोकपाल चयन समिति	लोकपाल के लिए चयन समिति में निम्न शामिल होंगे : ● प्रधानमंत्री, ● निचले सदन के अध्यक्ष (लोकसभा) ● निचले सदन के विपक्ष के नेता, ● भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ● राष्ट्रपति (गवर्नर) द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता।
CIC	● प्रधानमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे। ● लोकसभा में विपक्ष के नेता। ● प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	चयन समिति में शामिल हैं: ● प्रधान मंत्री (अध्यक्ष) ● लोकसभा अध्यक्ष ● केंद्रीय गृह मंत्री ● राज्यसभा के उपसभापति ● संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता
CVC	● प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), ● गृह मंत्री (सदस्य) ● लोकसभा में विपक्ष के नेता।
CBI	● प्रधान मंत्री - अध्यक्ष ● लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, यदि पूर्व में लोकसभा में अनिवार्य शक्ति की कमी के कारण मौजूद नहीं है – एक सदस्य। ● भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश-सदस्य द्वारा की जाती है।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 86 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

611. एमसीक्यू (MCQs)

612. एमसीक्यू (MCQs)

613. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Allied and Healthcare Professions)

614. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board For Film Certification)

615. पीएम-एसटीआईएसी (PM-STIAC)

616. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (Directorate General of Trade Remedies - DGTR)

617. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board)

618. भारत का उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India)

619. संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi)

620. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board Of India)

611. & 612. एमसीक्यू (MCQs)

Q.1) भारत में, **"**पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर **(Public Key Infrastructure - PKI)"** शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है**?**

a) डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना
b) खाद्य सुरक्षा अवसंरचना
c) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का बुनियादी ढांचा
d) दूरसंचार और परिवहन अवसंरचना

उत्तर: **(A)**

पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (Public Key Infrastructure - PKI) डिजिटल दुनिया में उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए एक तकनीक है। मूल विचार यह है कि एक या एक से अधिक विश्वसनीय पक्ष डिजिटल रूप से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि एक विशेष क्रिप्टोग्राफिक कुंजी किसी विशेष उपयोगकर्ता या डिवाइस से संबंधित है।

Q.2) बेंजीन प्रदूषण के संपर्क में आने के निम्नलिखित में से कौन से कारण/कारक हैं**?**

1. ऑटोमोबाइल निकास
2. तम्बाकू का धुआँ
3. लकड़ी जलना
4. वार्निश लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करना
5. पॉलीयुरेथेन से बने उत्पादों का उपयोग करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2 और 4
c) केवल 1, 3 और 4
d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: **(D)**

- बेंजीन एक रसायन है जो कमरे के तापमान पर रंगहीन या हल्का पीला तरल होता है। इसमें एक मीठी गंध होती है और यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है।
- बेंजीन बहुत जल्दी हवा में वाष्पित हो जाता है।
- इसका वाष्प हवा से भारी होता है और निचले इलाकों में डूब सकता है।
- बेंजीन पानी में थोड़ा ही घुलता है और पानी के ऊपर तैरता रहेगा।
- बेंजीन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों से बनता है।
- बेंजीन के प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और जंगल की आग शामिल हैं।
- बेंजीन कच्चे तेल, गैसोलीन और सिगरेट के धुएं का एक स्वाभाविक हिस्सा भी है।

- कुछ उद्योग बेंजीन का उपयोग अन्य रसायनों को बनाने के लिए करते हैं जिनका उपयोग प्लास्टिक, रेजिन और नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। बेंजीन का उपयोग कुछ प्रकार के स्नेहक, घिसने वाले, रंजक, डिटर्जेंट, दवाएं और कीटनाशक बनाने के लिए भी किया जाता है।

- लकड़ी की फिनिशिंग में विभिन्न रसायन हो सकते हैं और उनका उत्सर्जन हो सकता है। उदाहरण के लिए, पेंट और कुछ लकड़ी के उपचार में फॉर्मलाडेहाइड, एसीटोन, टोल्यूनि या ब्यूटेनॉल हो सकते हैं।

- लकड़ी के रंगों में शामिल हो सकते हैं: नॉनन, डेकेन, अंडेकेन, डाइमिथाइलोक्टेन (Dimethyloctane), डाइमिथाइलनोनेन (Dimethylnonane), ट्राइमेथिलनोनेन (Trimethylnonane), ट्राइमेथिलबेनज़ीन (Trimethylbenzene)।

- आग के दौरान, पॉलीयूरेथेन फोम तेजी से जलते हैं और घना धुआं, जहरीली गैसें और तीव्र गर्मी पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे आम है, लेकिन धुएं में बेंजीन, टोल्यूनि, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड भी होते हैं।

Q.3) पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है।
2. जंतु कोशिकाओं के विपरीत पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है।
3. परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जबकि जन्तु कोशिका में कई छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: **(c)**

कथन **1**	कथन **2**	कथन **3**
एक पादप कोशिका और एक पशु कोशिका के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पूर्व में एक कोशिका भित्ति होती है । कोशिका भित्ति पादप कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली एक कठोर झिल्ली मैट्रिक्स है, जिसकी प्राथमिक भूमिका कोशिका और उसकी सामग्री की रक्षा करना है। पौधों में एक कोशिका भित्ति दोनों होती है जो कोशिका झिल्ली (प्लाज्मा झिल्ली) और सेल्यूलोज से बनी होती है। अतः कथन **1** सही है और कथन **2** सही नहीं है।		पादप कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका होता है जो कोशिका के आयतन का 90% तक कब्जा कर सकता है। पशु कोशिकाओं में कई छोटी रिक्तिकाएँ हो सकती हैं, जो पादप कोशिका से बहुत छोटी होती हैं। अतः कथन **3** सही है।

Q.4) यदि निकट भविष्य में एक और वैश्विक वित्तीय संकट आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई/नीतियों द्वारा भारत को कुछ प्रतिरक्षा प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना है?

1. अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर नहीं

2. अधिक विदेशी बैंकों को खोलना

3. पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: **(A)**

कथन **1**	कथन **2**	कथन **3**
अल्पकालिक उधारों से ऋण का भुगतान करने का बोझ बढ़ेगा, और इसके परिणामस्वरूप उधार लेने वाली अर्थव्यवस्था/ भारत के लिए तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। इसलिए, इस पर निर्भर नहीं होने से भविष्य के वैश्विक वित्तीय संकट में भारत के लिए कुछ प्रतिरक्षा होगी।	अधिक विदेशी बैंकों के खुलने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, और इसलिए जोखिम बढ़ जाएगा। अतः विकल्प 2 सही नहीं है।	मुद्रा परिवर्तनीयता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसके विपरीत बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के प्रचलित विनिमय दर पर। भारत में, हम रुपये को पूरी तरह से डॉलर में नहीं बदल सकते- इस पर प्रतिबंध हैं। अब, पूंजी खाता परिवर्तनीयता घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता है, और इसके विपरीत भुगतान संतुलन खातों का पूंजी खाता लेनदेन है। यह अधिक जोखिम भरा है, क्योंकि विदेशी निवेशक अपना सारा पैसा एक ही बार में निकाल सकते हैं जिसे पूंजी उड़ान कहा जाता है। अत: विकल्प 3 सही नहीं है।

Q.5) यदि आप आपके बैंक में आपके मांग जमा खाते से नकद में **1,00,000,** रुपये निकालते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव होगा।

a) इसमें 1,00,000 रुपये से कमी होगी।
b) इसमें 1,00,000 रुपये से वृद्धि होगी।
c) इसमें 1,00,000 रुपये से अधिक की वृद्धि होगी।
d) यह अपरिवर्तित रहेगी।

उत्तर: **(D)**

मुद्रा आपूर्ति की 4 अवधारणाएँ हैं: M1, M2, M3 और M4

1) M1 = C + DD + OD

- C- जनता के पास मुद्रा है। (सार्वजनिक धन का अर्थ है वह धन जो सरकार और बैंकों के अलावा अन्य सभी के पास है। इसमें कंपनियां, सामान्य संगठन, घर शामिल हैं। इसमें बैंकों में अंतर-बैंक या सरकारी जमा शामिल नहीं है)
- DD- का अर्थ है बैंकों के पास शुद्ध मांग जमा। यहां 'नेट' बैंकों में केवल जनता की जमा राशि को दर्शाता है।
- OD- का अर्थ है अन्य जमा। ये आरबीआई के पास जमा राशि हैं, कुछ व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आयोजित व्यक्ति - आरबीआई के पूर्व गवर्नर की तरह • संस्थान- जैसे आईएमएफ जमा।

2) M3 = M1 + TD = C + DD + OD + TD (ब्रॉड मनी)

- 'TD' का अर्थ है सावधि जमा
- M3 अर्थव्यवस्था में कुल क्रय शक्ति को दर्शाता है। इसलिए, जब हम सामान्य रूप से मुद्रा आपूर्ति कहते हैं, तो इसका अर्थ M3 है। आम तौर पर, समाचार पत्रों आदि में जब मुद्रा आपूर्ति शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब M3 (कभी-कभी, M1 का भी उपयोग किया जाता है- मतलब 100% तरल धन- लेकिन समग्र PP M3 द्वारा दिखाया जाता है)

अब, दिए गए मामले में, जब **'DD' 1,00,000,** घटक रुपये से गिर जाएगा। **'C'** घटक में **1,00,000** रुपये की वृद्धि होगी। जिससे मुद्रा आपूर्ति अपरिवर्तित रहती है। इसलिए विकल्प **(D)** सही उत्तर है।

613. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Allied and Healthcare Professions)

संदर्भ: भारतीय संसद ने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशा आयोग विधेयक, 2020 पारित किया।

- विधेयक संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित और मानकीकृत करने का प्रयास करता है
- यह बिल नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए स्थापित किया गया है।

आयोग में शामिल हैं

- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य (संयुक्त सचिव के स्तर पर), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि
- एम्स, दिल्ली और एआईआईपीएमआर, मुंबई सहित चिकित्सा संस्थानों में से तीन उप निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक एक घूर्णी आधार पर नियुक्त।
- राज्य परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 अंशकालिक सदस्य।

आयोग के कार्य

- शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए नीतियों और मानकों को तैयार करना।
- सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्टर बनाना और बनाए रखना।
- शिक्षा के बुनियादी मानकों, पाठ्यक्रम, स्टाफ योग्यता, परीक्षा, प्रशिक्षण, विभिन्न श्रेणियों के लिए देय अधिकतम शुल्क प्रदान करना।
- एक समान प्रवेश और निकास परीक्षा प्रदान करना।

बिल की कुछ प्रमुख विशेषताएं

हेल्थकेयर पेशेवर	▪ इसमें एक वैज्ञानिक, चिकित्सक, या कोई अन्य पेशेवर शामिल है जो अध्ययन, सलाह, शोध, पर्यवेक्षण, या निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सीय, या प्रचार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ▪ ऐसे पेशेवर को इस विधेयक के तहत डिग्री प्राप्त करनी चाहिए और डिग्री की अवधि कम से कम 3,600 घंटे (तीन से छह साल की अवधि में) होनी चाहिए।
संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर	▪ किसी भी बीमारी, बीमारी, चोट, या हानि के निदान और उपचार का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित एक सहयोगी, तकनीशियन, या प्रौद्योगिकीविद् के रूप में 'संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर' को परिभाषित करता है। ▪ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को इस बिल के तहत डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करनी चाहिए और डिग्री/डिप्लोमा की अवधि कम से कम **2,000** घंटे (दो से चार साल की अवधि में) होनी चाहिए।
संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय	▪ बिल मान्यता प्राप्त श्रेणियों के रूप में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की कुछ श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है। ▪ इनका उल्लेख विधेयक की अनुसूची में किया गया है और इसमें जीवन विज्ञान पेशेवर, ट्रॉमा और बर्न केयर पेशेवर, सर्जिकल और एनेस्थीसिया से संबंधित प्रौद्योगिकी पेशेवर, फिजियोथेरेपिस्ट और पोषण विज्ञान पेशेवर शामिल हैं। ▪ केंद्र सरकार संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय आयोग के परामर्श के बाद इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है।
व्यावसायिक परिषदें:	▪ आयोग संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों की हर मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए एक पेशेवर परिषद का गठन करेगा । ▪ व्यावसायिक परिषद में एक अध्यक्ष और चार से 24 सदस्य शामिल होंगे, जो मान्यता प्राप्त श्रेणी में प्रत्येक पेशे का प्रतिनिधित्व करेंगे । ▪ आयोग अपने किसी भी कार्य को इस परिषद को सौंप सकता है।
राज्य परिषदें:	▪ विधेयक के पारित होने से छह महीने के भीतर राज्य सरकारें राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य परिषदों का गठन करेंगी। राज्य परिषदों में शामिल होंगे: 1. अध्यक्ष (संबद्ध और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव), 2. राज्य सरकार में चिकित्सा विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य, 3. राज्य के मेडिकल कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य, 4. धर्मार्थ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य, और 5. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणियों में से दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है। राज्य परिषदें: I. संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा देखे जाने वाले पेशेवर आचरण और आचार संहिता को लागू करना, II. संबंधित राज्य रजिस्टर बनाए रखें, III. संबद्ध और स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण, IV. एक समान प्रवेश और निकास परीक्षा सुनिश्चित करना।

614. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board For Film Certification)

खबरों में क्यों: ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसर करने के संदर्भ में।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (**CBFC**) के बारे में

- CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म-प्रमाणन निकाय है
- इसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम **1952** के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने का काम सौंपा गया है।
- सिनेमाघरों और टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों को बोर्ड द्वारा प्रमाणन के बाद ही भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
- संरचना: CBFC में गैर-आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- क्षेत्रीय कार्यालय: इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में एक-एक कार्यालय हैं।
    - क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाहकार पैनल द्वारा फिल्मों की जांच में सहायता प्रदान की जाती है।
    - पैनल के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा **2** साल की अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करके नामित किया जाता है।

615. प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC)

- यह एक व्यापक परिषद है जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय को विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में स्थिति का आकलन करने, हाथ में चुनौतियों को समझने, विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार करने, भविष्य का रोडमैप विकसित करने और तदनुसार प्रधान मंत्री को सलाह देने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर 21 सदस्यीय सलाहकार पैनल है।
- इसकी अध्यक्षता सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे।
- यह प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।
- यह सरकार को शहर आधारित अनुसंधान एवं विकास समूहों सहित विज्ञान में 'उत्कृष्टता के समूह' विकसित करने पर भी सलाह देगा।
- यह अकादमिक और संस्थानों से लेकर ऐसे केंद्रों या शहरों के पास के उद्योगों तक सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी भागीदारों को एक साथ लाने का काम करेगा।

PMSTIAC के तहत नौ मिशन

- प्राकृतिक भाषा अनुवाद: शिक्षण सामग्री को द्विभाषी यानी अंग्रेजी और किसी की मूल भारतीय भाषा में एक्सेस करने में सक्षम बनाएगा।
- क्वांटम फ्रंटियर: क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में काम शुरू करने का लक्ष्य है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन सहित स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार।
- राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन: भारत में सभी जीवन रूपों की सूची बनाना और उनका मानचित्रण करना।

- इलेक्ट्रिक वाहन: इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और स्केलेबल बनाना।
- मानव स्वास्थ्य के लिए जैव विज्ञान: जीनोम के व्यापक संदर्भ मानचित्रों का निर्माण करना।
- वेस्ट टू वेल्थ: कचरे के उपचार के लिए प्रौद्योगिकियों को तैनात करना।
- डीप ओशन एक्सप्लोरेशन: ब्लू फ्रंटियर के बारे में हमारी समझ में सुधार।
- **AGNIi** (इग्निटिंग आइडियाज): उद्योग, व्यक्तियों और जमीनी स्तर पर नवोन्मेषकों को बाजार से जोड़ना; और अभिनव समाधानों के व्यावसायीकरण में मदद करना।

616. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (Directorate General of Trade Remedies - DGTR)

- यह डंपिंग रोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
- इससे पहले, डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) डंपिंग रोधी और सीवीडी मामलों से निपटते थे, सुरक्षा महानिदेशालय (DGS) सुरक्षा उपायों से निपटते थे और डीजीएफटी मात्रात्मक प्रतिबंध (QR) सुरक्षा उपायों से निपटते थे। डीजीटीआर डीजीएफटी के डीजीएडी, डीजीएस, और सेफगार्ड्स (QR) कार्यों को एक ही राष्ट्रीय इकाई में विलय करके अपने पाले में लाता है।

संगठन	कार्य
एंटी डंपिंग और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय [Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties - DGAD]	एंटी-डंपिंग और CVD मामलों से निपटना
महानिदेशालय सुरक्षा उपाय [DGS]	सुरक्षा उपायों से निपटना
विदेश व्यापार महानिदेशालय [DGFT] - सुरक्षा उपायों का कार्य	मात्रात्मक प्रतिबंध सुरक्षा उपायों से निपटना

- अब, DGTR एक पेशेवर रूप से एकीकृत संगठन है जिसके पास विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञताओं से प्राप्त अधिकारियों से निकलने वाले मल्टी-स्पेक्ट्रम कौशल सेट हैं। इसके कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:
  - डंपिंग रोधी, सीवीडी और रक्षोपाय उपायों से निपटना।
  - भारतीय घरेलू उद्योग और निर्यातकों को विदेशी देशों द्वारा उनके खिलाफ स्थापित व्यापार उपचार जांच के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए व्यापार रक्षा सहायता प्रदान करना।
  - अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ देश के घरेलू उद्योगों को एक समान अवसर प्रदान करना। इसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है:
    - विश्व व्यापार संगठन (WTO) ढांचे द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यापार उपचारात्मक विधियों का उपयोग करना।
    - सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम और नियमों और अन्य कानूनों और मामले से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग करना।
    - यह सब पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना।
- अन्य कार्य:
  - एंटी-डंपिंग, एंटी-सब्सिडी/सीवीडी का आयोजन करना और भारत सरकार को सुरक्षा जांच और सिफारिश करना।
  - CEST (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण), उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के मामलों को संभालना।

- वैचारिक जागरूकता पैदा करने और फैलाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करना और **DGTR** के कामकाज की व्याख्या करना।
- विश्व व्यापार संगठन के साथ सूचना का आदान-प्रदान।

617. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board)

- PNGRB पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसका गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, **2006** के तहत किया गया था।
- इसका उद्देश्य पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना और पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना है।
- यह पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को भी नियंत्रित करता है; कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर।
- इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- PNGRB **CGD** (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) नेटवर्क, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को अधिकृत करता है, टैरिफ निर्धारित करता है, तकनीकी और सुरक्षा मानकों आदि को निर्धारित करता है।

618. भारत का उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India)

संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय भारत के उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना के लिए एक विधेयक को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी कर रहा है - जो भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने के लिए एक खंड के साथ आएगा।

HECI के कार्य

- HECI उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करेगा।
- यह इसके लिए मानदंड निर्दिष्ट करेगा:
  - पाठ्यक्रमों के लिए सीखने के परिणाम
  - शिक्षण और अनुसंधान के मानक
  - संस्थानों के वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया,
  - संस्थानों की मान्यता
  - संस्थानों को बंद करने का आदेश।
- इसके अलावा, **HECI** इसके लिए मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है:
  - शैक्षणिक संचालन शुरू करने के लिए संस्थानों को प्राधिकरण प्रदान करना, डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करना।
  - विश्वविद्यालयों के साथ संस्थानों की संबद्धता,
  - स्वायत्तता और श्रेणीबद्ध स्वायत्तता का अनुदान
  - कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड
  - संस्थानों की स्थापना और समापन और
  - शुल्क विनियमन।

HECI की संरचना

- **HECI** में **14** सदस्य होंगे।
- एक सर्च कमेटी अध्यक्ष और HECI के सदस्यों के पद के लिए केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश करेगी।
- सर्च कमेटी में कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष), उच्च शिक्षा सचिव और तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों सहित पांच सदस्य होंगे।
- HECI के उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में HECI के अध्यक्ष भी शामिल होंगे।
- सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम दस वर्षों के लिए प्रोफेसर होना चाहिए, या संस्थान निर्माण के लिए सिद्ध क्षमता वाले प्रख्यात प्रशासक होना चाहिए।

HECI के सदस्यों में शामिल हैं:

- अध्यक्ष,
- उपाध्यक्ष,
- केंद्र सरकार के तीन सचिव,
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष,
- किसी भी दो मान्यता निकायों के अध्यक्ष,
- अकादमिक उत्कृष्टता के विश्वविद्यालयों के दो कुलपति,
- विश्वविद्यालयों के दो सेवारत प्रोफेसर, और
- उद्योग से एक अनुभवी व्यक्ति।

619. संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi)

- संगीत नाटक अकादमी-भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी-भारत में कला की पहली राष्ट्रीय अकादमी है।
- यह 1952 में (तत्कालीन) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था।
- बाद में, संगीत नाटक अकादमी को सरकार द्वारा एक सोसायटी के रूप में पुनर्गठित किया गया और **1860** के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया।
- संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है:
    - भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक का प्रचार और विकास।
    - प्रदर्शन कलाओं में प्रशिक्षण के मानकों का रखरखाव।
    - संगीत, नृत्य और नाटक के विभिन्न रूपों से संबंधित सामग्रियों के साथ-साथ उपकरणों का पुनरुद्धार, संरक्षण, प्रलेखन और प्रसार।
    - उत्कृष्ट कलाकारों की पहचान।
- अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना और देखभाल करती है। कुछ महत्वपूर्ण हैं:
    - नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली की स्थापना 1959 में हुई थी,

- इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी - 1954,
- कथक केन्द्र (राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान) नई दिल्ली में - 1964.
- कुटियाट्टम (केरल का संस्कृत रंगमंच), पूर्वी भारत के छऊ नृत्य, असम की सात्विक परंपराएं आदि को समर्थन की राष्ट्रीय परियोजनाएं।

- अकादमी के कुछ कार्य इस प्रकार हैं:
  - संगीत, नृत्य या रंगमंच के शिक्षण, प्रदर्शन या प्रचार में लगे संस्थानों के काम को सब्सिडी देता है;
  - प्रदर्शन कलाओं में अनुसंधान, प्रलेखन और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान देता है
  - विषय विशेषज्ञों के सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन और अनुदान;
  - दस्तावेज़ और इसके ऑडियो-विज़ुअल संग्रह के लिए प्रदर्शन कला रिकॉर्ड करता है।

- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अभ्यास करने वाले कलाकारों को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है। अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के प्रख्यात कलाकारों और विद्वानों को फेलोशिप भी प्रदान करती है। अकादमी की फैलोशिप (अकादमी रत्न) में 3,00,000 रुपये और अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) में 1,00,000 रुपये प्राप्त होता है।
- 2006 में, अकादमी ने युवा कलाकारों - उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए वार्षिक पुरस्कार भी स्थापित किए। इन पुरस्कारों में 25,000 रुपये प्रदान किये जाते है।

620. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board Of India)

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है।

- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, **1960** (1960 की संख्या 59) की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, प्रसिद्ध मानवतावादी के नेतृत्व में शुरू किया गया था।

- बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है।

- जनादेश: जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (PCA) अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार, जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने के लिए।

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के कार्य:

  - पशुओं के प्रति रोकथाम और क्रूरता अधिनियम का अध्ययन करना और किए जाने वाले संशोधनों पर सरकार को सलाह देना।
  - वाहनों के डिजाइन में सुधार करके, ड्राफ्ट जानवरों के बोझ को कम करना।
  - जानवरों को कैद या कारावास में या परिवहन के दौरान दर्द या पीड़ा को रोकने के लिए।
  - वध गृह के डिजाइन और इसके सुधार में सरकार को सलाह देना ताकि पूर्व वध चरण में अनावश्यक दर्द या पीड़ा समाप्त हो जाए।
  - आश्रय गृह, बचाव गृह, पिंजरापोल, अभयारण्य और पशु कल्याण संगठनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।
  - पशु अस्पताल को सहायता प्रदान करना और ऐसे मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना।
  - पशु कल्याण और पशु संरक्षण के बारे में जागरूकता और शिक्षा देना।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 99 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

701. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

702. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

703. 127वां संविधान संसोधन बिल (127th CA Bill)

704. निवारक निरोध (Preventive detention)

705. अनुच्छेद 371 (Article 371)

706. अनुच्छेद 371 (Article 371)

707. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) (National Commission for Women - NCW)

708. उज्ज्वला 2.0 (Ujjwala 2.0)

709. गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए)(Garib Kalyan Rozgar Abhiyan - GKRA)

710. तपस पहल (TAPAS Initiative)

701.और 702. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Q.1) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखित पुस्तक "देशेर कथेर" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. इसने औपनिवेशिक राज्यों के मन की कृत्रिम निद्रावस्था की विजय के खिलाफ चेतावनी दी।
2. इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों के प्रदर्शन को प्रेरित किया।
3. देउस्कर द्वारा' देश ' का उपयोग बंगाल के क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Answer: (a)

सखाराम गणेश देउस्कर (1869-1912) श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी, एक मराठा ब्राह्मण जो बंगाल में बस गया था, सखाराम का जन्म देवघर में हुआ था। उन्होंने देवघर स्कूल में पढ़ाई की और बाद में वहां शिक्षक बने। उन्होंने देशेर कथा नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें भारत के ब्रिटिश वाणिज्यिक और औद्योगिक शोषण का विस्तृत विवरण दिया गया था।

इसने एक लोकप्रिय मुहावरे में एमजी रानाडे और डी. नौरोजी के काम को संक्षेप में प्रस्तुत किया और औपनिवेशिक राज्य की "मन की कृत्रिम निद्रावस्था की विजय" के खिलाफ अपने अंतिम अध्याय में चेतावनी दी।

इस पुस्तक का बंगाल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसने युवा बंगाल के दिमाग पर कब्जा कर लिया और स्वदेशी आंदोलन की तैयारी में किसी और चीज से ज्यादा मदद की। जून 1904 में पहली बार प्रकाशित हुई, देशेर कथा ने वर्ष के भीतर चार संस्करणों में दस हजार प्रतियां बेचीं। पांचवां संस्करण 1905 में सामने आया। बंगाल सरकार ने 1910 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी प्रतियां जब्त कर लीं। देउस्कर सबसे पहले स्वराज का नाम लेकर आए, और श्री अरबिंदो ने सबसे पहले इसे इसके अंग्रेजी समकक्ष, 'स्वतंत्रता' के साथ संपन्न किया। राष्ट्रवादियों ने इस शब्द को अपनाया, और स्वराज चौगुनी राष्ट्रवादी कार्यक्रम की मुख्य वस्तु बन गई।

औपनिवेशिक राज्य ने 1910 में इस पाठ को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन तब तक इसकी 15,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं, स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों की जानकारी दी थी, और स्वदेशी कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी के लिए अनिवार्य पठन की स्थिति ग्रहण कर ली थी।

Q.2) गांधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल था?

1. गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण।
2. सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में प्रख्यापित अध्यादेशों को वापस लेना।
3. पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए गांधीजी के सुझाव को स्वीकार करना।
4. केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1
b) केवल 1, 2 और 4
c) केवल 3
d) केवल 2, 3 और 4

Solution (b)

प्रस्तावित शर्तें:

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नमक मार्च की समाप्ति।
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले भारत सरकार द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को वापस लेना।
- हिंसा से जुड़े अपराधों को छोड़कर कई प्रकार के अपराधों से संबंधित सभी मुकदमों को वापस लेना।
- नमक मार्च में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार कैदियों की रिहाई।
- नमक पर कर को हटाना, जिसने भारतीयों को कानूनी रूप से और अपने निजी उपयोग के लिए नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति दी।

करार

- सभी अध्यादेश वापस लें और मुकदमों को समाप्त करें।
- हिंसा के दोषी लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई।
- शराब और विदेशी कपड़ा दुकानों के शांतिपूर्ण धरना की अनुमति।
- सत्याग्रहियों की जब्त संपत्तियों को बहाली।
- समुद्र तट के पास के व्यक्तियों द्वारा नमक के नि: शुल्क संग्रह या निर्माण की अनुमति।
- कांग्रेस पर प्रतिबंध हटा दें।

वायसराय ने गांधीजी की दो मांगों को ठुकरा दिया

- पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच।
- भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना।

Q.3) अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल-विधवंशक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी।

a) गोपाल बाबा वालंगकर
b) ज्योतिबा फुले
c) मोहनदास करमचंद गांधी
d) भीमराव रामजी अम्बेडकर

Solution (a)

गोपाल बाबा वालंगकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, (1840-1900) भारत के अछूत लोगों को उनके ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता का एक प्रारंभिक उदाहरण है, और आमतौर पर उस आंदोलन का अग्रणी माना

जाता है। उन्होंने उत्पीड़न की व्याख्या करने के लिए एक नस्लीय सिद्धांत विकसित किया और अछूत लोगों पर लक्षित पहली पत्रिका भी प्रकाशित की।

1888 में, गोपाल बाबा वालंगकर ने महत्वपूर्ण-विधवंशक (ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण का विनाशक) नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया, जो पहले अछूत लोगों को अपने लक्षित दर्शकों के रूप में रखता था।

उन्होंने सुधारक और दीनबंधु जैसे मराठी भाषा के समाचार पत्रों के लिए लेख भी लिखे, साथ ही मराठी में दोहे भी लिखे जिनका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना था।

Q.4) भारत के इतिहास के संदर्भ में, "कुल्यावापा" और "द्रोणावापा" शब्द निरूपित करते हैं

a) भूमि का मापन
b) विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के
c) शहरी भूमि का वर्गीकरण
d) धार्मिक अनुष्ठान

Answer: (a)

गुप्त काल के ग्रंथों और शिलालेखों में विभिन्न भूमि माप शब्दों का उल्लेख है

- अंगुला (शायद 3⁄4 इंच) सबसे छोटा माप था।
- हस्त (हाथ) कोहनी की नोक और मध्यमा (18 इंच) के बीच की मानकीकृत दूरी थी।
- माप की बड़ी इकाइयों में धनु / डंडा और नाला शामिल थे।

पूर्वी भारत में उपयोग किए जाने वाले भूमि उपायों में अधवपा (3/8–1/2 एकड़), द्रोणवपा (**11⁄2–2** एकड़), और कुल्यवपा (**12-16** एकड़) शामिल हैं। ये वे क्षेत्र थे जहाँ क्रमशः एक अधक, द्रोण और कुल्य अनाज बोने के लिए आवश्यक थे। पटाका एक अन्य भूमि उपाय था, और ऐसा लगता है कि यह 60-80 एकड़ के बराबर है।

अन्य शब्दों में प्रवर्तवप (यह कुल्यवपा से बहुत छोटा था), पदवर्त (1 फीट से अधिक), और भूमि शामिल थे।

बड़ी संख्या में भूमि माप शर्तों से संकेत मिलता है कि माप का एक भी मानक सेट नहीं था और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपाय चालू थे।

अतः सही उत्तर है **(A)**

Q.5) भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है**?**

1. यह दो जिलों में फैला हुआ है।
2. पार्क के अंदर कोई मानव निवास नहीं है।
3. यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Solution (c)

व्याख्या:

डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान, भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास स्थित है।

लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपेक्षाकृत उचित संख्या में पाया जाने वाला एक शानदार पक्षी है।

राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में लोग और जानवर सह-अस्तित्व में रह सकते हैं अतः कथन 2 गलत है।

703. 127वां संविधान संशोधन बिल (127th CA Bill)

समाचार में: पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।

- भारत में, केंद्र और संबंधित प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग ओबीसी सूचियां तैयार की जाती हैं। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) ने स्पष्ट रूप से राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने और घोषित करने की शक्ति प्रदान की है।

- मराठा आरक्षण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 102 वें CAA को बरकरार रखने के बाद संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन कहा गया कि राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि राज्य ओबीसी सूची में कौन से समुदाय शामिल होंगे।

2018 का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है?

- इसमें अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342A (दो खंडों के साथ) को अनुच्छेद 342 के बाद शामिल किया गया।
- अनुच्छेद **338B** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद **342A** कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करेंगे।

संवैधानिक (**127** वां) संशोधन विधेयक, **2021** के बारे में:

- यह अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 3 भी पेश करेगा।
- यह विधेयक अनुच्छेद 366 (26c) और 338B (9) में भी संशोधन करेगा।
- यह स्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य ओबीसी की "राज्य सूची" को बनाए रख सकते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की व्यवस्था थी।
- अनुच्छेद 366 (26c) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है।
- "राज्य सूची" को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा और राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं।

- प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

- प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से (अनुच्छेद **368**)।

- उनके पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और उन विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद **368** का खंड (2))।

- अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है।

- धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

704. निवारक निरोध (Preventive detention)

समाचार में: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुनाया कि एक निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब बंदी से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

- यह फैसला तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट के तहत एक व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर अपील में आया है, जिसके तुरंत बाद उसे एक धोखाधड़ी के मामले में जमानत दी गई थी।

निवारक निरोध (**Preventive Detention**) क्या है?

- मुकदमे से पहले अभियुक्त व्यक्तियों को इस धारणा पर हिरासत में लेने की प्रथा है कि उनकी रिहाई समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं होगी- विशेष रूप से, अगर उन्हें रिहा किया गया तो उनके अतिरिक्त अपराध करने की संभावना होगी।
- एक 'गिरफ्तारी' तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अगले 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।
- निवारक निरोध के मामले में, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है क्योंकि उसे केवल कुछ ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देश

- अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सामने लाए गए तथ्य सीधे और अनिवार्य रूप से
  - एक नुकसान,
  - खतरा या अलार्म
  - या आम जनता में असुरक्षा की भावना, से जुड़े हैं।
- निवारक निरोध का निर्णय करते समय न्यायालय को यह पूछना चाहिए कि क्या: स्थिति से निपटने के लिए देश का सामान्य कानून पर्याप्त था? यदि उत्तर सकारात्मक है, तो निरोध आदेश अवैध होगा।
- किसी के खिलाफ सार्वजनिक नजरबंदी कानून लागू करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि उसके कार्यों से कानून और व्यवस्था को खतरा हो, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना चाहिए।
- निवारक निरोध अनुच्छेद **21** (कानून की नियत प्रक्रिया) के ढांचे के भीतर होना चाहिए अनुच्छेद **22** (मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा उपाय) और विचाराधीन क़ानून के साथ पढ़ा गया।
- इसने राज्य को निर्देश दिया कि उसे सभी और विविध "कानून और व्यवस्था" समस्याओं से निपटने के लिए मनमाने ढंग से "निवारक निरोध" का सहारा नहीं लेना चाहिए, जिससे देश के सामान्य कानूनों से निपटा जा सके।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद **22** गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का होता है**,** दंडात्मक और निवारक।
  - दंडात्मक निरोध किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित करना है।
  - दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में रखना।
- अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

दंडात्मक हिरासत के तहत दिए अधिकार	निवारक निरोध के तहत दिए गए अधिकार
गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार।	किसी व्यक्ति की नजरबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता है। बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
एक वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार।	नजरबंदी के आधारों को नजरबंद को सूचित किया जाना चाहिए। तथापि, जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।	हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए।
24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता।	
ये सुरक्षा उपाय विदेशी शत्रु के लिए उपलब्ध नहीं हैं।	यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ बाहरी दोनों के लिए उपलब्ध है।

भारत में निवारक निरोध कानूनों से संबंधित मुद्दे:

- दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक निरोध को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में नहीं बनाया है जैसा कि भारत में किया गया है।
- सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयोग एक अतिरिक्त-न्यायिक शक्ति में करती हैं। इसके अलावा मनमानी का डर बना रहता है।
- **1978** के **44**वें संशोधन अधिनियम ने एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना नजरबंदी की अवधि को तीन से घटाकर दो महीने कर दिया है। हालाँकि, यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए, तीन महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है।

संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून हैं:

- ✔ निवारक निरोध अधिनियम, 1950, 1969 में समाप्त हो गया।
- ✔ आंतरिक सुरक्षा का अनुरक्षण अधिनियम (MISA)1971, 1978 में निरस्त कर दिया।
- ✔ विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA), 1974
- ✔ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980.
- ✔ ब्लैकमार्केटिंग रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम (PBMSECA), 1980
- ✔ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (TADA), 1985 1995 में निरस्त कर दिया।
- ✔ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (PITNDPSA), 1988 में अवैध यातायात की रोकथाम।
- ✔ आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA), 2002. 2004 में निरस्त किया गया।

705. और 706. अनुच्छेद 371 (Article 371)

संदर्भ: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों ने आशंका व्यक्त की है कि अनुच्छेद **370** को निरस्त करने के साथ, सरकार इसी तरह अनुच्छेद **371** को निरस्त या कमजोर कर सकती है।

- हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका संविधान के अनुच्छेद **371** को हटाने का कोई इरादा नहीं है।

इसके बारे में

- अनुच्छेद 369 से 392 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' शीर्षक से संविधान के भाग में दिखाई देता है।
- संविधान के अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के छह राज्यों सहित 11 राज्यों के लिए "विशेष प्रावधान" शामिल हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के छह राज्यों सहित 11 राज्यों के लिए "विशेष प्रावधान" शामिल हैं। अनुच्छेद 370 और 371, 26 जनवरी 1950 को इसके प्रारंभ होने के समय संविधान का हिस्सा थे; अनुच्छेद 371A के माध्यम से 371J को बाद में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद **371**	महाराष्ट्र और गुजरात:	• विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र + कच्छ और शेष गुजरात के लिए अलग विकास बोर्डों की स्थापना। • राज्य सेवाओं में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के पर्याप्त अवसर के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने वाली समान व्यवस्था।
अनुच्छेद **371A**	नगालैंड	• 13वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा पेश किया गया। • 1960 में केंद्र और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच **16**-सूत्रीय समझौते के बाद जोड़ा गया, जिसके कारण 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ। • संसद नागा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन में नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय, और राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के मामलों में कानून नहीं बना सकती है। • यह नागालैंड पर तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी। • राज्य में जमीन और उसके संसाधन लोगों के हैं न कि सरकार के।
अनुच्छेद **371B**	असम	• 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा पेश किया गया। • जनजातियों को स्वायत्तता और आवाज देना। • राष्ट्रपति राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से मिलकर विधानसभा (आदिवासी कल्याण समितियों) की एक समिति के गठन और कार्यों के लिए प्रदान कर सकता है।
अनुच्छेद **371C**	मणिपुर	• 27 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा पेश किया गया। • राष्ट्रपति विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति के गठन के लिए प्रदान कर सकते हैं, और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को "विशेष जिम्मेदारी" सौंप सकते हैं। • राज्यपाल को पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अनुच्छेद **371D**	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:	• 32 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा डाला गया; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित • राष्ट्रपति को "सार्वजनिक रोजगार और राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों को शिक्षा" में "समान अवसर और सुविधाएं" सुनिश्चित करनी चाहिए।

		● वह राज्य सरकार को "राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग स्थानीय संवर्गों में, राज्य के तहत सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों, या किसी भी वर्ग या सिविल पदों के वर्गों" को व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो सकती है। ● उसके पास शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समान अधिकार हैं।
अनुच्छेद **371E**	आंध्र प्रदेश	● संसद के एक कानून द्वारा आंध्र प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति देता है। लेकिन इस भाग के अन्य लोगों के अर्थ में यह "विशेष प्रावधान" नहीं है।
अनुच्छेद **371F**	सिक्किम	● 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा पेश किया गया। ● सिक्किम राज्य की विधान सभा में कम से कम तीस सदस्य होंगे; ● जब तक संसद द्वारा कानून द्वारा अन्य प्रावधान नहीं किए जाते हैं, तब तक सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक सीट आवंटित की जाएगी और सिक्किम राज्य सिक्किम के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहे जाने वाले एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन करेगा; ● सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, संसद विधानसभा में सीटों की संख्या प्रदान कर सकती है, जो केवल उन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जा सकती हैं। ● अनुच्छेद **371F** सिक्किम सरकार को राज्य में सभी भूमि के स्वामित्व का अधिकार देता है, भले ही वह भारत में राज्य के विलय से पहले निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हो। ● राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, इस तरह के प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ विस्तार कर सकते हैं, जैसा कि वह सिक्किम राज्य के लिए उपयुक्त समझते हैं, जो कि अधिसूचना की तारीख में भारत के किसी राज्य में लागू है;
अनुच्छेद **371G**	मिजोरम	● 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा सम्मिलित। ● मिजो की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिजो प्रथागत कानून, स्वामित्व और भूमि और उसके संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित मामलों में संसद का एक अधिनियम मिजोरम पर लागू नहीं होगा।
अनुच्छेद **371H**	अरुणाचल प्रदेश	● 55 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा जोड़ा गया। ● राज्यपाल के पास राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर विशेष अधिकार हैं ● और इस प्रावधान के आधार पर मुख्यमंत्री के फैसले को पलट सकते हैं।
अनुच्छेद **371I**	गोवा	● गोवा राज्य की विधान सभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए।
अनुच्छेद **371J**	कर्नाटक	● 98 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा सम्मिलित किया गया। ● अनुच्छेद 371 J हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह पिछड़े जिलों को विशेष दर्जा देता है। ● इन क्षेत्रों के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। ● और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण सुनिश्चित करता है।

707. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) (National Commission for Women - NCW)

संदर्भ: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने लिंग आधारित हिंसा में दो गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है।

- यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन ने कई लोगों को बेरोजगार, वेतन को लेकर अनिश्चित, मजबूर अलगाव और तनावग्रस्त घरों में छोड़ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है।

NCW के बारे में

- इसे जनवरी 1992 में NCW अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका मिशन उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों आदि के माध्यम से महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को सुरक्षित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना है।
- रचना:
    - आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं।
    - **NCW** के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
    - केंद्र सरकार सदस्य सचिव को भी मनोनीत करती है।
    - केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्यों को कानून, कानून, प्रबंधन, महिला स्वैच्छिक संगठन, आर्थिक सामाजिक विकास आदि में अनुभव होना चाहिए।

NCW के कार्य हैं:

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा।
- उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
- शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

NCW की शक्तियां:

- दस्तावेजों और गवाहों के परीक्षण के लिए समन जारी करना।
- हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- दस्तावेजों की खोज और उत्पादन।

708. उज्ज्वला 2.0 (Ujjwala 2.0)

समाचार में: पीएम मोदी ने 10 अगस्त, 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - PMUY) का शुभारंभ किया।

उज्ज्वला **1.0** से उज्जवला **2.0** तक का सफर

उज्ज्वला **1.0**

- यह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है
- उज्ज्वला 1.0 को 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसके दौरान बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था।
    - आवेदकों (केवल महिला) की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इसके बाद, योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी / एसटी, PMAY, AAY, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी आदि) से महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था।
- स्टोव और रीफिल लागत (ब्याज मुक्त ऋण) के लिए EMI की सुविधा दी जाएगी।

- यह योजना प्रधान मंत्री के 'गिव इट अप कैंपेन' की पूरक है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है।
- लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया और लक्ष्य की तारीख से सात महीने पहले अगस्त 2019 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया।

उज्ज्वला **2.0**

- वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए केंद्रीय बजट में PMUY योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी।
- इस एक करोड़ अतिरिक्त **PMUY** कनेक्शन (उज्ज्वला **2.0** के तहत) का उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें PMUY के पहले चरण के तहत कवर नहीं किया जा सकता था।
- नि: शुल्क एलपीजी कनेक्शन के साथ-साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहला रिफिल और हॉटप्लेट (स्टोव) मुफ्त प्रदान करेगी।
- इसके अलावा, नामांकन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।
- उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 'पारिवारिक घोषणा' और 'पते के प्रमाण' दोनों के लिए एक स्व-घोषणा पर्याप्त होगी। उज्ज्वला 2.0 एलपीजी तक सार्वभौमिक पहुंच के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी।

709. गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए)(Garib Kalyan Rozgar Abhiyan - GKRA)

भारत सरकार ने छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में **GKRA** की शुरुआत की थी।

- गरीब कल्याण रोजगार अभियान 'भारत सरकार की एक विशाल ग्रामीण लोक निर्माण योजना है, जो प्रवासी कामगारों और ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए है।
- अभियान का शुभारंभ 20 जून, 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम – तेलिहार, ब्लॉक - बेलदौर से किया गया था।

GKRA के बारे में

- उद्देश्य: उन प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना जो COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण अपने पैतृक गाँव लौट आए थे।
- पंचायती राज मंत्रालय ने दो गतिविधियों की सुविधा प्रदान की,
    - ग्राम पंचायत भवन का निर्माण और
    - 'केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत काम।
- 116 GKRA जिलों में पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में 'वित्त आयोग अनुदान के तहत कार्य' करने के लिए **9554.97** करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया था।

710. तापस पहल (TAPAS Initiative)

संदर्भ: हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल TAPAS (उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण) लॉन्च किया है।

- TAPAS के विचार की अवधारणा ऐसे समय में की गई थी जब काम और शिक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम की खोज करना कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिवार्य हो गया था।

पहल के बारे में

- यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD) की एक पहल है जिसके तहत हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है।
- उद्देश्य: प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।
- यह एक मानक MOOC (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म है जिसमें फिल्माए गए व्याख्यान और ई-अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री है।
- MOOC एक मुफ्त वेब-आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जिसे बड़ी संख्या में भौगोलिक रूप से बिखरे हुए छात्रों की भागीदारी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें छात्रों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा मंच भी शामिल हैं।
- यह विषय विशेषज्ञों, अध्ययन सामग्री और अधिक के व्याख्यान तक पहुंच प्रदान करेगा, लेकिन इस तरह से यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना भौतिक कक्षा को पूरक बनाता है।
- इसे कोई भी ले सकता है जो विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और इसमें शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- मंच को चतुर्भुज दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है, जो है: वीडियो, पाठ, स्व-मूल्यांकन और चर्चा।
- पाठ्यक्रम: पांच बुनियादी पाठ्यक्रम ड्रग (पदार्थ) दुरुपयोग की रोकथाम, जराचिकित्सा/बुजुर्ग देखभाल, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दों और सामाजिक रक्षा मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम पर हैं।

IASBABA'S

RAPID REVISION (RaRe) SERIES - UPSC 2021

RaRe Notes Hindi

DAY 100 - POLITY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

711. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

712. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

713. असम-मिजोरम सीमा विवाद (Assam-Mizoram Border Dispute)

714. आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर (Model Panchayat Citizens Charter)

715. अनुच्छेद 240 (2) (Article 240 - 2)

716. एनसीसी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन (Amendment to NCC Act proposed)

717. मेरा गांव मेरा गौरव (Mera Gaon Mera Gaurav)

718. ARISE-ANIC पहल (ARISE-ANIC Initiative)

719. मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya)

720. UNATI अटल जय अनुसंधान मिशन (UNATI Atal Jai Anusandhan Mission)

711 & 712. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Q.1) सियाचिन ग्लेशियर स्थित है

a) अक्साई चीन के पूर्व
b) लेह के पूर्व
c) गिलगित के उत्तर
d) नुब्रा घाटी के उत्तर

Answer: (d)

व्याख्या:

सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे लंबे पर्वतीय ग्लेशियरों में से एक है, जो भारत-पाकिस्तान सीमा के पास कश्मीर के काराकोरम रेंज सिस्टम में स्थित है, जो उत्तर-उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-दक्षिण-पूर्व तक 70 किमी तक फैला हुआ है।

यह 50 मील लंबी नुब्रा नदी का स्रोत है, जो श्योक की एक सहायक नदी है, जो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अतः विकल्प **(D)** सही है।

Q.2) भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

प्रसिद्ध स्थान		वर्तमान राज्य
1. भीलसा	:	मध्य प्रदेश
2. द्वारसमुद्र	:	महाराष्ट्र
3. गिरिनगर	:	गुजरात
4. स्थानेश्वर	:	उत्तर प्रदेश

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है**?**

a) केवल 1 और 3
b) केवल 1 और 4
c) केवल 2 और 3
d) केवल 2 और 4

Answer: (a)

विदिशा (जिसे पहले भीलसा के नाम से जाना जाता था) भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह एक पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में शिलालेखों के लिए जाना जाता है। सुल्तान जलालुद्दीन के एक सेनापति के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 सीई में परमार शहर भीलसा पर छापा मारा। अत: युग्म **1** सही सुमेलित है।

हलेबिदु (जिसे द्वारसमुद्र कहा जाता था) 12वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य की शाही राजधानी थी। यह कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। 1310 के अंत में, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में एक अभियान पर भेजा। 1311 में, मलिक काफूर ने होयसल राजधानी द्वारसमुद्र को घेर लिया, और बचाव करने वाले शासक वीरा बल्लाला III ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। अत: युग्म **2** सही सुमेलित नहीं है।

गिरनार या गिरिनगर गुजरात के जूनागढ़ जिले में पहाड़ों का एक समूह है। यह स्थान जैनियों के लिए पवित्र है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ भगवान निमिनाथ (22वें जैन तीर्थंकर) मोक्ष प्राप्त करने गए थे। यह अशोक के प्रमुख रॉक शिलालेख XIV के लिए भी जाना जाता है, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। अत: युग्म **3** सही सुमेलित है।

स्थानेश्वर स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के आधुनिक थानेसर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक शहर और सरस्वती नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है। इसे भी बर्खास्त कर दिया गया था और इसके कई मंदिरों को गजनी के महमूद ने नष्ट कर दिया था। अत: युग्म **4** सुमेलित नहीं है।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के 36 प्रतिशत जिलों को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा "अतिशोषित" या "गंभीर" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. CGWA का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत किया गया था।
3. भारत में दुनिया में भूजल सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है**?**

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) केवल 1 और 3

Answer: (b)

व्याख्या :

देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986** की धारा 3 (3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) का गठन किया गया है। अत: कथन **2** सही है।

भारत की सिंचाई ज्यादातर भूजल अच्छी तरह से आधारित है। 39 मिलियन हेक्टेयर (इसकी कुल सिंचाई का 67%) पर, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी भूजल अच्छी तरह से सुसज्जित सिंचाई प्रणाली है (19 MHA के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, 17 MHA के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है)। अतः कथन **3** सही है।

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जेट धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं।
2. केवल कुछ चक्रवात एक आंख विकसित करते हैं।
3. चक्रवात की आंख के अंदर का तापमान परिवेश की तुलना में लगभग 10°C कम होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है**?**

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2
d) केवल 1 और 3

Solution (c)

व्याख्या :

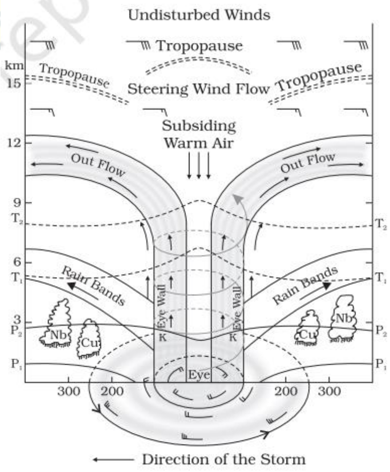

कथन **1** गलत है - जेट धाराएँ दोनों गोलार्द्धों में प्रवाहित होती हैं।

कथन **2** सही है - आंख मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में ज्यादातर शांत मौसम का क्षेत्र है। यह समशीतोष्ण चक्रवातों से संबंधित नहीं है।

कथन **3** गलत है-आंख कम दबाव और उच्च तापमान का एक क्षेत्र है।

Q.5) निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से "महत्वपूर्ण बाघ आवास"के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है?

a) कॉर्बेट
b) रणथंभौर
c) नागार्जुनसागर-श्रीशैलम
d) सुंदरबन

Answer: (c)

व्याख्या

टियर रिजर्व	कोर/क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
कॉर्बेट	821.99
रणथंभौर	1113.364
नागार्जुनसागर-श्रीशैलम	2595.72
सुंदरबन	1699.62

713. असम-मिजोरम सीमा विवाद (Assam-Mizoram Border Dispute)

समाचार में: असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव को कम करने का प्रयास किया।

विवाद का इतिहास

- **1875** और **1933** में सीमा सीमांकन, विशेष रूप से दूसरा, विवाद के केंद्र में हैं।
- 1875 का सीमांकन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) अधिनियम, **1873** से लिया गया।
- इसने लुशाई पहाड़ियों को असम की बराक घाटी में कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया।
- यह मिजो प्रमुखों के परामर्श से किया गया था।
- और यह दो साल बाद गजट में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट सीमांकन का आधार बना।

- **1933** का सीमांकन लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा को चिह्नित करता है।
- मिज़ो लोग इस सीमांकन को इस आधार पर स्वीकार नहीं करते कि इस बार उनके प्रमुखों से सलाह नहीं ली गई थी।
- विवादित सीमा बिंदु लैलापुर पर राज्यों के पुलिस बलों के बीच झड़प के बाद तनाव चरम पर है।

714. आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर (Model Panchayat Citizens Charter)

समाचार में: केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने हाल ही में एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर जारी किया

- इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान **(NIRDPR)** के सहयोग से तैयार किया गया था।
    - NIRDPR केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर के बारे में

- लक्ष्य तथा उद्देश्य
    - लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन में सुधार करना।
    - सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना।
- 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा, स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ कार्यों को संरेखित करना।
- चार्टर पारदर्शी समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्व सरकारों को सुनिश्चित करेगा।
- यह उम्मीद की जाती है कि पंचायतें इस ढांचे का उपयोग करेंगी, और ग्राम सभा के उचित अनुमोदन के साथ, नागरिक चार्टर तैयार करेंगी।
- यह एक तरफ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद करेगा, और दूसरी तरफ पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद करेगा।

सिटीजन चार्टर क्या है?

- यह एक स्वैच्छिक और लिखित दस्तावेज है जो सेवा प्रदाता के नागरिकों/ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए प्रयासों को बताता है।
    - यह सेवा प्रदाता और नागरिकों/उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को बरकरार रखता है।
    - इसमें वह शामिल है जो नागरिक सेवा प्रदाता से उम्मीद कर सकते हैं।
    - इसमें यह भी शामिल है कि नागरिक किसी भी शिकायत का निवारण कैसे कर सकते हैं।
- इस अवधारणा को पहली बार यूनाइटेड किंगडम में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार द्वारा 1991 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में व्यक्त और कार्यान्वित किया गया था।
- नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज नहीं हैं। वे नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने के लिए सिर्फ दिशानिर्देश हैं।
- मूल रूप से तैयार किए गए सिद्धांत:
    - गुणवत्ता-सेवा की गुणवत्ता में सुधार।
    - विकल्प - जहां भी संभव हो।
    - मानक - विशेष रूप से उल्लेख करें कि मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो क्या करना है और कैसे जाना है।
    - मूल्य-करदाताओं के पैसे के लिए।
    - जवाबदेही-व्यक्ति और संगठन के स्तर पर।
    - पारदर्शिता –नियमों/योजनाओं/प्रक्रियाओं/शिकायतों में।

715. अनुच्छेद 240 (2) (Article 240 - 2)

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 (2) के आधार पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया जाता है।

भारत के राष्ट्रपति भारत की केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करते हैं।

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, **2019**

- विधेयक ने दो केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को मर्ज करने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया:
    - दादरा और नगर हवेली।
    - दमन और दीव।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची दो केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक को लोकसभा में एक सीट प्रदान करती है।
- विधेयक में विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेश को दो लोकसभा सीटें आवंटित करने के लिए अनुसूची में संशोधन करने का प्रयास किया गया है।

- विधेयक में प्रावधान है कि बंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विलय किए गए केंद्र शासित प्रदेश तक जारी रहेगा।
-

- The First Schedule to the Representation of the People Act, 1950 provides one seat in Lok Sabha to each of the two UTs.
- The Bill seeks to amend the Schedule to allocate **two Lok Sabha seats** to the merged UT
- The Bill provides that the jurisdiction of the **High Court of Bombay** will continue to extend to the merged UT.

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का इतिहास

- दमन और दीव **1500** से **1961** तक पुर्तगाली प्रशासन के अधीन थे।
- दादरा और नगर हवेली **1818** से **1961** तक पुर्तगाली प्रशासन के अधीन थे।
- दादरा और नगर हवेली को 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले एक वास्तविक राज्य, मुक्त दादरा और नगर हवेली के रूप में प्रशासित किया गया था।
- दमन और दीव को 1962 से 1987 के बीच गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था।
- 1987 में, जब गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, तब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

716. एनसीसी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन (**Amendment to NCC Act proposed**)

समाचार में: हाल ही में, केरल के उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) को अपने अधिनियम में संशोधन करने के लिए कहा ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को NCC में नामांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके।

पृष्ठभूमि:

- 2020 में एक छात्र द्वारा अपने लिंग (ट्रांसजेंडर) के आधार पर कॉलेज में **NCC** इकाई से बहिष्करण का विरोध करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी।
- याचिका में **NCC** अधिनियम, **6** की धारा **1948** को चुनौती दी गई थी, जिसमें केवल 'पुरुष' या 'महिला' कैडेट्स को अनुमति दी गई थी।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **NCC** में नहीं जाने दिया जा सकता क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (**NCC**)

- इसका पता 'विश्वविद्यालय कोर' से लगाया जा सकता है, जिसे भारतीय रक्षा अधिनियम **1917** के तहत बनाया गया था।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम **1948** के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर अस्तित्व में आया।
- 1949 में, गर्ल्स डिवीजन का गठन किया गया था।
- एनसीसी स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्रों के लिए खुला है।
    - **NCC** कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सशस्त्र बलों और उनके कामकाज से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की मूल बातें भी रखते हैं।

  - विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियाँ और सैन्य प्रशिक्षण शिविर एनसीसी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।

- सक्रिय सैन्य सेवा के लिए छात्रों का कोई दायित्व नहीं है।
- **1965** के भारत-पाकिस्तान युद्ध और **1971** के बांग्लादेश-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, एनसीसी कैडेट रक्षा की दूसरी पंक्ति थे।

NCC का नेतृत्व महानिदेशक (डीजी) करते हैं, जो थ्री-स्टार रैंक का अधिकारी होता है।

- निदेशालय - एक मेजर जनरल की अध्यक्षता में।
- डिवीजन/रेजिमेंटल कोर - प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल।
- ब्रिगेडियर के नेतृत्व में समूह।
- बटालियन- कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल की कमान।
- कंपनी - प्रमुख द्वारा निर्देशित।

717. मेरा गांव मेरा गौरव (Mera Gaon Mera Gaurav)

समाचार में: कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने मेरा गांव, मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया है।
मेरा गांव, मेरा गौरव के बारे में

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (**ICAR**) की राष्ट्रीय अभिनव पहल है और कई गांवों में चालू है।
- यह एक कृषि-केंद्रित मिशन है जो किसान के दरवाजे पर ज्ञान का अनुवाद करता है ताकि उसके खेत-उन्मुख को संबोधित किया जा सके।
- ICAR संस्थानों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ती है क्योंकि इसके पास अलग से बजट नहीं होता है।
- इसने किसानों को नवीनतम तकनीक से समृद्ध किया है।

इस योजना के उद्देश्य

- गांवों को गोद लेकर नियमित आधार पर किसानों को आवश्यक जानकारी, ज्ञान और सलाह प्रदान करना।
- किसानों के साथ वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष संपर्क को बढ़ावा देना।
- संगठनों और उनके कार्यक्रम के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना।

गांव का चयन:

- प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय में 4 वैज्ञानिकों के समूह अपने कार्यस्थल से 50-100 किमी के दायरे में गांवों को गोद लेंगे।
- **KVK,** पंचायत और अन्य संबंधित विभाग चयनित गांवों में स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिकों को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (**ICAR**)

- ICAR की स्थापना **16** जुलाई **1929** को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, **1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में फैले 102 ICAR संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।
- यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है।
- ICAR ने अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और कृषि में उसके बाद के विकास की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

718. ARISE-ANIC पहल (ARISE-ANIC Initiative)

सरकार द्वारा शुरू किया गया आत्मानिर्भर भारत ARISE-अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) कार्यक्रम, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: अनुसंधान, नवाचार को उत्प्रेरित करने और क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अभिनव समाधान की सुविधा के लिए मंत्रालयों और संबद्ध उद्योगों के साथ लगातार सहयोग करना।
    - इसका उद्देश्य नवीन उत्पादों और समाधानों की एक स्थिर धारा प्रदान करना है जहां केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग संभावित पहले खरीदार बन जाएंगे।
- यह पहल अटल इनोवेशन मिशन ((AIM- नीति आयोग की एक पहल) के तहत की जाएगी।
- कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और चार मंत्रालयों द्वारा संचालित है—
    - रक्षा मंत्रालय
    - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
    - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
    - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- यह अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय स्टार्टअप और **MSME** की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है।
- यह **50** लाख रुपये तक की फंडिंग सहायता प्रदान करके योग्य अनुप्रयुक्त अनुसंधान-आधारित नवाचारों का समर्थन करता है।
- इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए सम्मानित मंत्रालयों और संबद्ध उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना है।
- अभिनव उत्पादों की एक स्थिर धारा प्रदान करने के लिए जहां केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग संभावित पहले खरीदार बन जाएंगे।

719. मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya)

समाचार में: हाल ही में, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने पूर्वी भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन पूर्वोदय में सेल के इस्पात संयंत्रों की भूमिका पर जोर दिया है।

मिशन पूर्वोदय

- इसे 2020 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत स्टील हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए लॉन्च किया गया था।
- फोकस भारत के पूर्वी राज्यों (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल) और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से पर होगा।
    - वे सामूहिक रूप से देश के लौह अयस्क का **~80%, ~100%** कोकिंग कोयला रखते हैं।
    - क्रोमाइट, बॉक्साइट और डोलोमाइट भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी पाया जाता है।
- इस हब का उद्देश्य लागत और गुणवत्ता दोनों के लिहाज से तेजी से क्षमता वृद्धि और इस्पात उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करना होगा।

एकीकृत स्टील हब **3** प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना को आसान बनाना।
- मांग केन्द्रों के निकट इस्पात समूहों का विकास।
- रसद और उपयोगिताओं के बुनियादी ढांचे का परिवर्तन।

राष्ट्रीय इस्पात नीति **2017**

- वित्त वर्ष **2031** तक घरेलू इस्पात क्षमता को दोगुना से अधिक **300 MTPA** करना।
- 2030-31 तक कच्चे इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ₹10 लाख करोड़ का निवेश।
- **2031** तक हर साल **1.2** करोड़ टन **(MT)** की नई क्षमता स्थापित करना।

720. UNATI अटल जय अनुसंधान मिशन (UNATI Atal Jai Anusandhan Mission)

समाचार में: अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद है।

अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन के बारे में

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग **(DBT),** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
- यह अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को बदलने की उम्मीद है।

इस मिशन में शामिल हैं:

- **GARBH-ini** (जन्म परिणामों में उन्नत अनुसंधान के लिए अंतःविषय समूह- **DBT** भारत पहल)
    - अध्ययन का उद्देश्य समय पर रेफरल और जन्म देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।
- **Ind-CEPI** मिशन
    - DBT का एक भारत केंद्रित सहयोगी मिशन है जो CEPI (महामारी की तैयारी नवाचारों का गठबंधन) की वैश्विक पहल से जुड़ा है।
    - अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन के बारे में
    - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
    - यह अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को बदलने की उम्मीद है।
    - तेजी से वैक्सीन विकास के माध्यम से महामारी की तैयारी।

- पड़ोसी देशों में नैदानिक परीक्षण अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

- दृढ़ गेहूं के पोषण में सुधार
  - सूक्ष्म पोषक कुपोषण की समस्याओं को दूर करना और प्रगतिशील किसानों को बेहतर गेहूं उगाने में मदद करना।

- स्वच्छ भारत के लिए **UNATI** मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी
  - जैव-मेथनेशन, निर्मित आर्द्रभूमि, जैव-शौचालय, रासायनिक और झिल्ली मुक्त जल शोधन आदि को बढ़ावा देना।

- वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और विकास केंद्र
  - वैश्विक AMR अनुसंधान एवं विकास में समन्वय और सहयोग में सुधार के लिए कार्य करना।